खण्ड-364, अंक-2
मंगलवार, 25 माघ, शक संवत् 1905
(14 फरवरी, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 364 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1–5
प्रश्नोत्तर	6–80
कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	80–81
विधान सभा सदस्य एवं राजस्व मन्त्री, श्री बैजनाथ कुरील के निधन पर शोकोद्गार	81–83
भूतपूर्व सदस्य श्री सैयद अली जहीर, सेठ अवध सिंह, श्री बद्री नारायण मिश्र, श्री सत्य नारायण दत्त, श्री महाबीर पाण्डेय, श्री जुगल किशोर, श्री रामचन्द्र आजाद, श्री जरगाम हैदर, श्री देवीचरण अग्निहोत्री तथा श्री देव मूर्ति शर्मा के निधन पर शोकोद्गार	84–93
सुप्रसिद्ध स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी जनरल शाहनवाज खां के निधन पर शोकोद्गार	93–95
सोवियत संघ के राष्ट्रपति श्री यूरी ब्लादिमीरो विच आन्द्रोपोव के निधन पर शोकोद्गार	95–98
नत्थियाँ	99–103

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनाँक 14 फरवरी, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य–375

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	कल्लू राम रत्नाकर, श्री	मिर्जापुर
अकबाल हुसैन, श्री	गोण्डा	काशीनाथ मिश्र, श्री	बलिया
अजहर ईमाम, श्री	मिर्जापुर	किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर	किशोरी शुक्ला श्रीमती	गोरखपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ	कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
अनवार खां, श्री	अलीगढ़	कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
अनवार मोहम्मद खां, श्री	फर्रूखाबाद	कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)	हरदोई
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़	कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री	कानपुर	कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर	कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर	कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	कृष्णवीर सिंह, श्री	बदायूं
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर	आगरा
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर	केदार सिंह, श्री	आजमगढ़
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री	बरेली	केदार नाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
आजाद कुमार कर्दम, श्री	आगरा	केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर	केशोराम, श्री	बदायूं
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच	कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री	एटा
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद	कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद	खरपत, श्री	वाराणसी
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहाँपुर	खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोंडा	खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री	मुरादाबाद
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा	खुशहाल सिंह राँगड़, श्री	टिहरी गढ़वाल
[illegible]ल, श्री	वाराणसी	खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
एo सीo ग्राइस, श्री नाम निर्देशित आँग्ल भारतीय		ख्वाजा हलीम, श्री	अलीगढ़
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री	आगरा	गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	ललितपुर	गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा	गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री	लखनऊ	गया सिंह,, श्री	उन्नाव
कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर	गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई	गुलाम नबी, श्री	आगरा
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर	गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती	गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री	बरेली	गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव

गोपी नाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री	इटावा
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
चन्द्र प्रकाश शर्मा प्रो०	बांदा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी श्री	आजमगढ़
चन्द्र भान सिंह, श्री	बांदा
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चारु चन्द्र ओझा, श्री	पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
छेदी लाल, श्री	गोंडा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री	फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहाँपुर
जटा शंकर सिंह, श्री	बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री	खीरी
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री	मथुरा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जितेन्द्र शाह, श्री	जालौन
जियाराम शुक्ल 'विकल'	फैजाबाद
साकेती, श्री	सुल्तानपुर
जैराज गौतम, श्री	मेरठ
झम्मड़ सिंह, श्री	आजमगढ़
तपेश्वर, श्री	जौनपुर
तेजबहादुर सिंह, श्री	मथुरा
दयाल कृष्ण, श्री	रामपुर
दलजीत सिंह, श्री	आजमगढ़
दलसिंगार, श्री	मेरठ
दामोदर शर्मा, श्री	बस्ती
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बलिया
दीनानाथ श्री	मुजफ्फरनगर
दीपक कुमार, श्री	गोंडा
दीप नरायन वन महन्थ, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
दूधनाथ राजभर, श्री	बहराइच
देवी प्रसाद, श्री	बलरामपुर
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री	देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वर देवी, श्रीमती	वाराणसी
धर्मपाल सिंह, डाक्टर	अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री	मेरठ
धर्म वीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
ध्रुव प्रसाद राय, श्री	देवरिया
नवली सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नाजिर अली श्री	शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री	प्रतापगढ़
निर्मल खत्री, श्री	फैजाबाद
नेकपाल सिंह राघव, श्री	एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी	इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री	आजमगढ़
पते लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
परमेश्वर चौधरी श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री	बिजनौर
पुष्पा चौहान, श्रीमती	अलीगढ़
पूर्ण चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती श्रीमती	बदायूं
फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर, श्री	रामपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बदन सिंह, श्री	आगरा

बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बलवीर सिंह श्री	फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री	रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तर काशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बुद्धपाल सिंह 'खुर्जेवाला', श्री	बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर	देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
ब्रह्म दत्त, श्री	देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भागीरथ, श्री	झांसी
भास्कर पाण्डेय, श्री	देवरिया
भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भीम सिंह सीना, श्री	मेरठ
भूपसिंह केन, श्री	गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री	मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज)	गोंडा
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री	आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा	आगरा
महेश उपाध्याय, श्री	आगरा
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माडवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मान बहादुर, श्री	गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
मित्रसेन ,श्री	फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी	रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
रईसुउद्दीन वारसी, श्री	मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोंडा
रघुबीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रणजीत सिंह जुदेव, श्री	झासी
रतीराम, श्री	बिजनौर
रामेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
रवीन्द्र, श्री	आजमगढ़
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राजमंगल पाण्डेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0	जौनपुर
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी

रामजीराम, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट)	गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री	कानपुर
रामपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह, श्री	सहारनपुर
राम सिंह, श्री	सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सिंह रावल, श्री	एटा
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बाँदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूप राम, श्री	शाहजहाँपुर
रूल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)	इलाहाबाद
लटूरी सिंह, श्री	एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकपति, श्री	मिर्जापुर
लोकमणि वर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री	आगरा
विद्या भूषण, श्री	मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा०	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमल राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर	गाजियाबाद
वृद्धि नारायण सिंह, श्री	वाराणसी
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री	बाँदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बाँदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री	अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
श्याम नरायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल बाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री	बदायं
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
ईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री	नैनीताल

सन्त बख्श रावत, श्री — लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती — बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री — प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री — मथुरा
साहब सिंह, श्री — गाजीपुर
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री — शाहजहाँपुर
सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती — इटावा
श्री सुखवीर सिंह गहलौत, श्री — गाजियाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री — देवरिया
सुजान सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
सुनीता चौहान, श्रीमती — रायबरेली
सुनील शास्त्री, श्री — गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री — बहराइच
सुमन लता, श्रीमती — कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री — सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) — गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री — बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री — गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
सुरेश दत्त पाकीवाल, श्री — जालौन
सुल्तान सिंह, श्री — मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री — मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री — जौनपुर
सोमाँश प्रकाश, श्री — मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती — लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री — बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री — हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री — एटा
हरगोविन्द वर्मा, श्री — सीतापुर
हरदेव, श्री — बलिया
हरबंश प्रसाद पाण्डेय, श्री — बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री — गोरखपुर
हरी प्रसाद कुरील, श्री — उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री — देवरिया
हरि सिंह, श्री — बुलन्दशहर
हरीशंकर, श्री — हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री — मुरादाबाद
हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर

संसद पुस्तकालय

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 14 फरवरी, 1984 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पश्चिमी उ० प्र० में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की स्थापना सम्बन्धी श्री जसवन्त सिंह आयोग का गठन एवं रिपोर्ट

****1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उ0 प्र0 में उच्च न्यायालय की खंड पीठ स्थापित किये जाने के बारे में गठित जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है ? यदि हाँ, तो उसकी मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या है तथा उन पर सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

सामान्य प्रशासन एवं न्याय राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)

जी नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय न्याय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि आयोग की रिपोर्ट शासन को न मिली, तो क्या शासन ने अपना कोई मत आयोग के समक्ष व्यक्त किया । यदि इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को हो, तो वह इसे सदन में बता दें ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद ही शासन उस पर विचार करेगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह नहीं है । मैं तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आयोग के सामने, अपना कोई मत व्यक्त किया गया है ? यदि हाँ, तो उससे वह सदन को अवगत करा दें ?

वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही उस पर विचार किया जाता है, जो जानकारी शासन से माँगी गयी थी, वह दे दी गयी है ? शासन इस पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता है । शासन यदि अपना मत व्यक्त ही कर सकता, तो आयोग बैठाने की आवश्यकता ही क्या थी ।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पीठ की स्थापना हेतु जो जानकारी आयोग द्वारा माँगी गयी थी, क्या वह बेंच की स्थापना के पक्ष में है या विपक्ष में ?

श्री ब्रह्म दत्त—

यही संदर्भित किया गया है कि बेंच कहाँ बननी चाहिये, परन्तु शासन अपना कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता है ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखा और केन्द्र सरकार ने एक आयोग बैठा दिया ? क्या आयोग ने शासन को साक्ष्य हेतु बुलाया या नहीं बुलाया ? यदि बुलाया गया, तो शासन ने पीठ की स्थापना हेतु अपना क्या मत व्यक्त किया और कहाँ पर स्थापित करने हेतु किया ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, किसी को भी साक्ष्य हेतु नहीं बुलाया गया। हम तो आयोग को केवल भौगोलिक स्थिति की सूचना उपलब्ध करवा सकते हैं, रिकमन्डेशन तो आयोग को करना है। आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद हम उस पर विचार कर सकते हैं।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने जसवन्त सिंह आयोग को यह लिख कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कोई बेंच न बनायी जाय ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, यदि शासन यह लिखकर दे देता, तो इस आयोग को बैठाने की आवश्यकता ही क्या रह गयी थी ?

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आयोग से कोई कालावधि निश्चित की गई है कि उन्हें अपनी रिपोर्ट, इतने समय के अन्दर देनी है या फिर यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले लोक सभा चुनाव के पहले इस रिपोर्ट को उपलब्ध करवाया जायेगा ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

मान्यवर, यह आयोग तो केन्द्र का है। उत्तर प्रदेश सरकार को कोई अवधि देने का अधिकार नहीं है। केन्द्र ने 13 दिसम्बर, 1984 तक आयोग की अवधि बढ़ा दी है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीठ की स्थापना पर क्या शासन को कोई दुविधा तो अब नहीं हो गयी है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, न हमें कोई दुविधा थी, न है और न रहेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि कालावधि बढ़ा दी गई है। क्या यह सही है कि आयोग की जो पहले की टर्म्स आफ रेफरेन्स थी, उसमें कुछ मत बढ़ा दिये गये हैं, जिसकी वजह से समय बढ़ा दिया गया है क्या इसकी जानकारी आपके पास है। यदि पहले मामले का समय नहीं बढ़ाया गया है, तो क्या सरकार को अन्तरिम रिपोर्ट मिली है ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

केन्द्रीय सरकार के समक्ष कुछ और प्रदेशों से बेंच कायम करने के लिये माँग हुई थी, तो उस संबंध में उनको टर्म आफ रेफरेन्स में वह भी अधिकार दिया गया है, जहाँ तक शासन को जानकारी है।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, क्या यह बात सही है कि जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट सरकार को सबमिट हो चुकी है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका तो वे उत्तर दे चुके हैं कि रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है ?

श्री हुकुम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसी के संदर्भ में यह जानकारी चाहता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में यह बताया कि कुछ

प्रदेशों की तरफ से भी केन्द्रीय सरकार से यह माँग की गयी थी कि वहाँ भी बेंच कायम की जायं और वह मामला उनको संदर्भित किया गया है और उसी के परिपेक्ष्य में जसवन्त सिंह आयोग की अवधि दिसम्बर, 1984 तक बढ़ा दी गयी है। मैं तो मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बेंच कायम करने के बाबत जानकारी चाहता हूं कि केवल उत्तर प्रदेश का जो मामला था और उस प्रश्न पर जसवन्त सिंह आयोग वर्षों तक विचार करता रहा, तो क्या विचार करने के बाद कोई अंतिम या अन्तरिम रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है ? और यदि हुई, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

कोई अन्तरिम रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है ?

बीस सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन एवं समिति का गठन

**2 श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने अथवा इसे समाप्त करने का मसला शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूचना, सार्वजनिक उद्योग एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

प्रदेश सरकार बीस सूत्रीय कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिये कृत संकल्प है। कार्यक्रम के सुव्यवस्थित एवं प्रभावी सम्पादन के लिए राज्य, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर समितियाँ गठित की गयी हैं। जनपद स्तरीय समीक्षा हेतु मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को जिले आवंटित किये गये हैं। इसके साथ ही उच्चाधिकारियों द्वारा भी प्रत्येक स्तर पर कार्यक्रम की प्रगति का अनुश्रवण किया जाता है। उक्त कार्यक्रम को समाप्त करने का मामला शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने का एक सबसे बड़ा अस्त्र है बीस-सूत्रीय कार्यक्रम और राजनीतिक निहित स्वार्थों के लिये इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, यह बात प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है। इसलिये स्वाभाविक है कि शासन उसके क्रियान्वयन के लिये कृत संकल्प हो। मैं मान्यवर, जानकारी यह चाहूंगा कि जो इसके प्रभावी ढंग से सम्पादन के लिये समितियों के गठन का जिक्र किया गया है, तो यह समितियाँ किस तरह से इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि जिन मदों के लिये, जिन कार्यों के लिये, पैसा आवंटित किया गया है, वह कार्य हुआ या नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

आप इतना व्यापक प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं ? आप इसके लिये सीधे-सीधे प्रश्न पूछिये।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं बहुत सीधा प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि इसके प्रभावी ढंग से सम्पादन के लिये राज्य, जिला तथा विकास खंड स्तर पर समितियाँ गठित कर दी गयी हैं, तो यह समितियाँ किस तरह से यह सुनिश्चित करती हैं कि जिन कार्यों के लिये बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत पैसे का आवंटन किया गया था, वह कार्य हुआ या नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

यह बहुत व्यापक सवाल है, मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इस प्रश्न की जानकारी मेरे लिये बहुत आवश्यक है कि वे कैसे सुनिश्चित करती हैं कि उस पैसे का पूरा का पूरा उपयोग हुआ या नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

यह बहुत व्यापक सवाल आप पूछ रहे है, मैं इसकी आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, अगर यह व्यापक सवाल है आपकी दृष्टि में, तो मेरा संकुचित प्रश्न ही सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको अवसर दूंगा। आप अभी बैठें।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं, जहाँ बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाकों में समितियों का गठन किया गया है और जिनमें अभी तक ब्लाक स्तरीय समितियों का गठन नहीं हुआ है, क्या उसमें आजमगढ़ जिला भी शामिल है ?

श्री अध्यक्ष—

यह बहुत व्यापक सवाल है, मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो जिला स्तर पर समितियों का गठन का प्राविधान किया गया है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, उसके गठन के प्राविधान में काँग्रेस के जिला अध्यक्ष को, बीस-सूत्रीय कार्यक्रम की जो समिति है, उसके उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है ? यदि हाँ, तो सार्वजनिक धन के इस्तेमाल के लिये इस तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप का औचित्य क्या है ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, यह 20–सूत्री कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है, जो विगत कई वर्षों से देश हित में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके क्रियान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि जिनकी निष्ठा इस कार्यक्रम के प्रति है उनका सहयोग इसमें लिया जाय। इसीलिये उनका सहयोग ले रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि यदि उनकी भी निष्ठा इसमें है तो अपना सहयोग प्रदान करें।

श्री भीखालाल—

ब्लाक स्तर की जो समितियाँ बनायी गयी हैं उसमें उस ब्लाक के क्षेत्र का विधायक जो है, उसके लिये यह प्राविधान है कि किसी एक प्रधान को नामांकित करें, जब कि मन्त्री इन्चार्ज उस ब्लाक के 3 सदस्यों को नामित कर सकता है और जरूरी नहीं है कि वह प्रधान ही हो। ऐसा भेदभाव क्यों रखा गया है ?

श्री प्रमोद कुमार—

जहाँ तक विकास खण्ड स्तर की समिति का प्रश्न है, उसका ढांचा इस प्रकार बनाया गया है कि जो क्षेत्रीय प्रमुख होगा, जिसका क्षेत्र होगा, वह विधायक अपने नामजद व्यक्ति रख सकते हैं। जिला स्तर की समिति का जो मन्त्री इन्चार्ज होता है, वह 3 सदस्यों को नामित कर देता है, विकास खण्ड स्तर पर। इसीलिये उचित होगा कि जो प्रधान, सदस्य हैं, उनको भी सम्मिलित किया जाय।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि माननीय पंचानन राय जी ने कहा था कि प्रदेश में कितने ऐसे विकास खण्ड हैं, जहाँ पर 20-सूत्री कार्यक्रम के अनुसार समितियाँ गठित नहीं हुई हैं, मैं जानना चाहता हूं कि दो वर्ष हो गये हैं इस 20–सूत्री कार्यक्रम का ढिंढोरा पीटते हुए, लेकिन अभी तक हमारे जनपद में विकास स्तर पर 20–सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई भी समिति गठित नहीं हुई है, तो क्या सरकार 20-सूत्री कार्यक्रम के अनुसार समितियाँ गठित करेगी ?

श्री अध्यक्ष---

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं, यह बहुत व्यापक प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जैसा कि कहा गया है कि जिन लोगों का विश्वास होगा उनका सहयोग लिया जायगा।, क्या उन्होंने कोई पैमाना निर्धारित किया है कि केवल कांग्रेस पार्टी ही उसमें रुचि रखती है या दूसरी पार्टियाँ भी रुचि रखती हैं? यह आदरणीय सदन किसी भी व्यक्ति या लोगों को यह इजाजत नहीं देता कि जो पैसा दिया जाय उसका इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से हो या दल विशेष राजनीतिक स्वार्थों के लिये उसका उपयोग करे। क्या माननीय मन्त्री जी, जो दूसरे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनके पदाधिकारियों को भी इस समिति का सदस्य नामाँकित करने का आश्वासन देंगे?

श्री प्रमोद कुमार---

मैं अपनी सरकार और दल की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि जिस 20 सूत्री कार्यक्रम को देशहित में कहते थे, उसको वह भी स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। जहाँ तक सहयोग का सवाल है, जिसकी भी निष्ठा इस कार्यक्रम में होगी, उसका सहयोग लेंगे।

श्री कुंवर सिंह नेगी---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में वह संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पेयजल, सिंचाई, विद्युतीकरण तथा निर्बल आवास की योजनाएं जो कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हैं, वह सारी की सारी अवरुद्ध हो गयी हैं और बीस सूत्रीय कार्यक्रम का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, तो माननीय मंत्री जी इसे प्रभावी ढंग से चलाने के लिए क्या कार्य करने जा रहे हैं?

श्री प्रमोद कुमार---

अभी केन्द्रीय योजना आयोग की जो बैठक हुई थी, उसमें वृक्षारोपण को पूरे प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इसके अन्तर्गत 142 योजनाएं पूरी की गयी हैं। वैसे जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है कि क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं, माननीय सदस्य वहाँ के सदस्य हैं, वहाँ पर जो दिक्कतें हों, वह उसे लिख कर दे दें, उसे दूर करने के प्रयास किये जायेंगे।

श्री मुख्तार अनीस---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लक्ष्य बीस सूत्रीय कार्यक्रम के बताये जा रहे हैं और प्रधान मंत्री जी के फोटो के साथ यह प्रकाशित किये जा रहे हैं कि इससे प्रदेश के जनजीवन का जीवन स्तर ऊंचा होगा और उसका विकास होगा तथा इसी के तहत कम्पोनेन्ट प्लान और आई0 आर0 डी0 योजनाएं आदि चलायी जा रही हैं जिसके तहत लोगों को बैंक से लोन मिलता है, सुनने में यह आया है कि लोन की फाइलें बैंक में मुद्दतों से पड़ी हुई हैं, बैंक अथारिटी उस पर साईन नहीं कर रही है जब तक उन्हें 10 परसेंट की रकम मिल नहीं जाती है, तो क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार से विचार-विमर्श करेंगे ताकि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सुचारु रूप से कार्य हो सके ताकि लोग अपने उद्योग धंधे लगा सकें?

श्री प्रमोद कुमार---

मैंने इससे पहले जो बात कही थी फिर उसी को दोहराना चाहूंगा कि माननीय सदस्यगण भी इसके सदस्य हैं, वह अपने सहयोग से जो भी उचित संशोधन देंगे वह मान्य होगा और हम भी इस ओर दृढ़ संकल्प हैं कि इस संबंध में जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी, उसे अवश्य पूरा किया जायेगा।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या माननीय मंत्री जी इस बीस सूत्रीय कार्यक्रम में विभिन्न ब्लाकों में प्रदेश की भूमिहीन हरिजनों को जमीन क्रय कर पट्टा देने के जो नियम हैं, उसके अन्तर्गत इस बात को गौर करते हुए जिला स्तर पर जो जिला विकास खण्ड अधिकारी के नाम से एक पद सृजित किया गया है, जिनके द्वारा जमीने क्रय की जा रही हैं, वह कीमत से कहीं ज्यादा की जा रही हैं और बहुत सी ऐसी जमींनें खरीदी जा रही हैं, जो पहले से ही बिकी हुयी है, तो क्या शासन इस अनियमितता को दूर करने के लिये जिला स्तर पर ब्लाक स्तर पर परगनाधिकारी, स्थानीय विधायक, तहसीलदार और ब्लाक प्रमुख को मिलाकर एक कमेटी बनाकर उन जमीनों के मामले तय करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता ?

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का प्राविधान करेंगे कि जो ब्लाक स्तर पर कमेटियों, में जो कार्य बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत होते हैं, उनके कार्यान्वयन की रिपोर्ट क्षेत्रीय माननीय सदस्य को भी उपलब्ध करायेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

इस प्रकार की जो कमेटियाँ बनायी गयीं हैं और वहाँ पर जो भी कार्यवाही होगी, तो वहाँ का क्षेत्रीय विधायक स्वयं उसका सदस्य है, तो उसे स्वयं वहाँ के सारे मामलों की जानकारी होगी ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

* 1—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[याचिका समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बागेश्वर–कपकोट–भराड़ी मोटर मार्ग जिला अल्मोड़ा का सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरण

* 2—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बागेश्वर–कपकोट–भराड़ी मोटर मार्ग, जनपद अल्मोड़ा जो सन् 1953–54 में श्रमदान से 25 कि0मी0 बना है, को अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार अविलम्ब मार्ग का हस्तान्तरण विभाग को करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री विद्या भूषण)—

नियोजन विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0 3993/25–500 (122)–55, दिनांक 29–6–65 सहपठित शासनादेश सं0 7836 आर/35–500(44) दिनांक 24–8–55 में प्रश्नगत मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने के आदेश किये गये हैं।

इस मार्ग की भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है तथा राजस्व अभिलेखों में उत्तर प्रदेश सरकार के नाम दर्ज है, अतः इसके सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो मार्ग है, बागेश्वर-कपकोट-भराडी मोटर मार्ग यह 25 किलो मीटर श्रमदान से 1953–54 में बना, परन्तु माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि यह अब सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग को कब हस्तान्तरित हुआ है और इसके लिये क्या वहां के कृषकों को मुआवजा दिया गया है ?

श्री विद्या भूषण---

यह सड़क जो है, सार्वजनिक निर्माण विभाग 20-25 सालों से इसकी देख रेख कर रहा है। इसके अलावा इसका हस्तान्तरण कब हुआ इसकी विशेष प्रकार की जानकारी अभी मुझे नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

मान्यवर, मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि जो भूमि सड़क बनाने के लिये काटी है, उसका मुआवजा आपके विभाग ने वहां के कृषकों को क्या दिया है? और हस्तान्तरण प्रश्न करने के बाद में हुआ या पहले ही हो गया था?

श्री विद्या भूषण---

जहां तक हस्तान्तरण का सवाल है उसकी जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है।

(मंगलवार १४ फरवरी, १९८४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

अयोध्या पांचकोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन

*1---श्री निर्मल खत्री---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या पांचकोसी परिक्रमा मार्ग निर्माण योजना जिसका शिलान्यास अप्रैल 83 को सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा किया गया था, को आवश्यक धनराशि का आवंटन अभी तक क्यों नहीं किया गया? यह योजना कब तक पूर्ण करा दी जायेगी?

श्री विद्या भूषण---

इस योजना के लिये वित्तीय वर्ष 1983-84 में जिला चयन समिति द्वारा जिला सेक्टर योजना में रु० 14.00 लाख का प्राविधान कर दिया गया है। जैसे ही धन उपलब्ध हो जाएगा, इसको पूरा कर दिया जाएगा।

श्री निर्मल खत्री---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह योजना जो राज्य सेक्टर में स्वीकृत हुई थी, यह किन कारणों से जिला सेक्टर को हस्तान्तरित कर दी गयी?

श्री विद्याभूषण---

यह नीति बन गयी है इसलिये यह योजना जिला सेक्टर में चली गयी है।

श्री निर्मल खत्री---

जिला सेक्टर में जिले से संबंधित स्थानीय समस्याओं से सन्दर्भित मामले रहते हैं, परन्तु यह योजना जो तीर्थ स्थान से संबंधित थी, जिसमें प्रदेश के तमाम लोग तीर्थ करने के लिये आते हैं और राज्य के माध्यम से यह योजना स्वीकृत की गयी थी। इन सब बातों पर विचार करके क्या शासन पुनः इसे राज्य सेक्टर में लेने के लिये निर्णय करेगा?

श्री विद्या भूषण---

मैंने अभी बतलाया कि नीति के कारण यह योजना राज्य सेक्टर से जिला सेक्टर में चली गयी है इसलिये उसे अब पुनः राज्य सेक्टर में लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्म सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल हाई वे जिला योजना के अन्तर्गत आता है या सरकार ने इसे अपने हाथ में ले रखा है?

श्री विद्या भूषण---

मान्यवर, यह प्रश्न तो इससे संबंधित नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

जब मैंने उस प्रश्न को स्वीकार कर लिया है, तो उसका उत्तर आना चाहिए।

श्री विद्या भूषण---

इसकी जानकारी करके दे दी जायेगी।

श्री राम आसरे वर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि शासन की नीति के मुताबिक 50 लाख से कम की योजना जिला सेक्टर योजना में ट्रांसफर कर दी जाती है, तो क्या शासन इस पर विचार करेगा कि जिला सेक्टर योजना के लिये जो 30 प्रतिशत धन आवंटित किया जाता है, उसको बढ़ाया जाये ?

श्री ब्रह्मदत्त---

माननीय सदस्य जानते हैं कि जिला योजना में वह चीज लायी जाती है जिसका प्रभाव जिले में रहता है। जिला सेक्टर को बढ़ाने की बात स्वीकार कर ली गयी है और राष्ट्रीय मजदूर ग्रामीण गारन्टी योजना चालू की जा रही है। इस योजना में हर कामों को लिया जा सकता है। इस योजना में 100 करोड़ रुपया मिलने वाला है, तो वह स्वतः बढ़ जायेगी।

सचिवालय के स्थानापन्न सहायकों एवं संदर्भदाताओं के स्थायीकरण की सूची

*2---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय में कार्यरत स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायकों सन्दर्भदाताओं के 302 नामों की कोई सूची उनको उपरोक्त पदों पर स्थायी किये जाने के विषय में दिनांक 28-6-83 को प्रकाशित की गयी है जिसमें सहायकों से विकल्प मांगा गया है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकाशित सूची में ऐसे सहायकों के नाम भी शामिल हैं जिनकी मृत्यु हो गयी है, सेवा निवृत्ति हो गये हैं और सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के पद पर पहले से ही सीधे चयन द्वारा स्थायी हो चुके हैं अथवा सचिवालय छोड़ कर अन्यत्र चले गये हैं ? यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है और इनको सूची में शामिल करने का क्या औचित्य है ? क्या उक्त सूची में उन लोगों के नाम भी शामिल किये जायेंगे जिनके नाम छूट गये हैं ?

श्री प्रमोद कुमार---

जी हां। सूची में अंकित कुछ सहायक सेवा निवृत्त, दिवंगत, अन्यथा स्थायी अथवा अन्यत्र संविलीन हो गये हैं। ऐसे सहायकों की संख्या लगभग 36 है। प्रश्नगत सूची पूर्व निर्गत ज्येष्ठता सूची पर आधारित थी। कतिपय सहायकों को अपने नाम सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रत्यावेदन दिये हैं। औचित्य सिद्ध होने पर नाम सम्मिलित कर लिये जायेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि यह बड़ी विडम्बना है कि जो लोग दिवंगत हो गये हैं, जो सेवा से निवृत्त हो गये हैं या कहीं दूसरी जगह पर चले गये हैं और स्थायी हो गये हैं, उन लोगों का भी नाम प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। ऐसा करने का क्या कारण है और जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है, उनके विरुद्ध माननीय मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार---

माननीय सदस्य को कुछ भ्रम हो गया है। यह भ्रम में नहीं हुआ है, बल्कि नियमतः हुआ है। जिस तरह से कार्य होता है मैं बताना चाहता हूं। सूची प्रकाशित होती है। विगत एक साल या दो साल के लोगों की तैयार की जाती है। उस के बाद किसी का निधन हो गया या किसी दूसरे स्थान पर चला गया, तो ऐसे व्यक्तियों का नाम आयेगा ही। तो मान्यवर, इसमें कोई गलती नहीं हुई है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

भ्रम मुझे हुआ है या माननीय मंत्री जी को ?

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लोग सेवा से निवृत्त हो गये या दिवंगत हो गये उनका नाम सूची में कैसे आ गया ? यही हमारा सीधा सा सवाल है ?

श्री प्रमोद कुमार--

वह दिवंगत आज हुए है, लेकिन जिस समय विचार हो रहा था, उस समय वह दिवंगत नहीं हुये थे ? हमारा साफ उत्तर है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जब सूची बनी तो वह दिवंगत हो गये थे, वह सेवा से निवृत्त हो गये थे और पहले ही स्थायी किये जा चुके थे, यह सारी प्रक्रिया पास्ट टेंस की है और सूची प्रेजेन्ट टेन्स में बन रही है, तो इसके लिये कौन से अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह सूची अंतिम नहीं है, उन सभी लोगों से विकल्प मागें गये हैं, जो आयोग को सूची जायेगी उसमें उनका नाम नहीं जायेगा जो पहले से स्थायी किये जा चुके हैं या अन्यत्र संविलीन हो गये हैं। यह मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, एक छोटा सा प्रश्न है कि जो सूची अपने बनायी है उसका औचित्य क्या है ? क्या आपने उस सूची का परीक्षण करने के लिये कोई कमेटी बनायी है या कोई रास्ता निकाला है, अथवा क्या आप कोई टाइम-बाउन्ड घोषणा करेंगे कि इतने समय के अन्दर जिन लोगों का औचित्य होगा उनको ले लिया जायेगा ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, ऐसे 6 लोगों ने शासन के सामने प्रत्यावेदन दिये हैं। नियमानुसार जिन लोगों का औचित्य सिद्ध होगा उनका नाम उसमें सम्मिलित कर लिया जायेगा कोई ज्यादती नहीं होगी।

विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों की मजदूरी की दर

*3--श्री जयदीप सिंह बरार--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के संदर्भ में क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए समान कार्य के लिए भिन्न भिन्न मजदूरी की दरें निर्धारित करना संवैधानिक प्राविधान के प्रतिकूल है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे प्रदेश के कार्यरत खेतिहर मजदूरों के लिए समान न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित करने की घोषणा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)--

विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की मूलभूत आवश्यकता तथा आर्थिक व भौगोलिक विषमताओं के परिप्रेक्ष में अलग-अलग मजदूरी की दरें सुनिश्चित किया जाना अधिनियम की व्यवस्था के अनुरूप है और इसमें संविधान के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय श्रमिकों के आहार में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के साथ-साथ भूमि की उर्वरा शक्ति, क्षेत्र के आकार, आर्थिक सम्पन्नता, क्षेत्रों में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दरें आदि अन्य बातों को भी ध्यान में रख ना होता है। इसीलिये पूरे प्रदेश के लिये कृषि उद्योग में नियोजित मजदूरों के लिये एक ही मजदूरी निर्धारित करना व्यवहारिक न होगा।

श्री जयदीप सिंह बरार---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मजदूरी की दर निर्धारित करने में संविधान का उल्लंघन नहीं होता। मैं जानना चाहता हूं कि निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार और आर्टिकिल 39 में यह स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि बराबर कार्य के लिये बराबर वेतन होगा। मौलिक सिद्धान्तों के तहत भी जो अधिनियम और कानून बनाये जाते हैं, उसमें भी समान कार्य के लिये समान वेतन की दर निर्धारित की जाती है। समस्त प्रदेश में चाहे वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हों या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों वे वही कार्य करते हैं, तो अधिनियम में जो आपने विभिन्न वेतन की दरें निर्धारित की हैं, क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है ?

श्री सुनील शास्त्री---

मान्यवर, जैसा मैंने कहा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (3) (ए) के अनुसार न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग निर्धारित की जाती है इसलिये यह संविधान का उल्लंघन नहीं है।

श्री जयदीप सिंह बरार---

अधिनियम में ऐसी व्यवस्था की गई है अलग-अलग मजदूरी की दरें निर्धारित की जायेंगी तो क्या यह निर्देशक सिद्धान्तों और संविधान के आर्टिकिल 14 आदि का स्पष्ट रूप से उल्लंघन नहीं है ?

श्री सुनील शास्त्री---

मान्यवर, इस सम्बन्ध में न्याय विभाग से भी विचार विमर्श किया गया था और उस विषय में, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दिशा में अपना एक निर्णय दिया है, जिसके तहत इस बात को स्पष्ट कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी, जो भी श्रमिकों को निर्धारित की जाय और जहां पर भी वह कार्य कर रहे हों, वह चाहे एक ही उद्योग क्यों न हो, वह उस स्थान का कास्ट आफ लिविंग और रहने के खर्चे को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाय। इससे अलग-अलग दरें भी निर्धारित की जा सकती हैं। इस तरह से किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं होता।

श्री सूबेदार सिंह---

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मजदूरी की दरें निर्धारित की जाती हैं उसका आधार क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री---

मान्यवर, यह मेरे उत्तर में स्पष्ट दिया हुआ है कि किसी क्षेत्र विशेष की न्यूनतम मजदूरी वहां की भूमि की उर्वरा शक्ति, क्षेत्र के आकार, आर्थिक सम्पन्नता आदि को देखते हुए आधार बनाया जाता है।

श्री मुहम्मद आजम खां---

मान्यवर, मिनिमम वेजेज ऐक्ट कई सेक्टर्स में लागू होता है। बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि जो मिनिमम वेजेज ऐक्ट आपकी तरफ से लागू होता है, जैसे बीड़ी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है, तो वह पूर्वी क्षेत्रों में कुछ मिलती है और पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ और मिलती है। अभी ईंट के भट्ठे नहीं चल रहे हैं, वह भी चलने वाले हैं, इनमें भी असमानता है। पूरब में कुछ मजदूरी है और पश्चिम में कुछ मजदूरी है और इस प्रकार मजदूरों का शोषण हो रहा है। हमारे यहां साढ़े आठ रुपया मिलता है.....

श्री अध्यक्ष---

संक्षेप में सवाल करें।

श्री मुहम्मद आजम खां---

और पूरब में साढ़े चार रुपया मजदूरी मिलती है, तो समान दर लाग कराने के लिए वह क्या कदम उठायेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री---

मान्यवर, यहां पर कृषक मजदूरों की बात हम कर रहे है, लेकिन माननीय सदस्य अन्य श्रमिकों की भी बात ले आये हैं। मै उन्हें बताना चाहता हूं कि न्यूनतम वेतन जो निर्धारित होता है, वह समय समय पर निर्धारित होता है, उसमें हमारे विभाग के आदमी निश्चित करते हैं कि निर्धारित वेतन मिल रहा है या नहीं और यदि सेवायोजक उससे अधिक देने की क्षमता रखता है, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है वह श्रमिकों के हित में ही है। लेकिन जहां न्यूनतम से कम देते हैं और शासन के समक्ष यह बात आती है, तो उन सेवायोजकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है और बहुत से मामले ऐसे चल रहे हैं जहां पर न्यूनतम वेतन लोग नहीं दे रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही चल रही है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का जवाब देंगे कि अमेरिका में लगभग साढ़े 11 रुपये प्रति घंटा सभी प्रकार के मजदूरों को मजदूरी दी जाती है, चाहे वह टायर बीनने वाला क्यों न हो। अमरिका का जो संविधान है, हमारेयहां भी उसकी समानता है, यहां भी उसी प्रकार लागू ह, तो यहां पर समान मजदूरी लागू करने में कौन सी कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं यह उत्तर प्रदेश है अमेरिका से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री रेवती रमण सिंह---

माननीय मत्री जी स्वयं जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में मजदूर पंजाब और हरयाणा जाते हैं क्योंकि वहां 14-15 रुपये मजदूरी मिलती है, तो मैं जानना चाहता हूं जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजदूरी है, उसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी लागू करने में क्या कठिनाई है ?

श्री सुनील शास्त्री---

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगहों पर वेतन निर्धारित किये जा रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश को चार क्षेत्रों में बाँटा गया था और चार क्षेत्रों में अलग अलग वेतन कृषि मजदूरों का निर्धारित किया गया लेकिन धीरे-धीरे जैसे पूर्वांचल ने प्रगति की उसे मध्य क्षेत्र में शामिल करके और बुन्देलखंड को पर्वतीय क्षेत्र के साथ सम्मिलित करके तीन क्षेत्र हो गये और आगे आने वाले समय में संभव है इसी तरह से हम प्रगति करेंगे, तो दो क्षेत्र भी हो सकते हैं और उसी हिसाब से न्यूनतम वेतन भी निर्धारित किया जा सकता है।

प्रधानाचार्या राजकीय महिला पालीटेकनिक, लखनऊ के पद पर नियुक्ति के विरुद्ध प्रार्थना पत्र

*4---श्री प्रियदर्शी जेतली---

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मार्च, अप्रैल, 1982 में विधान सभा तथा विधान परिषद के करीब 50 मा0 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ लखनऊ स्थित महिला प्राविधिक शिक्षा विद्यालय में प्रधानाचार्या पद पर नियुक्ति के संबंध में एक पत्र उन्हें प्राप्त हुआ था? यदि हाँ, तो पत्र के तथ्य क्या हैं तथा क्या मुख्य मंत्री जी ने इसकी जाँच कराने के आदेश दिये थे ? यदि हाँ, तो जाँच आख्या क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री---

पत्र फरवरी, 1982 में प्राप्त हुआ था।

पत्र राजकीय महिला पालीटेकनिक, लखनऊ के प्रधानाचार्या के पद पर नियुक्ति से संबंधित है।

प्रधानाचार्या, राजकीय महिला पालीटेकनिक, लखनऊ के पद पर नियुक्ति के संबंध में श्रीमती सुषमा बक्शी ने माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में एक रिट याचिका एवं माननीय लोक सेवा अधिकरण में एक निर्देश याचिका दायर कर रखी है जो कि माननीय न्यायालयों के विचाराधीन है। अतः श्रीमती ऊषा विरजी जो अब लोक सेवा आयोग से भी प्रधानाचार्या, राजकीय महिला पालीटेकनिक के पद के लिये चयनित हैं, की उक्त पद पर नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की गयी है कि श्रीमती सुषमा बक्शी द्वारा दायर रिट याचिका में जो निर्णय होगा वह उनकी नियुक्ति पर लागू होगा। अतः इस विषय में कुछ कहना संभव नहीं है।

श्री प्रियदर्शी जेतली---

मान्यवर, मेरे प्रश्न का दूसरा भाग देखने का कष्ट करें उसमें लिखा है कि यदि हाँ, तो पत्र के तथ्य क्या हैं और क्या मुख्य मंत्री जी ने इसकी जाँच कराने के आदेश दिये थे। इसका जवाब विपरीत है। पत्र लखनऊ महिला प्राविधिक शिक्षा विद्यालय में प्रधानाचार्या के पद पर नियुक्ति के संबंध में है। मैंने पूछा कि उस प्रार्थना पत्र में लिखित तथ्य क्या हैं और मुख्य मंत्री जी ने क्या जाँच के आदेश दिये थे। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं कि आप मरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें।

श्री सुनील शास्त्री---

मान्यवर, पत्र काफी बड़ा है, यदि आज्ञा हो तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष---

इसकी आज्ञा नहीं है, आप जवाब दें।

श्री सुनील शास्त्री---

मान्यवर, जैसा उत्तर में कहा गया है कि नियुक्ति के संबंध में ही उसमें कहा गया है। कुछ अनियमितताये हुई हैं, जिसके कारण जाँच के लिये उस पत्र में लिखा गया है और जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, तो मुख्य मंत्री जी ने जाँच के आदेश दिये हैं और लोक सेवा आयोग द्वारा जाँच की गयी और उत्तर भी उनका इस संबंध में आया है।

श्री प्रियदर्शी जेतली---

क्या मंत्री जी मेरी इस बात को सही मानते हुए कि पूर्व प्राविधिक शिक्षा मंत्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित, जो इस नियुक्ति के संबंध में और इसको अनियमित बताते हुये एक पत्र शासन द्वारा लिखा गया था उस पर गौर करते हुये इस पत्रावली का अपने स्तर से निस्तारण करें। प्रार्थी कोर्ट में गया। कोर्ट की बात आज आयी है जब प्रार्थी को न्याय नहीं मिला। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जाँच क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री---

मान्यवर, जैसा मैंने पहले ही कहा चूंकि यह मामला न्यायालय में है, इसलिये उचित नहीं होगा कि इस पर कुछ टिप्पणी की जाये। इसलिये स्पष्ट आदेश हैं, उस नियुक्ति पत्र में कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा, उसके अनुसार शासन कार्यवाही करेगा, तो अन्याय की बात आयेगी ही नहीं।

बरेली दुग्ध संघ से संबद्ध बदायूं दुग्ध संघ का स्टाफ

*5---श्रीमती प्रेमवती---

क्या पशुधन विकास मंत्री को जानकारी है कि बदायूं जनपद की दुग्ध योजना के राजकीय स्टाफ को वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक जनपद बरेली, दुग्ध संघ से सम्बद्ध कर बदायूं जनपद की दुग्ध योजना को बन्द कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या मंत्री जी दुग्ध योजना से सम्बद्ध किये गये स्टाफों को पुनः जनपद बदायूं को वापस करने के आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार---

जी हाँ। वर्तमान समय में बदायूं जनपद बरेली मिल्क शेड के अन्तर्गत रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत बरेली एवं बदायूं जनपद में दुग्ध समितियाँ गठित की जानी हैं। इस कार्य के लिये बदायूं दुग्ध संघ के स्टाफ को दुग्ध समितियाँ गठित करने हेतु "स्पीयर हेड टीम" में ले लिया गया है तथा इस स्टाफ को बरेली से सम्बद्ध किया गया है। यही स्पीयर हेड टीम बाद में बदायूं में समितियों को गठित करने का कार्य करेगी। अतः उक्त परिस्थिति में सम्बद्ध स्टाफ को प्रशासनिक दृष्टिकोण से बदायूं वापस करना संभव नहीं होगा।

(सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री, श्री प्रमोद कुमार द्वारा उत्तर पढ़े जाने पर)

श्री अध्यक्ष---

क्या आपको उत्तर देने के लिये अधिकृत कर रखा है ?

श्री प्रमोद कुमार---

आपको पत्र भेजा है, जो यदि नहीं मिला होगा तो मिल जायेगा ?

श्री अध्यक्ष---

इसकी मैं आज्ञा नहीं देता हूं और इसको मैं स्थगित करता हूं।

कानपुर के बिल्हौर-मकनपुर मार्ग पर पुल के निर्माण की मांग

*6---**श्री मोतीलाल देहलवी** (अनुपस्थित)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत बिल्हौर से मकनपुर के पक्के मार्ग के मध्य पड़ने वाले नालों पर पुल बनाने की शासन द्वारा अंतिम स्वीकृत दिये जाने के बावजूद भी अभी तक उन पर कार्य प्रारम्भ न करने के क्या कारण हैं? कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायगा और पुल कब तक बना दिये जायेंगे ?

श्री विद्या भूषण---

इन सेतुओं का निर्माण कार्य पिछले वर्ष में अनुदान की कमी के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इस वर्ष केवल 1.50 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध है तथा निर्माण कार्य अब आरम्भ किया जा रहा है। कार्य का पूरा होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों में लघु जल विद्युत योजनाओं को निजी क्षेत्र को दिये जाने की मांग

*7---**श्री कुंवर सिंह नेगी**---

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में लघु जल विद्युत योजनाओं से विद्युत उत्पादन करने की निजी क्षेत्रों को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

वित्त एवं ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)---

जी नहीं।

श्री कुंवर सिंह नेगी---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने पूर्व में कोई ऐसा निर्णय लिया था कि लघु जल विद्युत योजनाओं से विद्युत उत्पादन करने की निजी क्षेत्रों को सरकार द्वारा अनुमति दी जायगी ? यदि हाँ, तो पर्वतीय क्षेत्र में माइक्रो हाइडिल स्कीम से विद्युत उत्पादन की निजी क्षेत्र में अनुमति न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त---

लघु जल विद्युत योजनाओं, माइक्रो हाइडिल स्कीम से यहाँ विद्युत उत्पादन और वितरण समिति क्षेत्र में होता है, इसलिए वहाँ व्यवस्था नहीं होती है कि निजी क्षेत्र का वितरण हम करें लेकिन कोआपरेटिव सोसाइटी हों तो गाँव पंचायत, ब्लाक कमेटी या कोई संस्था चाहे तो आसान है चूंकि व्यक्तिगत वितरण के पक्ष में हम नहीं हैं।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

जैसा आपने इस सम्बन्ध में बताया कि यदि पर्वतीय क्षेत्र में कोआपरेटिव सोसायटी या पंचायत की कोई संस्था इसे निजी क्षेत्र में करना चाहे तो क्या आप ऐसा होने पर उसे लघु उद्योग का दर्जा देकर ऋण की सुविधायें प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

लघु जल विद्युत परियोजनाओं का अपना एक विशिष्ट दर्जा है। फिर भी यदि कोई कोआपरेटिव सोसायटी या पंचायती संस्था इस कार्य को करती है, तो हम यथासम्भव उसे सुविधा प्रदान करने का विचार करेंगे ।

श्री रेवती रमण सिंह--

माननीय मन्त्री जी इससे परिचित हैं कि विद्युत संकट को देखते हुए यदि वहाँ पर ऐसी छोटी इकाइयाँ हायड्रो इलेक्ट्रिक की लगाई जायें, तो करीब 10 हजार मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है ? तो क्या सरकार वहाँ पर कोई प्रभावी कदम उठायेगी, जिससे साल दो साल में वहाँ पर इस प्रकार का कोई काम शुरू हो जाय ?

श्री ब्रह्मदत्त--

माननीय सदस्य तो बहुत अनुभवी हैं इस मामले में 10 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन माइक्रो इलेक्ट्रिक से कमी हो नहीं सकता है। 2-5-10-100 तक यह जाता है और इसके लिए 40 जगहें छांटी गयी हैं जहाँ पर माइक्रो हायड्रो इलेक्ट्रिक योजनाएँ लगाने पर विचार हम कर रहे हैं और करेंगे ।

श्री रियासत हुसैन--

पिछले दिनों में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक प्रेस काँफ्रेंस में यह कहा था कि बिजली उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र पर भी विचार किया जायगा, तो क्या शासन का यह स्पष्ट मत हो गया है कि विद्युत उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया जायगा या नहीं ? शासन की स्पष्ट क्या नीति है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

यह बात ताप विद्युत के लिए है, यदि वह निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन करना चाहते हैं तो सामने आयें, ताकि हमारे संसाधनों की कमी पूरी हो सके, लेकिन यह नीति केवल उत्पादन के लिए है, वितरण के बारे में नहीं है ।

जौनपुर के ग्राम कुसिया निवासी श्री राम उग्रह मिश्र एवं श्री सुन्दरी प्रसाद की विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु एवं दिया गया अनुग्रह अनुदान

*8--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री को ज्ञात है कि बिजली के जमीन पर पड़े हुए नंगे तारों के स्पर्श से जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के ग्राम कुसिया के दो नवयुवकों की मृत्यु दिनाँक 19 सितम्बर, 83 को हो गयी ? यदि हाँ, तो मृतकों के परिवार को कितने रुपए की क्षतिपूर्ति कराई गयी और दुर्घटना के दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी हाँ ।

दिनाँक 19 सितम्बर, 1983 को सर्वश्री राम उग्रह मिश्र पुत्र स्व0 श्री रामरक्षा मिश्र एवं सुन्दरी प्रसाद पुत्र स्व0 श्री राम सूरत मिश्र, निवासी ग्राम व पत्रालय कुसिया विकास क्षेत्र जलालपुर, जनपद जौनपुर की मृत्यु विद्युत दुर्घटना के फलस्वरूप हो गई थी।

प्रत्येक मृतक परिवार के आश्रितों को 1000 (एक हजार) रुपए प्रति मृतक की दर से अन्तरिम अनुग्रह की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष अनुग्रह की धनराशि का भुगतान पुलिस रिपोर्ट, पंचायतनामा इत्यादि प्राप्त होने पर किया जायगा। विभागीय जाँच में दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

यह उत्तर देखें, दो नवजवानों की मृत्यु हो गयी, बिजली विभाग वाले नंगे तार फैलाये रहते हैं--घूस दक्षिणा लेकर छूट दिए रहते हैं कि कोई चाहे जहाँ और जैसे तार ले जाएं, बस उनको महीने में बंधा धन दे दें। इसके बाद कहा जा रहा है कि विद्युत दुर्घटना से दो व्यक्ति मर गये, लेकिन किस तरह की दुर्घटना थी यह नहीं बताया गया है? और इसके बाद अनुग्रह राशि अन्तरिम रूप से एक हजार रुपया देने का क्या औचित्य है? यह कितनी धनराशि एक व्यक्ति की जान पर रखे हुए हैं? क्या यह उन्हें पूरी धनराशि दे देंगे?

श्री ब्रह्म दत्त--

सामान्यतः ऐसे मामलों में पाँच हजार रुपए दिया जाता है। इसकी कुछ प्रक्रिया होती है और वह शीघ्र पूरी की जायगी। आँधी में तार गिर गया था, अब उसकी फिटिंग आदि ठीक थी या नहीं, इन सब बातों की एक जोनल कमेटी जाँच कर रही है। जाँच में दोषी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

उस मीटिंग में कौन-कौन लोग हैं और कब तक उसकी जाँच रिपोर्ट आ जायगी?

श्री ब्रह्म दत्त--

जोनल मीटिंग में कुछ अधिकारी होते हैं जो उसकी जाँच कर रहे हैं? मैं उनसे कहूंगा कि भुगतान शीघ्र किया जाय।

श्री ऊदल--

कमेटी तो यह जांच कर रही है कि किसका कसूर है मगर जो लोग मर गये हैं उनको पूरा मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है? आपने एक-एक हजार रुपया ही दिया शेष 4-4 हजार कब आप शीघ्र दिलायेंगे?

श्री ब्रह्मदत्त--

मैंने कह तो दिया है, बहुत जल्दी दिला देंगे।

मेसर्स कनौड़िया फ्लावर मिल, दुलहीपुर वाराणसी में श्रम कानून लागू किये जाने की मांग।

*9--श्री ऊदल--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कनौड़िया फ्लावर मिल, दुलहीपुर, जिला वाराणसी में श्रम कानून लागू नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री सुनील शास्त्री--

मेसर्स कनौड़िया फ्लावर मिल, दुलहीपुर, जिला वाराणसी पर आवृत्त होने वाले सभी श्रम कानून लागू हैं?

श्री ऊदल--

क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जाँच करायेंगे कि वहाँ हाजिरी का हिसाब ठीक नहीं रखा जाता, प्राविडेंट फण्ड आदि का भी हिसाब ठीक नहीं रखा जाता और इस तरह से श्रम कानून का खुलेआम पालन नहीं हो रहा है?

श्री सुनील शास्त्री--

माननीय, 12 मई, 1983 को निरीक्षण कराया गया था और वहाँ पर कई नियमों का उल्लंघन पाया गया जिसके लिए मेसर्स योजकों के विरुद्ध कार्यवाही भी की गयी है। कोई प्राविडेन्ट फण्ड की कार्यवाही नहीं की गयी। अब अगर और कोई अनियमितता है उसकी जानकारी लिखित अगर माननीय सदस्य देंगे तो उसको दिखवा लिया जायगा और आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

बांदा जिले के ग्राम हथौड़ा के पुल निर्माण की मांग

*10--प्रो0 चन्द्रप्रकाश शर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद बाँदा में हथौड़ा ग्राम के समीप पुल निर्माण हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था शासन ने कर दी है? यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब प्रारम्भ कर दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विद्या भूषण—

जी हाँ।

पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति होने के पश्चात।

प्रश्न नहीं उठता।

(प्रश्न संख्या 10 पुकारे जाने तथा सम्बन्धित सदस्य के अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष—

भविष्य में माननीय सदस्य, जिनका प्रश्न हो, वे कृपया उपस्थित रहा करें, यह ठीक नहीं है। अगर बीमारी आदि का कोई कारण हो तो वे लिखकर भेजा करें।

सुल्तानपर जिले के थाना बल्दीराय की जीप से श्री राम मनोहर एवं श्री राम अजोर की मृत्यु एवं मुआवजा

*11—श्री मित्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 6 अक्तूबर, 1983 को राम मनोहर पुत्र उदयराज एवं रामअजोर पुत्र श्री राम गरीब निवासी ग्राम गोविन्दपुर, थाना बल्दीराय, जनपद सुल्तानपुर की पुलिस दल द्वारा जीप चढ़ा देने से हुई हत्या को लेकर भा0 क0 पार्टी द्वारा थाना बल्दीराय पर कोई प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शनकारियों की तरफ से थाने पर उपस्थित परगनाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी को कोई मांग पत्र प्रस्तुत किया गया था? यदि हां, तो उक्त मांग पत्र क्या था और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)—

जी हां। कथित घटना के सम्बन्ध में भा0 क0 पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया और परगनाधिकारी को ज्ञापन दिया गया था। ज्ञापन में उक्त घटना बल्दीराय की जीप, जिसने उनके कथनानुसार तीन सब इन्सपेक्टर व कुछ सिपाही शराब पीकर बैठे थे, से घटित होने, तथा पुलिस द्वारा अपराधों को छिपाने व न्यायिक ढंग से बचने के लिये प्रथम सूचना रिपार्ट मनमाने ढंग से लिखने के आरोप लगाये गये हैं। साथ ही साथ पुलिसजनों को दण्डित करने, मामले की मैजिस्टीरियल जांच कराने तथा मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की गयी है।

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना बल्दीराय पर एक अपराध अन्तर्गत धारा 279/338/304-ए भा0 द0 वि0 का पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है। प्रकाश में आये पुलिस कर्मचारियों को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया गया तथा मृतकों के आश्रितों को एक-एक हजार रुपया मुआवजे के रूप में दिया जा चुका है।

श्री मित्रसेन —

पुलिस कर्मियों की जीप से दो आदमी मर गये। यह पुलिस कर्मी एक जगह से दावत खाकर आ रहे थे। पुलिस कर्मियों की तरफ से तो थाने में रिपोर्ट लिखित हो गयी पर जो लोग मारे गये, उनकी जीप से कुचल कर मरे! उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट थाने में अंकित नहीं की गयी। जो पुलिसकर्मी अपराधी थे उनको निलम्बित क्यों नहीं किया गया? दूसरी बात यह है कि जो पुलिसकर्मी प्रकाश में आये उनमें कौन-कौन से पुलिसकर्मी हैं जिनको लाइन हाजिर किया गया है। जिनके घर के लोग मरे हैं वह गरीब आदमी हैं, दो बीघे जमीन भी उनके पास नहीं है, तो उनको अभी तक क्षतिपूर्ति न किये जाने का क्या कारण है?

श्री रणजीत सिंह जूदेव---

मान्यवर, इस की गंभीरता को देखते हुए, जो लोग दोषी पाये गये, श्री राम प्रसाद यादव तथा श्री के0 एन0 पांडेय और ड्राइवर श्री राय को लाइन हाजिर कर दिया गया है। यह केस सी0 आई0 डी0 को दे दिया गया है। सी0 आई0 डी0 की जांच चल रही है। जहां तक मुआवजे का प्रश्न है, तो मृतकों के परिवार को एक-एक हजार रुपया दिया गया है।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सुल्तानपुर के जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में यह प्रस्तुत किया था कि उनके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, वह गरीब मजदूर आदमी हैं, उनकी क्षतिपूर्ति की जाय, इस संबंध में प्रशासन को लिखा है, लेकिन अभी तक क्षतिपूर्ति न किये जाने का क्या कारण है। वह भूमिहीन हैं, वहां गांवमें ग्राम समाज की भूमि मौजूद है लेकिन उन्हें न तो पट्टा दिया गया है न जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर क्षतिपूर्ति की गयी है। इसका क्या कारण है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव---

मान्यवर, आपका सुझाव देख लिया जायगा, बड़ा अच्छा सुझाव है। यह सरकार की नीति है कि अगर सुझाव देने की बात है, तो उस पर भी विचार करेंगे।

गोरखपुर जिले के थाना पीपीगज में सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता, श्री श्यामलाल चौहान एवं अवर अभियन्ता, श्री सिया राम सिंह के विरुद्ध पंजीकृत कथित मुकदमा

*12--श्रीमती गौरी देवी---

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि जुलाई, 83 में गोरखपुर जनपद के पीपीगंज थाना में सिंचाई खण्ड, गोरखपुर उप खण्ड प्रथम के सहायक अभियन्ता, श्री श्यामलाल चौहान की सरकारी वाहन अवर अभियन्ता सियाराम सिंह दो औरतें (जो ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर व ड्रेनेज खण्ड द्वितीय पडरौना के सहायक अभियन्ताओं की थीं,) और सरकारी ड्राइवर राजेन्द्र सिंह सहित 60 हजार रुपए के विदेशी सामान के साथ पकड़े गये थे ? यदि हां, तो उपरोक्त व्यक्तियों में से कितने के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया और कितनों को थानाध्यक्ष ने छोड़ दिया ? यदि सभी व्यक्तियों को छोड़ा तो क्या कारण था और अब तक क्या कार्यवाही उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध विभाग द्वारा की गयी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव---

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना पीपीगंज में कोई ऐसा मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। अतएव गिरफ्तारी तथा मुकदमा चलाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती गौरी देवी---

मान्यवर, मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि दो को तो छोड़ दिया गया है, लेकिन और कैसे गलत्रे छोड़ दिया गया है। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरे प्रश्न के प्राप्त होने के बाद इस मामले में कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, इसके बारे में कोई रिपोर्ट थाने पर दर्ज है ही नहीं, तो कैसे बता दें कि कोई कार्यवाही हुई या नहीं। इस संबंध में कोई रिपार्ट थाने पर दर्ज नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, संदर्भित प्रकरण के संदर्भ में क्या माननीय मंत्री जी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि मैंने स्वयं सिंचाई मंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि इस प्रकार से ड्रेनेज विभाग के इंजीनियर तस्करी करते हैं। उनकी जीप थाने में पकड़ी गयी। वहां पर एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई या नहीं, कुछ नहीं पता। जीप थाने में गयी और काफी धन थानेदार को देने के बाद उनको छोड़ दिया गया, तो विषय की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच फिर से करायेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

अगर आप लिखकर देंगे तो जांच करायेंगे ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह प्रश्न तो लिखित ही है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। उनको स्वतः इस बात की जानकारी है कि आज कल थाने में रिपोर्ट लिखे जाने की क्या दशा है ? इसमें इतने बड़े-बड़े अधिकारी इन्वाल्व हैं, जिनके बारे में प्रश्न किया गया है। माननीय सदस्य ने लिखित सूचना दी थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय प्रश्न किया गया और पता चला कि रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है, तो विषय की गंभीरता को देखते हुए इन तथ्यों की जांच सी० आई० डी० या स्वतंत्र रूप से न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, यह प्रश्न बहुत सीधा है। मान्यवर, इस संबंध में कोई रिपोर्ट थाने में नहीं हुई है। अगर आप लिखकर देंगे, तो अवश्य जांच करा ली जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि लिखकर दे दें, तब जांच करा ली जायगी। मान्यवर, इससे ज्यादा और क्या लिखित बात हो सकती है, जो कि माननीय सदन में प्रश्न आ चुका है। मान्यवर, मैंने माननीय सिंचाई मंत्री जी को पत्र लिखा था, उसमें मेरा स्पष्ट आरोप था कि थाने पर लोग गये, थाने पर उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। मान्यवर, मेरा दूसरा आरोप यह था कि तस्करी का माल पकड़ा गया और उनकी एफ० आई० आर० वहां पर दर्ज नहीं हुई। मान्यवर, इस गम्भीरता को देखते हुए तथा मेरे पूर्व पत्र को देखते हुए सारे मामले की क्या सी० आई० डी० से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, जब तक रिपोर्ट नहीं होगी, तब तक कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है। अगर आप कुछ लिखकर देंगे, तो अवश्य जांच करा ली जायगी।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि उन्होंने माननीय सिंचाई मंत्री को लिखकर दिया है। उनका यह कहना है कि क्या उसके आधार पर जांच कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, आपके आदेश का पालन अवश्य होगा ।

बिजनौर जिले के थाना कोतवाली में श्री अलीमुद्दीन के विरुद्ध पंजीकृत विस्फोटक पदार्थ संबंधी मुकदमा

*13--श्री थम्मन सिंह गहलौत (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर के कोतवाली देहात थाना के ग्राम गारोपुर के प्रधान श्री अलीमुद्दीन के घर से दिनांक 1 जनवरी, 1980 की रात्रि में जीवित व अपूर्ण बम तथा तमन्चे बरामद किये गये थे ? क्या यह सही है कि आगरा के विस्फोटक जांचकर्त्ता अधिकारी ने उक्त पाए गये बमों को विस्फोटक रूप में होना घोषित किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त के विरुद्ध अब तक की गयी कार्यवाही से सदन को सूचित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)---

थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर पर पंजीकृत अ0 सं0 1/81 अन्तर्गत 5 एक्सप्लोसिव ऐक्ट के अनुसार दिनांक 1-1-81 को श्री अलीमुद्दीन पुत्र बशीर अहमद निवासी ग्राम व पो0 थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर के घर से विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए थे और रासायनिक परीक्षण से उक्त पदार्थ विस्फोटक पाये गये थे? मामले की विवेचना के दौरान अपराध संदिग्ध पाया गया। अतः अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

थाना कटरा, जिला शाहजहांपुर, में श्री मोरपाल, चौकीदार में की पत्नी द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट

*14---श्री नासिर अली (अनुपस्थिति)---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 11 सितम्बर, 1983 को थाना कटरा, जिला शाहजहांपुर के थानाध्यक्ष के विरुद्ध मृतक मोरपाल चौकीदार (पुलिस) की विधवा ने कोई रिपोर्ट धारा 304 ता0 रा0 हिन्द के अन्तर्गत लिखाई है? क्या मृतक के पोस्टमार्टम में भी अनावश्यक कटिंग करके मृत्यु के कारणों को बदला गया है? यदि हां, तो क्या सरकार हरिजन चौकीदार की हत्या के मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से करायेगी ताकि निष्पक्षता के साथ यह जांच हो सके?

श्री श्रीपति मिश्र---

जी हां। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक शब्द "नाट" का संशोधन किया गया है। यह संशोधन पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर द्वारा ही किया गया है अथवा नहीं इसकी जांच कराने के लिए चिकित्सा विभाग से अनुरोध किया गया है।

सीतापुर जिले के थाना तालगांव के थानाध्यक्ष द्वारा श्री हर गोविन्द वर्मा के विधायक की मीटिंग में कथित बाधा डालने की शिकायत

*15---श्री छत्तर सिंह, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री रामस्वरूप निम तथा श्री हरगोविन्द वर्मा---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30 अगस्त, 1983 को जनपद सीतापुर के अन्तर्गत थाना तालगांव के सामने लोकदल की जनसभा हुई जिसमें क्षेत्रीय विधायक के पहुंचने में थाना इंचार्ज तालगांव द्वारा बाधा डालने तथा उनके साथियों को घेर कर मारने की साजिश के सम्बन्ध में उक्त विधायक ने एस0 पी0, सीतापुर को स्वयं मौखिक रिपोर्ट की? यदि हां, तो थाना तालगांव के इंचार्ज के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रणजीत सिंह जूदेव---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30 अगस्त, 1983 को जनपद सीतापुर के अन्तर्गत थाना तालगांव, सीतापुर में लोकदल की जनसभा हुई। यह कहना सही नहीं है कि थाना इंचार्ज तालगांव द्वारा क्षेत्रीय विधायक, श्री हरगोविन्द वर्मा द्वारा की जाने वाली मीटिंग में बाधा डालने तथा उनके साथियों को घेर कर मारने की साजिश की गयी। क्षेत्रीय विधायक, श्री हरगोविन्द वर्मा ने पुलिस अधीक्षक, सीतापुर से मीटिंग में जाने से पूर्व मौखिक रूप से यह शिकायत की थी कि कुछ लोग रास्ते में उन्हें मीटिंग में जाने से रोकने के लिये बैठ हुए हैं। इस पर पुलिस अधीक्षक, सीतापुर ने क्षेत्राधिकारी, बिसवां को मामले में निगाह रखने के निर्देश दिये थे। क्षेत्राधिकारी द्वारा स्वयं मौके पर जाकर जांच करने पर माननीय विधायक के कथन की पुष्टि नहीं हुई थी। अतः थाना अध्यक्ष तालगांव के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी। फिर भी उनका स्थानान्तरण हो चुका है।

श्री छत्तर सिंह---

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है, माननीय विधायक से सम्बन्धित है। मान्यवर, पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इसकी जांच पूरे प्रकरण की, किसने करायी गयी? वह अधिकारी कौन थे, जिससे जांच करायी गयी?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, यह जो माननीय विधायक ने मौखिक रिपोर्ट की थी, उसके बारे में क्षेत्रीय अधिकारी, बिसवां से कहा गया था, लेकिन वहां पर कोई जान का खतरा नहीं था, इसलिए उसमें कोई विशेष जांच नहीं की गयी।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मान्यवर, जो जवाब आया है, यह बहुत असत्य है और सत्य से परे है। मान्यवर, जवाब में यह कहा गया है कि थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण कर दिया गया है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि थानाध्यक्ष कब वहां पर पोस्ट किया गया और कब उसका तबादला किया गया। अगर घटना सत्य नहीं थी, तो उसका तबादला करने की क्या आवश्यकता पड़ी ? मान्यवर, सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूं और अगर तबादला और पोस्टिंग दोनों हो गयी है और घटना को असत्य मान रहे हैं, तो क्या सी0 आई0 डी0 से इसकी जांच कराकर सही स्थिति जन मानस में लाने की कृपा करेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, शिकायत थानाध्यक्ष की थी, वह हट चुके हैं ? अब इसमें कोई सी0 आई0 डी0 की जांच की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लिखकर देंगे तो इसको दिखवा लेंगे ?

श्री मुख्तार अनीस--

जिस थानाध्यक्ष के बारे में शिकायत की गयी है और जिसके सन्दर्भ में जवाब आया है। उसने एक बार नहीं कई बार हरगोविन्द वर्मा की सभा को डिस्टर्ब करने का काम किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तालगांव के थानाध्यक्ष को कितनी बार सीतापुर जिले में स्थानान्तरित किया गया है और कितनी शिकायतें उसकी हैं और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री मुख्तार अनीस--

तालगांव के थानाध्यक्ष को कितनी बार हटाया गया, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। सूचना लेकर बता सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्रीमन्, वर्मा जी ने एस0 पी0 से शिकायत की कि ऐसा हो रहा है और मेरी जानकारी है कि सी0 ओ0 बिसवां वहां गये और मेरी यह भी जानकारी है कि सी0 ओ0 बिसवां ने यह बात सही पायी कि पुलिस द्वारा कुछ असामाजिक तत्व वहां खड़े किये गये थे जो सभा को डिस्टर्ब कर रहे थे, यह रिपोर्ट दिया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रिपोर्ट में इस तथ्य को स्वीकार किया गया था कि बाहर से लोग लाकर मीटिंग के आस पास खड़े किये गये थे और क्या यह बात सही नहीं है कि दरोगा ने जानबूझकर सभा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की ? अगर यह सही है तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

कोई लिखित रिपोर्ट नहीं है। मौखिक रिपोर्ट दी गयी है।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि मौखिक रिपोर्ट थी यह गलत कह रहे हैं। मेरे जिले की कार्यकारिणी ने लिखित प्रस्ताव जानकी प्रसाद मौर्य के हस्ताक्षर से एस0 पी0, आई0 जी0 और गृह मंत्री को भिजवाया था। मंत्री जी असत्य बयान कर रहे हैं और सदन को भ्रम

[श्री हर गोविन्द वर्मा]
में डालने का प्रयास कर रहे हैं यह कह कर के कि मौखिक रिपोर्ट थी। मैं स्वयं जिले के एस0पी0 से मिला और उन्होंने वायरलेस किया तथा डी-वाई0 एस0 पी0 को पोस्ट किया। उन्होंने सारी जांच की और कसरैला पुल पर हमको मिले और स्वीकार किया कि कुछ व्यक्ति मौजूद थे उनको हमने हटाया है। मंत्री जी कहते हैं कि कोई घटना नहीं हुई। कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

यह प्रश्न माननीय सदस्य से सम्बन्धित है। मंत्री जी का जबाव आया है कि कोई लिखित शिकायत नहीं की। शिकायत किसी रूप में आपके सामने आ गयी चाहे वर्मा जी ने की या उनके दल के किसी व्यक्ति ने लिखकर भेजा लेकिन शिकायत की गयी और एस0पी0 ने उसकी कागनीजेन्स लिया और सी0ओ0 को भेजा। जो तथ्य कहे गये कि मीटिंग को डिस्टर्ब करने के लिये कुछ आदमी वहां लाये गये क्या यह सच है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

इसके बारे में कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि मीटिंग को डिस्टर्ब किया गया।

श्री रियासत हुसैन--

यह देखते हुए कि माननीय सदस्य को कितनी दफा जुबानी या तहरीरी शिकायत करनी पड़ती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सी0ओ0 जांच के लिये गये वह हरगोविन्द वर्मा से मिले थे और उन्होंने उसकी पुष्टि की ? इसके सम्बन्ध में क्या इत्तला है। पुष्टि नहीं की गयी तो क्यों नहीं की गयी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

वह मौके पर गये और जांच में कोई तथ्य सामने नहीं आया।

श्री रियासत हुसैन--

मेरा प्रश्न सिर्फ यह है कि जो मौखिक शिकायत की उसका कारण बतायें। जब सी0ओ0 इन्क्वायरी के लिये गये तब फिर श्री हरगोविन्द वर्मा से कहना पड़ेगा उनसे न कहने के क्या कारण है ?

श्री रणजीत सिंह जदेव--

श्रीमन्, इसमें मेरी कोई जानकारी नहीं है जब कोई खतरा हुआ नहीं था उनके साथ वह गये तो मामला फिर रफा दफा हो गया। इसमें फिर यह जरूरी नहीं था कि उनको बताया जाए।

बस्ती-नौगढ़ मार्ग पर ककरही पुल के नजदीक सड़क निर्माण

16--श्रीमती कमला साहनी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती-नौगढ़ मार्ग पर ककरही पुल के पास हुए सड़क कटान पर विगत तीन वर्षों में सड़क निर्माण हेतु कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग अभी भी यातायात के योग्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री विद्या भूषण--

बस्ती जिले मे बस्ती-नौगढ़ मार्ग पर ककरही पुल के पास सड़क कटान पर सड़क निर्माण हेतु विगत तीन वर्षों में 8.29 लाख रु0 व्यय हुआ है।

हल्के वाहनों के लिये यातायात खोल दिया गया है एवं भारी वाहनों का यातायात बाई-पास मे चालू है। मार्ग को मूल स्थिति मे लाने हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है।

इसमें कल भी यह सूचना आ गई है कि 7–2–84 से यह पूर्ण वाहनों के लिए खोल दिया गया है ।

श्रीमती कमला साहनी––

मान्यवर, गत पांच वर्षों से यहां सरकारी धन की दुरुपयोगिता हो रही है। और आज तक वह सड़क चालू हालत में नहीं है। वह हमारे घर के करीब पड़ती है। इतना पैसा खर्च हो गया। बाढ़ आई और रिंग बांध बनाया। सड़क कट गई।

श्री विद्याभूषण––

मान्यवर, वह सड़क 7–2–84 से शुरू हो गई है।

श्रीमती कमला साहनी––

मान्यवर, बाढ़ आई मैं मानती हूं। लेकिन जब रिंग बांध नहीं कटा तो सड़क कैसे कट गई ? आज तक सड़क बनी ही नहीं है। बालू पड़ी हुई है वह बांध लेते हैं और सड़क बनी ही नहीं ।

श्री विद्याभूषण––

मान्यवर, वह सड़क बालू से कटती है ।

श्रीमती कमला साहनी––

मान्यवर, एक प्रश्न और करना है ।

श्री अध्यक्ष––

मैं अब इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं और समय कम रह गया है ।

लखनऊ में तैनात आई० ए० एस० आई० पी० एस० एवं पी० सी० एस० के निजी मकान और सरकारी आवास

*17––श्री श्याम लाल बाजपेयी––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 13–10–83 को लखनऊ में तैनात कितने आई० ए० एस० एवं पी० सी० एस० तथा आई० पी० एस० संवर्ग के अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने सरकार से कर्ज लेकर मकान बनवाकर ऊंची दरों पर किराए पर उठाकर स्वयं सरकारी आवासों में रह रहे हैं ? उनसे सरकारी आवास खाली न कराने का क्या कारण है ?

श्री प्रमोद कुमार––

दिनांक 13–10–83 को लखनऊ में तैनात 19 आई० ए० एस०, 5 पी० सी० एस० तथा 14 आई० पी० एस० संवर्ग के अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने सरकार से ऋण लेकर अपने मकान बनवाये हैं और सरकारी आवास में रह रहे हैं तथा अपने निजी मकान किराये पर दिये हुये हैं ?

सरकारी निवास स्थान आवंटन नियमावली में ऐसी कार्यवाही के लिये कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी––

माननीय अध्यक्ष, जी माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मुझ यह कहना है कि माननीय मंत्री जी ने इस आदरणीय विधान सभा के साथ कैसा उत्तम मजाक किया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार से कर्जा लेकर 10 आई० ए० एस०, 5 पी० सी० एस० तथा 14 आई० पी० एस० अधिकारियों ने मकान बनाये और वह किराए पर उठाये हुये हैं ? खुद सरकारी आवासों में रहते हैं। सामान्य जनता के लिये नियम यह है कि रेन्ट कन्ट्रोल का मकान उनके पास है तो उसे छोड़ना पड़ेगा। परन्तु इस आदरणीय सदन में इस उत्तर को देते हुए माननीय मंत्री जी ने झिझक नहीं की। क्या अफसरों के लिए नियम नहीं बदला जा सकता ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन अफसरों के नाम कृपया बतलाने का कष्ट करें ।

श्री प्रमोद कुमार---

मान्यवर, आप नाम जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष---

इन नामों की आवश्यकता नहीं है, बाद में भेज दीजिएगा ।

श्री प्रमोद कुमार---

मान्यवर, जो मौजूदा नियमावली है कि जो निजी मकान रखते है, वह सरकारी मकानों में नहीं रह सकते हैं, यह इसलिए है, क्योंकि उन्हें सरकार को हाउस रेन्ट देना पड़ता है। उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। उनको सुविधा की दृष्टि से वहां रखा जाता है। अतः इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

मंत्रीजी कहते हैं कि इससे कोईलाभ नहीं होगा। मान्यवर, सरकारी धन लेकर सरकारी कर्जे से मकान बनाएं। फिर उसे दुगने तिगुने किराये पर उठाकर खुद सरकारी भवनों में रहें, जबकि आम आदमी को मकानों की इतनी किल्लत है। सामान्य जन के लिये नियम बदले जा सकते हैं फिर इन अफसरों के लिये नियम क्यों नहीं बदले जा सकते ? यह स्पष्ट करने का कष्ट करें।

श्री श्रीपति मिश्र---

माननीय सदस्य का यह सुझाव मैं बहुत उत्तम समझता हूं। चाहे सरकारी कर्मचारी हो या जनता का कोई व्यक्ति हो, अगर उसके पास एक मकान है और वह दूसरे मकान में रहता है, तो साधारणतया कोई विशेष परिस्थिति न हो, तो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वह दोनों मकान रखे। इसके लिये हम विचार करेंगे। यदि नियमों के अन्तर्गत आता है, तो कार्यवाही करेंगे और अगर नियमों में नहीं है, तो उसमें भी कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती पुष्पलता श्रीवास्तव, सोहबतिया बाग, इलाहाबाद की हत्या सम्बन्धी थाना मुट्ठीगंज में पंजीकृत मुकदमा

*18---श्री भगवती रावत---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के पुलिस थाना मुट्ठीगंज में दिनांक 16-8-83 को श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा अपनी बहन श्रीमती पुष्पलता श्रीवास्तव, उर्फ मोहिनी की हत्या उसके ससुराल वालों द्वारा किए जाने के सम्बन्ध में मुकदमा अपराध सं0 धारा 302 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत कराया गया था और तद्विषयक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव का दिनांक 18-8-83 का रजिस्टर्ड पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं मृतक मोहनी के भाई के पत्र पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव---

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना के संबंध में दिनांक 19-8-83 को श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव (निवासी 16/36 नया सोहबतियाबाग, इलाहाबाद) से सूचना प्राप्त होने पर कि उसे शक है कि उसकी बहन श्रीमती पुष्पलता श्रीवास्तव उर्फ मोहिनी की हत्या उसके ससुराल वालों द्वारा की गयी है, थाना मुट्ठीगंज, इलाहाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 252 के अन्तर्गत धारा 302 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। इस संबंध में श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव का दिनांक 18-8-83 का नहीं वरन् दिनांक 17-8-83 का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी पुलिस द्वारा की गयी। मृतक के विसरा, खून आदि को रसायनिक परीक्षक, आगरा के पास परीक्षण हेतु भेज दिया गया है।

श्री सन्त बख्श रावत---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मृतक मोहिनी के भाई ने जो प्रार्थना पत्र दिनांक 17-8-83 को दिया, जिस पर जांच क्षेत्राधिकारी ने की है, उसकी जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव---

मान्यवर, वह रिपोर्ट तीन पेज की है, उसका निष्कर्ष इस प्रकार है---

"इस मामले में मृतक के भाई एवं परिवार के लोग स्थानीय नगर पुलिस के विरुद्ध पूर्वाग्रहों से ग्रसित प्रतीत होते हैं, क्योंकि जब वादी के भाई अलोक कुमार की पत्नी के जल जाने के बाद भी अपने अन्तिम बयान में उन्हें निर्दोष बताया गया, फिर भी मृतक श्रीमती रंजना श्रीवास्तव की मृत्यु के सम्बन्ध में उसके भाई की रिपोर्ट पर थाना जार्ज टाउन में अ0 सं0 120/82 धारा 302 भा0 दं0 वि0 का मुकदमा पंजीकृत किया गया। इन सब कारणों से अरुण कुमार का नगरपुलिस पर विश्वास नहीं होगा। इस घटना में श्रीमती मोहिनी की मृत्यु का कारण वादी आमजन एवं समाचार पत्रों के अनुसार दहेज की मांग को पूरा न किया जाना व सास द्वारा प्रताड़ित किये जाने के आरोप बहुचर्चित किये जा रहे है, अतएव विनम्र निवेदन है कि मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा करायी जाए।

प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों को समाप्त किये जाने की मांग

*19---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनुपयोगी निगमों को समाप्त करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अनुपयोगिता का आधार क्या है और इसका निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जी नहीं।

प्रदेश में कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों की समीक्षा की जा रही है और इस प्रकार विचार हो रहा है कि वह किस प्रकार और उपयोगी बनाया जा सकता है।

क्षेत्र समिति बिलारी, जिला मुरादाबाद के ब्लाक प्रमुख श्री सरीन तथा श्री सोमपाल एवं श्रीमती इन्द्र मोहिनी स० वि० प० द्वारा दिया गया ज्ञापन

*20---श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 10-10-83 को क्षेत्र समिति बिलारी, जिला मुरादाबाद के प्रस्ताव संख्या 6 को लेकर वहां के ब्लाक प्रमुख श्री सरीन तथा जिला परिषद् सदस्य, श्री सोमपाल सिंह ने श्रीमती इन्द्रमोहिनी, सदस्य, विधान परिषद् के नेतृत्व में कोई ज्ञापन जिलाधिकारी, मुरादाबाद तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को तहसील बिलारी के तहसीलदार तथा थाना बिलारी के थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जी नहीं।

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

सीतापुर जिले के जहांगीराबाद पुल का उद्घाटन एवं निर्माण

1—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 81-82 में कितनी सड़कों का और पुलों का शिलान्यास किया और उसमें किस सड़क का और किस पुल का कार्य प्रारम्भ हुआ ? क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में जहांगीराबाद पुल जनता के लिये किस समय से खोला गया ? क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जहांगीराबाद पुल जो केवानी नदी पर बना हुआ है उसके उद्घाटन पर कितना खर्च आया और उस पुल का जब इस्तेमाल लगभग 6 माह पहले से प्रारम्भ हो गया था तो उद्घाटन करने का क्या औचित्य था ?

श्री विद्याभूषण—

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा 8 पुलों का शिलान्यास कराया गया जिन पर कार्य प्रारम्भ हुआ। पूर्वी क्षेत्र सा0 नि0 वि0 में एक पुल का शिलान्यास हुआ, जिस पर धनाभाव के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। पश्चिमी क्षेत्र सा0 नि0 वि0 विभाग में एक पुल तथा 7 मार्गों का शिलान्यास हुआ, जिन पर कार्य प्रारम्भ हुआ। जनपद सीतपुर में जहांगीराबाद पुल, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा निर्मित हुआ। यह सेतु दिनांक 23 फरवरी, 1982 को जनता के लिए खोला गया। इस पुल के उद्घाटन पर रु0 6639 व्यय हुआ। इस पुल का औपचारिक उद्घाटन दिनांक 10 दिसम्बर, 1982 को किया गया।

दुर्विजयगंज सराय, लखनऊ के निवासी बाबू लाल बनाम श्री शम्भू दयाल का मकान संबंधी मुकदमा

2—श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री खैरुल बशर—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 8वें मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 67 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नगत मामला श्री रूपनारायण पाठक व श्री बिशम्भर दयाल के बीच न चलकर श्री बिशम्भरदयाल पुत्र श्री बृजकिशोर श्रीवास्तव निवासी दुर्विजयगंज सराय एवं श्री बाबू लाल मालिक मकान पुत्र श्री जगदेव प्रसाद निवासी आनन्दनगर जेल रोड, आलमबाग, लखनऊ के बीच चल रहा था ? यदि हां, तो श्री पाठक (अधिकृत किरायेदार) को उक्त मकान से निकालने का क्या औचित्य था और प्रश्नगत मामले का पूरा विवरण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामला जो दुर्विजयगंज सराय लखनऊ स्थित मकान नं0 136/131 के बेचने के संबंध में हुए इकरारनामे को लेकर न्यायालय में दायर किये गये मुकदमे के संबंध में था. उक्त मकान के मालिक श्री बाबू लाल पुत्र श्री रामअंतार तथा श्री शम्भूदयाल पुत्र श्री बृजकिशोर श्रीवास्तव न कि श्री विशम्भर दयाल के मध्य चल रहा था। श्री बाबू लाल न्यायालय से मुकदमा हार गये। माननीय न्यायालय ने कोर्ट अमीन को यह आदेश दिये थे कि वह उक्त शम्भूदयाल को उसका कब्जा दिला दें और अज्ञाप्ति से बाध्य ऐसे किसी व्यक्ति को, जो खाली करने से इन्कार करें वहां से हटा दें। कोर्ट अमीन ने न्यायालय के आदेशानुसार विवादित मकान में रहने वाले श्री रूप नारायण पाठक की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी को मकान खाली करने व डिक्रीदार को कब्जा देने हेतु कहा तो उन्होंने मकान खाली करने से इन्कार कर दिया। अतः कोर्ट अमीन ने गवाहों की सहायता से श्री रूप नारायण पाठक का सभी सामान विवादित मकान से बाहर निकाल दिया और श्री शम्भू दयाल को खाली मकान का कब्जा दिलवा दिया।

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, जिला फैजाबाद के बिजली कर्मचारी संघ का ज्ञापन एवं अनशन तथा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिया गया आश्वासन

3—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना में बिजली कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी फैजाबाद को कोई ज्ञापन दिनांक 28-12-82 को उक्त संघ के किसी पदाधिकारी द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो ज्ञापन का पूर्ण विवरण क्या है तथा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां। ज्ञापन की प्रति संलग्न है। ज्ञापन में सन्दर्भित माह फरवरी, 1980 में कोई समझौता नहीं हुआ था। जहां तक ज्ञापन में उल्लिखित मुख्य मांगों के सम्बन्ध में आदेश जारी न किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की स्थिति निम्नवत् है:—

(1) वेतन जाम मंहगाई भत्ते के रेटों में बढ़ोत्तरी	राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा आवश्यक आदेश दिनांक 9 मार्च, 1983 को निर्गत किये जा चुके हैं।
(2) एक्सलाईसेन्सी फिटमेंट वेतन विसंगतियां	इस संबंध में राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा आवश्यक मार्ग दर्शन (गाइड लाइंस) के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 99 पर।)

4—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि 7 अक्तूबर, 1982 से 21051 तापीय शक्ति परियोजना, से प्रभावित सदस्यों द्वारा 14 सूत्रीय मांगों को लेकर परियोजना स्तर पर क्रमिक अनशन किया जा रहा था तथा दिनांक 28-12-82 को जिला अधिकारी, फैजाबाद अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना टाण्डा के हस्ताक्षर व लिखित आश्वासन पर अनशनकारियों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है ? यदि हाँ, तो उक्त तिथि को जिलाधिकारी व अधीक्षण अभियन्ता का लिखित आश्वासन क्या है ? क्या लिखित आश्वासन पूरा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हाँ। दिये गये आश्वासन की प्रतिलिपि संलग्न† है। लिखित आश्वासन के लगभग सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही की जा चुकी है। केवल अन्तिम बिन्दु कार्यवाही हेतु लम्बित है, जिसके विषय में परिषद् की आख्या प्रतीक्षित है।

5-6—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

(मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।)

थानाध्यक्ष, नाका हिंडोला, लखनऊ के विरुद्ध श्री रूप नारायण पाठक द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र

7—श्री सरदार सिंह, श्री उमेश्वर प्रताप सिंह तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 6 मा0 विधान सभा सदस्यों द्वारा थाना इंचार्ज नाका हिंडोला, लखनऊ के विरुद्ध 29 नवम्बर, 1982 को रूपनारायण पाठक भू0पू0 किराएदार, मकान नं0 136/131 दुर्विजयगंज सराय, लखनऊ द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट पर ध्यान न देने तथा लापरवाही करने तथा कोर्ट के उक्त आदेश को जानबूझकर होते हुए न दिखाने की शिकायत की थी ? यदि हाँ, तो मामले में फाइनल रिपोर्ट किस आधार पर लगा दी गयी ?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री श्रीपति मिश्र---

प्राप्त सूचना के अनुसार कतिपय विधायकों द्वारा अग्रसारित श्री रूप नारायण पाठक का एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक नगर कार्यालय में प्राप्त हुआ था जिसमें प्रश्नगत आशय के आरोप लगाये गये थे। जाँच से इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। अतः अभियोग की विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गयी।

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन एवं लम्बित प्रार्थना पत्र

8---प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा---

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि बाँदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन योजना कब से लागू की गयी ? लागू करने की तिथि से लेकर दिसम्बर, 79 तक कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त हुई ?

श्री सुनील शास्त्री---

वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में दिसम्बर, 1957 से लागू की गयी थी। वृद्धावस्था पेंशन के आँकड़े विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार नहीं बल्कि जनपदवार रखे जाते हैं। बाँदा जनपद में दिसम्बर, 79 तक 361 व्यक्तियों को नियमानुसार वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की गयी।

9---प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा---

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि बाँदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में जून, 1980 से लेकर अब तक कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त हुई ? कितने प्रार्थना-पत्र अभी कार्यवाही हेतु विचाराधीन हैं ?

श्री सुनील शास्त्री---

माह जून, 1980 से दिसम्बर, 83 तक बाँदा जनपद में 852 व्यक्तियों को नियमानुसार वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गयी। वृद्धावस्था पेंशन के आँकड़े विधान सभा क्षेत्रवार नहीं वरना जनपदवार रखे जाते हैं।

ग्राम पारा, जिला बस्ती निवासी श्री छोटे लाल की आवंटित भूमि संबंधी मुकदमा

10---श्रीमती कमला साहनी---

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना तेतरी, जिला बस्ती में दिनाँक 31-8-83 को छोटे लाल हरिजन निवासी ग्राम पारा के पट्टे पर जबरन कब्जा करने की 198 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पट्टेदार को सरकार शीघ्र कब्जा दिलायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जी हाँ। दर्ज किये गये अभियोग की विवेचना की जा रही है। पट्टेदार को कब्जा दिला दिया गया है।

श्री पारसनाथ यादव, कांस्टेबिल, थाना कुमारगंज, फैजाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कथित जांच

11---12-श्री कुबेर भण्डारी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री पारस नाथ यादव कांस्टेबिल थाना कुमारगंज जनपद फैजाबाद द्वारा उक्त थाने में ही नियुक्ति के दौरान किये गये भ्रष्टाचार की जाँच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की जा रही है ? यदि हाँ, तो श्री यादव का स्थानान्तरण अब तक अन्यत्र न किये जाने का क्या औचित्य है ?

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि श्री यादव के इस भ्रष्टाचार के लिए जिला प्रशासन द्वारा उन्हें चेतावनी दिये जाने की संस्तुति भी डी0 आई0 जी0 फैजाबाद रेंज को भेजी जा चुकी है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

श्री पारस नाथ यादव कान्सटेबिल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जाँच नहीं की जा रही है ? अन्य प्रश्न नहीं उठता।

बांदा बिसण्डा मार्ग पर पर धूरी तथा उमरेहडा पुल निर्माण की मांग

13--प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाँदा में बाँदा बिसन्डा मार्ग में धूरी तथा उमरेहडा के समीप पुल निर्माण की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धनाभाव के कारण ।

बांदा में राजकीय पालीटेकनिक कालेज की स्थापना का प्रस्ताव

14--प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाँदा में राजकीय पालीटेक्निक कालेज की स्थापना का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

शासनादेश सं0 6610/18-प्रा0शि0-2-270 (एम) ई डी/81, दिनाँक 21-11-83 द्वारा बाँदा में एक राजकीय पालीटेकनिक स्थापित करने की स्वीकृत प्रदान कर दी गई है। संस्था के कार्य को देखने के लिए प्रोजेक्ट आफिसर की नियुक्ति कर दी गई है। भूमि की व्यवस्था करने तथा भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

बांदा शहर में सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण की मांग

15--प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या वन मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का दिनाँक 23-3-83 का कोई पत्र बाँदा नगर में पत्र वृक्षारोपण के सम्बंध में प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं,तो क्यों ?

वन एवं पशुधन राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)--

जी हाँ। वर्ष 1983-84 की जिला योजना में शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत प्राविधानित एक लाख रुपए की धनराशि से प्रश्नगत वृक्षारोपण कार्य इस प्रतिबन्ध के साथ किया जा सकता था कि सम्बन्धित स्थानीय निकाय वृक्षारोपण में हुए कुल व्यय का आधा भाग स्वयं वहन करे। परन्तु बाँदा नगरपालिका द्वारा वाँछित धनराशि की व्यवस्था कर पाना सम्भव नहीं है। अतः उक्त योजना के अन्तर्गत वाँछित कार्य नहीं करवाया जा सकता है ।

बुन्देलखण्ड में वन निगम द्वारा जलौनी लकड़ी की आपूर्ति

16--प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या वन मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि क्या प्रश्नकर्त्ता का दिनाँक 30-3-83 का पत्र बुन्देलखण्ड में जालौनी लकड़ी की फुटकर बिक्री की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिह--

जी नहीं। इस विषय में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनाँक 13-9-82 मुख्य मन्त्री कार्यालय के पत्र दिनाँक 30-3-83 के साथ अवश्य प्राप्त हुआ जिसका उत्तर भी उन्हें प्रबन्ध निदेशक वन निगम द्वारा दे दिया गया था ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ललितपुर, झांसी, बाँदा, कर्वी तथा मानिकपुर में उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा जलौनी लकड़ी की आपूर्ति सस्ती दरों पर की जा रही है ।

सचिव, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा श्री अजमत बांदवी को दी गई आर्थिक सहायता

17--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि क्या प्रश्नकर्त्ता का दिनाँक 18 दिसम्बर, 1982 का पत्र श्री अजमत बाँदवी की आर्थिक सहायता एवं पेंशन दिलाने के सम्बन्ध में सचिव, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो 30 सितम्बर, 1983 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा एवं राष्ट्रीय एकीकरण मन्त्री (अम्मार रिजवी)--

जी हाँ। विचारोपरान्त श्री अजमत बाँदवी को अकादमी द्वारा फरवरी 83 में पाँच सौ रुपए की एक- मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ।

मुन्शीगंज-केवली मार्ग, जिला लखनऊ के निर्माण की मांग

18--श्री सन्त बख्श रावत--

प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 48 दिनाँक 8-2-83 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सा0नि0वि0 मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुन्शीगंज से केवली मार्ग जिसे महुरा तथा शेष पाँच कि0मी0 मार्ग को वर्ष 83-84 के नए प्रस्तावित छठी कड़ियों की योजना में सम्मिलित करने हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ को आदेश भेजा गया था ? यदि हाँ, तो क्या यह मार्ग वित्तीय वर्ष 83-84 में बनकर तैयार हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्याभूषण--

जी हाँ ।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत केवल एक कि0मी0 मिट्टी के कार्य एवं पुलिया निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस कार्य का पूरा किया जाना धन की उपलब्धि पर निर्भर करेगा। अवशेष चार कि0मी0 लम्बाई का निर्माण कार्य अभी जिला योजना में स्वीकृत नहीं है ।

19--श्री निर्मल खत्री--

[पहले बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 90 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

20--श्री केदार नाथ सिह--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

थाना मल्लावां, जिला हरदोई में पंजीकृत श्री राजबहादुर सिंह, श्री शेरसिंह के विरुद्ध मुकदमा

21--श्री मित्रसेन--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के थाना मल्लावाँ में अपराध सं0 42 वर्ष 1981 के अन्तर्गत एक मुकदमा धारा 147/307/148 के अन्तर्गत श्री राजबहादुर सिह आदि निवासीगण शाहपुर बसदेव के विरुद्ध कायम किया गया था ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि उक्त मुकदमें में अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी, किन्तु श्रीराज बहादुर सिह के विरुद्ध गिरफ्तारी तथा चार्जशीट की कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हाँ, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार अपराध संख्या 42/81 अभियुक्तगण, राजबहादुर सिंह, शेर बहादुर सिंह, रामसागर निवासी ग्राम शाहपुर वसुदेव व सुन्दर निवासी ग्राम ढेढ़नी सरैया थाना मल्लावाँ एवं दो अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। अभियुक्तगण शेर बहादुर सिंह व राज बहादुर सिंह दिनाँक 8-1-84 को गिरफ्तार हुए। चारों अभियुक्तों के विरुद्ध दिनाँक 17-1-84 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है जो विचाराधीन न्यायालय है। अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी व चार्जशीट की कार्यवाही में विलम्ब अभियुक्तों के फरार रहने के कारण हुआ।

मुख्य मंत्री का हलियापुर, जिला सुल्तानपुर में आगमन एवं फैजाबाद जिले के ग्राम उधरनपर निवासी श्री रामेश्वर बख्स सिंह के हाथी की दुर्घटना में मृत्यु

22--श्री मित्रसेन--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उनके हलियापुर, सुल्तानपुर दिनाँक 25 सितम्बर, 82 के आगमन के अवसर पर स्वागतार्थ श्री रामेश्वर वक्श सिंह, ग्राम उधरनपुर, तहसील बीकापुर, फैजाबाद का हाथी शोभा यात्रा हेतु मंगाया गया था और हेलीकाप्टर की आवाज से आतंकित होकर कुयें में गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी थी ? यदि हाँ, तो उस हाथी मालिक की क्या क्षतिपूर्ति की गयी और हाथी की कुल कीमत क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं। प्रश्नगत अवसर पर हाथी प्रशासन द्वारा नहीं मंगाया गया था। हाथी उसके स्वामी द्वारा स्वयं ही लाया गया था। जहाँ तक हाथी के कुयें में गिरने का प्रश्न है यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि वह किस कारण कुयें में गिरा। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

हापुड़-गाजियाबाद मार्ग पर बेलीपुल का निर्माण

23--श्री जयदीप सिंह बरार--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 127 के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थायी बेली पुल किसके द्वारा लगाया गया है और राज्य सरकार द्वारा उस के लिए आज की तिथि तक पुल लगाने और उसके किराए की मद में कितना धन व्यय किया गया है ? क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नए पुल के निर्माण कार्य का आगणन किस तिथि को भारत सरकार को भेजा गया था ?

श्री विद्या भूषण--

यह पुल सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा लगाया गया है। इस पुल के किराए पर कोई व्यय नहीं हुआ है क्योंकि उसे किराए पर नहीं लिया गया था ? उसके निर्माण और अनुरक्षण पर अब तक 3.063 लाख रु0 व्यय किया जा चुका है। नये पुल के निर्माण कार्य का आगणन दिनाँक 17-11-1981 को भारत सरकार को भेजा गया था और दिनाँक 12-3-1982 को स्वीकृत हुआ।

देवरिया जिले के हेतिमपुर-महुआडीह तथा देसई देवरिया बेतालपुर मार्ग के निर्माण की जांच

24--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनाँक 9-9-83 को टी0ए0सी0 से जाँच हेतु कोई प्रार्थना-पत्र उन्हें दिया है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री विद्या भूषण--

देवरिया जिलान्तर्गत हेतिमपुर से महुआडीह सड़क तथा देसई देवरिया से बेतालपुर सड़क पर पिच निर्माण की जाँच टी0ए0सी0 से कराने हेतु माननीय सदस्य का दिनाँक 9-9-83 के बजाय दिनाँक 7-9-83 का एक पत्र प्राप्त हुआ है और जिस पर जाँच की जा रही है।

देवरिया जिले में दुग्धशाला लगाये जाने की मांग

25--श्री नन्द किशोर सिंह---

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में वर्ष 84-85 में चीलिंग प्लान्ट (दुग्ध डेरी) लगाने की योजना पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह---

जी नहीं ।

छठी पंचवर्षीय योजना में केवल आपरेशन फ्लड क्षेत्रों में ही नई दुग्धशाला स्थापित करने की योजना है। देवरिया जनपद आपरेशन फ्लड-2 योजना में शामिल न होने के कारण इस जनपद में नई दुग्धशाला नहीं स्थापित की जा रही है। गैर आपरेशन फ्लड क्षेत्रों में पूर्व स्थापित दुग्धशालाओं को ही पहले पुनर्जीवित करने की रणनीति अपनाई गयी है।

देवरिया जिले के ग्राम चौरा चौरी एवं मेहड़ा में पालीटेक्निक भवन के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण

26--श्री नन्दकिशोर सिंह---

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत देवरिया बैतालपुर सड़क पर चौरा-चौरी ग्राम तथा [illegible] 25 एकड़ जमीन पालीटेक्निक भवन हेतु अधिग्रहीत की गयी है ? यदि हाँ, तो प्रभावित किसानों को एक लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री---

देवरिया जिलान्तर्गत तिलहट परगना के ग्राम चौरा-चौरी में 3.87 एकड़ तथा ग्राम मेहड़ा में 19.035 एकड़ जमीन राजकीय पालीटेक्निक भवन हेतु अधिग्रहीत करने हेतु अधिसूचना जारी की गयी है। इसमें से जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की जायगी उन्हें पर्याप्त मुआवजा, जो बाजार मूल्य पर अनुबन्ध होगा देने की योजना है ।

देवरिया जिले के ग्राम हैतिमपुर--महुआडीह सड़क के निर्माण की मांग

27--श्री नन्दकिशोर सिंह---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत हैतिमपुर से महुआडीह सड़क वर्ष 1983-84 तक पीच हो जायगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री विद्याभूषण---

जी नहीं।

धनाभाव के कारण ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दो फेस में विद्युत आपूर्ति की मांग

28--श्री नन्द किशोर सिंह---

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग लाइट (प्रकाश) हेतु कनेक्शन लिए हैं उन्हें 6 बजे शाम से 12 बजे रात तक 2 फेस में विद्युत देने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त---

राज्य विद्युत परिषद् की वर्तमान नीति के अनुसार जिन ग्रामों की जनसंख्या सन् 1981 की जनगणना के अनुसार 15000 से अधिक है केवल उन्हें प्रकाश हेतु प्रतिदिन सायं 5 बजे से दूसरे दिन प्रातः 5 बजे तक 2 फेस विद्युत आपूर्ति की जा रही है। विद्युत की वर्तमान उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में दो फेस प्रकाश व्यवस्था करना सम्भव नहीं है ?

देवरिया जिले के विकास खण्ड देसही देवरिया के ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

29––श्री नन्दकिशोर सिंह––

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत विकास खण्ड देसही-देवरिया का ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 83–84 में विद्युतीकरण हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त––

देवरिया जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड देसही देवरिया में एक गांव का राज्य सामान्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 83–84 में विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। लेकिन कोई भी आवेदन-पत्र इस विकास खण्ड के किसी भी ग्राम से कनेक्शन लेने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण विद्युतीकरण के खर्चे पर 15 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ मिलने की सम्भावना नहीं है। अतः इस खण्ड के अन्तर्गत किसी भी गांव का एल0टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकरण सम्भव नहीं है।

श्री बाबूराम सिंह ग्राम महमदपुर, जिला जौनपुर की बस को जलाये जाने की घटना एवं क्षतिपूर्ति की मांग

30––श्री निर्मल खत्री––

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बाबू राम सिंह पुत्र श्री भरतरी सिंह ग्राम महमदपुर पो0 मरहट थाना खुटहन जनपद जौनपुर की बस जिसका नं0 यू0पी0जेड0 198 (48 सीटेड) था को उपरोक्त थाने की पुलिस द्वारा 8 जुलाई, 1979 की रात में मौजा सफीपुर ले जाकर जला दी गयी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बस मालिक की प्रार्थना पर जांच कराई गयी ? यदि हां, तो रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र––

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित बस पुलिस द्वारा नहीं बल्कि ग्रामीणों द्वारा जलाई गयी थी। बस मालिक से प्राप्त प्रार्थना-पत्र की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की गयी। जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है। जांच के फलस्वरूप दोषी पाए गये व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र धारा 395/397/333/427/412 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत न्यायालय प्रेषित किया गया।

31––श्री निर्मल खत्री––

क्या गृह मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1979 में जली उक्त बस यू0पी0जेड0 198 को शासन द्वारा क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन कराया गया ? यदि हां, तो उस बस का कितना मूल्य लगाया गया और प्रार्थी को उसकी क्षतिपूर्ति दे दी गयी ? यदि नहीं, तो बस मालिक को क्षतिपूर्ति देते समय वर्तमान समय के बस मूल्य के आधार पर उसकी क्षतिपूर्ति कराई जायगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र––

प्राप्त सूचनानुसार क्षतिग्रस्त बस की क्षति का मूल्यांकन शासन द्वारा नहीं कराया गया है। अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता। अभियुक्तों को बस को क्षतिग्रस्त करने का दोषी पाये जाने की स्थिति में धारा 357 उपधारा 1 (बी) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बस मालिक को क्षतिपूर्ति का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है।

श्री गिरीश चन्द्र शर्मा उप दुग्धशाला विकास अधिकारी बरेली मण्डल का विचाराधीन स्थानान्तरण

32––श्री धनी राम वर्मा––

क्या पशुपालन एवं दुग्ध विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गिरीश चन्द्र शर्मा उप दुग्धशाला विकास अधिकारी जो इस समय बरेली मण्डल के दुग्धशाला विकास अधिकारी भी हैं एवं बरेली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के दुग्धशाला प्रबन्धक भी हैं, अपने गृह जनपद बरेली में ही कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री संजय सिंह--

जी हां।

तात्कालिक आवश्यकता के कारण यह व्यवस्था की गयी थी। इनको अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा रहा है।

थाना कोतवाली, जिला हरदोई में श्री सोम प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा लिखाई गई चोरी की रिपोर्ट

33--श्री श्याम नारायण तिवारी--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना कोतवाली हरदोई में दिनांक 9/10-6 80 को हुई चोरी में एफ0आई0आर0 नं0 476 यू0एस0 475 आई0पी0सी0 के तहत दर्ज कराई गयी है? क्या यह सही है कि उक्त चोरी का सामान थाना बेनीगंज में बरामद होकर मालखाने में खराब हो रहा है? जिसके विरुद्ध वादी श्री सोम प्रकाश श्रीवास्तव जो शारीरिक विकलांग हैं, ने पुलिस अधीक्षक हरदोई को दिनांक 21-4-82 को प्रार्थना-पत्र प्रेषित करके सामान प्राप्ति एवं जान माल की सुरक्षा हेतु दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

उक्त चोरी का सामान थाना बेनीगंज में ही नहीं बल्कि थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में भी बरामद हुआ है और सदर मालखाने में जमा है। मुकदमें के निर्णय में हो रहे विलम्ब के कारण माल खराब होने की सम्भावना है।

पुलिस अधीक्षक हरदोई के कार्यालय अभिलेखों के अनुसार वादी श्री सोम प्रकाश श्रीवास्तव का प्रार्थना-पत्र दिनांक 21-4-82 प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है। इस सबंध में वादी से पूछने पर विदित हुआ माल की वापसी हेतु उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था परन्तु न्यायालय द्वारा माल को मुकदमें के बाद वापस दिए जाने के आदेश पारित किए गये हैं।

वादी लंगड़ा कर चलता है और उसकी सुरक्षा हेतु मोहल्ले में गश्त का उचित प्रबन्ध कर दिया गया है।

34---श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

[मन्त्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश के ब्लाकों में जलौनी लकड़ी की दूकान खोले जाने की मांग

35---श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त के प्रत्येक ब्लाक में जलौनी लकड़ी की वन निगम की दुकान खोलवाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संजय सिंह--

जी नहीं। जलौनी लकड़ी की व्यवस्था उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा की जाती है तथा निगम अभी अपने सीमित संसाधनों से प्रत्येक जिले के मुख्यालय एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर जलौनी लकड़ी की दुकान खुलवाने के लिए प्रयत्नशील है।

जिला गोंडा के डकैत श्री अर्जुन पासी की मुठभेड़ में मृत्यु और थानाध्यक्ष श्री बालादीन यादव की पदोन्नति की मांग

36--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में कुख्यात डकैत अर्जुन पासी को मुठभेड़ में वीरता पूर्वक मारने वाले थानाध्यक्ष श्री बालादीन यादव की पदोन्नति का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो पदोन्नति कब तक होने की आशा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र---

थानाध्यक्ष श्री बालादीन यादव की पदोन्नति का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

अन्य प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला बोंडा में जिला योजना के अंर्न्तगत मार्गों का निर्माण

37---श्री उमेश्वर प्रताप सिह---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में जिला योजना 1981-82, 1982-83, 1983-84 जो स्वीकृत की गयी थी उस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कार्य नहीं आरम्भ किया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री विद्या भूषण---

वर्ष 81-82 में जिला योजना का आरम्भ नहीं हुआ था। वर्ष 1982-83 में गोण्डा जनपद में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 39 मार्गों में 33 पर कार्य आरम्भ हो गया है। 5 मार्गों पर अभी तक भूमि के उपलब्ध न हो सकने तथा एक मार्ग पर स्वीकृत लागत के अन्तर्गत कार्य करने में कठिनाई होने के कारण कार्य आरम्भ नहीं हो सका है।

वर्ष 1983-84 में जिला योजना के अन्तर्गत गोण्डा जनपद में अभी तक कोई कार्य स्वीकृत नहीं है ।

गोंन्डा जिले की भभुआ पुलिस चौकी

38---श्री उमेश्वर प्रताप सिह---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में पुलिस चौकी भंभुआ को रिपोर्टिग चौकी बनाने का निर्णय सरकार ले चुकी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जनपद गोण्डा में थाना कर्नेलगंज के अन्तर्गत ग्राम भंभुआ में रिपोर्टिग चौकी स्थापित किए जाने का कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया है ? उक्त ग्राम में जिला नियतन से स्टाफ लेकर एक अस्थायी पुलिस चौकी स्थापति कर दी गयी है ।

श्री गिरराज शाह, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर को पुस्तकें लिखने हेतु प्रदान की गई अनुमति

39---श्री यदुनाथ सिह---

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गिरराज शाह, वर्तमान पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर ने अब तक कितनी पुस्तकें लिखी एवं प्रकशित कराई हैं तथा क्या सरकार ने इन पुस्तकों को लिखने एवं प्रकाशित कराने की अनुमति उन्हें दी है ? यदि हां, तो अनुमति कब दी गयी और अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र---

श्री गिरिराज शाह वर्तमान पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर ने अब तक कुल पांच पुस्तकें लिखी और प्रकाशित कराई हैं। इन पुस्तकों में से दो पुस्तकों "किंग्डम आफ गार्डर्स उत्तरकाशी" तथा 'वाण्डरिंग इन दि वैली आफ फ्लावर्स' के प्रकाशन हेतु क्रमशः दिनांक 7 जुलाई, 1976 तथा 21 अगस्त, 1979 को अनुमति दी गयी थी। यह अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी गयी थी कि पुस्तकों में तथ्य अथवा मत सम्बन्धी कोई ऐसा कथन नहीं हो जिसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा अन्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की किसी वर्तमान अथवा हाल की नीति या कार्य की कोई प्रतिकूल आलोचना की गयी हो।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती पत्र

40—श्रीमती कमला साहनी—

क्या सरकार को जानकारी है कि स्थायी सा0 निर्माण विभाग, बस्ती में कार्यरत कुछ कर्मचारियों के अनियमित कार्यों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता विधायक का पत्र दिनांक 9-3-83 राज्य मन्त्री सा0नि0 विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नगत शिकायत पर जांच की जा रही है ।

श्री गिरीश चन्द्र शर्मा, दुग्धशाला प्रबन्धक बरेली के विरुद्ध सी० आई० डी० द्वारा जांच

41—श्री धर्नीराम वर्मा—

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गिरीश चन्द्र शर्मा, जोकि इस समय दुग्धशाला प्रबन्धक बरेली हैं उनके विरुद्ध जब वे दुग्ध निरीक्षक के पद पर मुरादाबाद जनपद में कार्यरत थे, ने अपने अधीनस्थ चपरासी की मृत्यु हो जाने के पश्चात भी चपरासी का वेतन वर्ष 1975-76 में आहरित किया ? इस सम्बन्ध में सी0आई0 डी0 द्वारा चल रही जांच में क्या परिणाम घोषित हुआ तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

जी नहीं। लेकिन श्री शर्मा के विरुद्ध सन् 1972-73 के मामले को लेकर जांच प्रगति पर है। सी0आई0डी0 ने अभियोजन चलाये जाने की सस्तुति की है, जो शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर वर्ग/अवर वर्ग सहायक परीक्षा में सफल सहायकों की सूची

42—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 1970 में उत्तर प्रदेश सचिवालय, प्रवर/अवर वर्ग सहायक परीक्षा, लोकसेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा दी गयी थी ? यदि हाँ, तो इस परीक्षा में सफल प्रवर/अवर वर्ग सहायकों की संख्या क्या थी ? क्या इस परीक्षा में सफल अवर वर्ग सहायकों की मुख्य सूची के अतिरिक्त कोई अन्य सूची (अनप्लेस सहायक) भी थी ? यदि हाँ, तो उनमें कितने लोग थे ? क्या इन लोगों में से किसी का नाम आयोग द्वारा भेजी गयी अवर वर्ग सहायकों की मुख्य सूची में सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा भेजा गया है ? यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। परीक्षा में सफल प्रवर तथा अवर वर्ग सहायकों की संख्या क्रमशः 218 तथा 472 थी। मुख्य सूची के अतिरिक्त सफल अवर वर्ग सहायकों की कोई अन्य सूची आयोग से प्राप्त नहीं हुई थी ?

प्रधान अध्यापक, प्राइमरी स्कूल, जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

43—श्री मसरूर जाफरी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-7-83 से 3-10-83 तक कितने शिकायती प्रार्थना-पत्र अध्यापक प्राइमरी स्कूल जैतीपुर, विकास क्षेत्र जैतीपुर, जिला शाहजहाँपुर को प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्नगत अवधि में प्रधानाध्यापक बेसिक प्राइमरी पाठशाला, जैतीपुर के विरुद्ध कुल तीन पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुए। जाँच से प्रधानाध्यापक श्री गयाराम के विरुद्ध लगाए गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

मुख्यालयों पर नियुक्त अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के पुलिस अधीक्षक

44--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुख्यालयों पर कार्यरत पुलिस अधीक्षकों में अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति से सम्बन्धित लोगों की क्रमशः संख्या क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जिला मुख्यालय पर कार्यरत पुलिस अधीक्षकों में अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति से सम्बन्धित लोगों की संख्या क्रमशः 15 एवं 1 है।

सूचना विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

45--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या सूचना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम लाल, विधायक (सीतापुर) का एक पत्र सूचना विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की विजीलेंस एवं सी0आई0डी0 द्वारा जाँच कराने के सन्दर्भ में दिनाँक 12-8-83 को श्री योगेन्द्र नारायण, सचिव, मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हाँ।

विभागीय स्तर पर जाँच की गयी। कोई आपत्तिजनक बात नहीं पाई गयी।

राज्य कताई मिल, अकबरपुर के श्रमिकों से संबंधित जांच रिपोर्ट

46--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनाँक 30-3-83 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या पत्र की प्रतिलिपि तथा उसमें उल्लिखित अति0 श्रमायुक्त, उ0प्र0 कानपुर के निर्णय को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हाँ। माननीय सदस्य के पत्र दिनाँक 30-3-83 की प्रतिलिपि संलग्न है। तत्कालीन अति0 श्रमायुक्त श्री हरिकृष्ण कौल द्वारा दिया गया निर्णय दिनाँक 14-9-78 निम्नवत् है :--

1--जाँच जिस स्टेज से छोड़ी गयी है पुनः प्रारम्भ की जाय व श्रमिकों को अपने डिफेंस के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाय। इस जाँच में यदि प्रबन्धक अपनी ओर से किसी और गवाह का बयान भी लिखाना चाहें तो लिखवा सकते हैं। यदि प्रबन्धक चाहें तो वह श्री एस0सी0 अग्रवाल से ही जाँच करायें य किसी अन्य सक्षम अधिकारी से।

2--स्टेटस क्यू एन्टी रेस्टोर किया जाय यानी यह सातों श्रमिक लगातार अपने डिसमिसल की तिथि से निलम्बित समझे जायं व उन्हें देय सबसिस्टेंस एलाउन्स दिया जाय। डिसमिसल का आदेश वापस लिया जाय।

3--यदि जाँच के उपरान्त सभी अथवा कुछ चार्जशीटेड श्रमिकों के विरुद्ध प्रबन्धकों की नजर में अभियोग सिद्ध होते हैं तो ऐसे श्रमिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने में स्वतन्त्र व सक्षम होंगे।

4--यदि इन सात श्रमिकों में से किसी की जाँच के उपरान्त प्रबन्धक दंडित करते हैं तो श्रमिकों का यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे वैधानिक रूप से अपनी माँग उठाए।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ पर)

कस्बा साण्डी, हरदोई का क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर

47—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री खैरुल बशर—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि कस्ब साँडी, जनपद हरदोई में एक ट्रांसफार्मर (मीठा कुआँ) स्थित हाल ही में जल गया था, जिसमें सरकार का लाखों रुपया का नुकसान एवं लगभग एक माह तक आधे कस्बे का विद्युत आपूर्ति पूर्णतया बन्द रहने से उपभोक्ताओं का हजारों रुपयों का नुकसान हो गया ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस क्षति की पूर्ति एवं लापरवाही के जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

प्रश्न में वर्णित ट्रांसफार्मर दिनाँक 28-7-83 को खराब हुआ और इसके स्थान पर 4-8-83 को एक नया ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। इस सप्ताह के दौरान प्रभावित क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति नवाबगंज मोहल्ले में स्थित ट्रांसफार्मर द्वारा की गयी। क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर की कीमत लगभग 22,000 रु0 है और इसकी मरम्मत पर उपरोक्त बहुत ही कम खर्च होने का अनुमान है। उपरोक्त ट्रांसफार्मर किसी व्यक्ति की लापरवाही से नह अपितु ट्रांसफार्मर में आन्तरिक दोष उत्पन्न हो जाने के कारण क्षतिग्रस्त हुआ। अत किसी भी क्षतिपूर्ति अथवा लापरवाही के लिए जिम्मेदार निर्धारित करने का प्रश्न नह उठता।

पर्वतीय जिलों के राजकीय पाली टेक्निकों में अध्यापकों के रिक्त पद

48—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या सरकार बतालाने की कृपा करेगी कि पर्वतीय जिलों में 30 जनवरी, 80 व 31-1-83 को राजकीय पोलिटेक्निकों में क्रमशः कितने अध्यापकों के स्थान कब से रिक्त पड़े हुए हैं ? उनके न भरे जाने के क्या कारण हैं ? क्या इन स्थानों को शीघ्र भरने के लिए इन्हीं जिलों में उपलब्ध अपेक्षित अभ्यर्थियों को वरीयता देकर शीघ्र नियुक्त किए जाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

49—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[दूसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 106 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

50-51—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[मन्त्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

ग्राम नेवलगंज, उन्नाव में चोरी की घटना

52—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत माह जून, जुलाई, 1983 से अब तक ग्राम नेवलगंज, तहसील व थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव में कितनी चोरियों की घटनाएं थाने में पंजीकृत की गयीं ? क्या यह भी सही है कि उन सभी चोरियों में से एक भी चोरी के मुल्जिमानों को स्थानीय पुलिस अब तक नहीं पता लगा सकी ? इसके लिए कौन पुलिस अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध अब तक कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम नेवलगंज, तहसील व थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव में 1 जून, 83 से 30 अक्तूबर, 83 तक केवल एक चोरी की घटना घटित हुई जिसका मुकदमा अपराध संख्या 78/83 धारा 457/380 भा0दं0वि0 थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव में दिनाँक 19-7-83 पंजीकृत हुआ।

विवेचना में चोरी हुई सम्पत्ति व मुल्जिम का पता नहीं चल सका।

इसके लिए कोई पुलिस अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा नगर कालोनी, लखनऊ के आवासों में बनायी गई चहारदीवारी

53—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा नगर कालोनी, राजकीय के कितने आवासों में चहारदीवारी की व्यवस्था की गयी है? यदि नहीं, तो उक्त कालोनी में कुछ अध्यासियों ने जो चहारदीवारी बना ली है उसे हटाने के लिए रा0 सम्पत्ति वि0 द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री श्रीपति मिश्र—

इन्दिरा नगर राजकीय कालोनी के किसी भी आवास में चहार दीवारी की व्यवस्था शासन द्वारा नहीं की गयी है। जिन कतिपय अध्यासियों ने अनधिकृत रूप चहार दिवारी बना ली है उन्हें हटाने के लिए सम्बन्धित अध्यासियों को नोटिस दी गयी है?

भूतपूर्व विधायकों की लाश को सरकारी खर्च पर उनके निवास स्थान पर पहुंचाये जाने की मांग

54—श्री रघुवीर सिंह यादव—

क्या सरकार पेंशन पाने वाले भूतपूर्व विधायकों की मृत्यु उसके निजी निवास स्थान से बाहर होने की दशा में स्वयं अपने खर्चे से उसकी लाश को उसके निजी निवास स्थान तक पहुंचाने के विषय पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

इस पर सरकार विचार कर रही है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लाश को सरकारी खर्च पर उनके निवास स्थान पर पहुंचाये जाने की मांग

55—श्री रघुवीर सिंह यादव—

क्या सरकार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु उसके निवास स्थान के अतिरिक्त कहीं बाहर होने की दिशा में अपने खर्चे से उसके मकान तक उसकी लाश को पहुंचाने के सम्बन्ध में विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो जाने पर अन्तिम संस्कार हेतु उनके आश्रित को 500 रुपए का अनुदान दिया जाता है। अतः स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु उसके निवास स्थान से अन्यत्र कहीं बाहर होने पर उसकी लाश को सरकारी खर्चे पर उसके निवास स्थान तक पहुंचाने के निमित्त नियमों में वर्तमान में कोई प्राविधान नहीं है।

बाराबंकी जिले की रुदौली–सैदपुर–भौली सड़क का निर्माण

56—श्री यमुना प्रसाद—

क्या सार्वजनिक निर्माण कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में रुदौली से सदपुर वाया भौली सड़क को डामराइज्ड करने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति दी गयी थी? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा? क्या मन्त्री जी को यह भी जानकारी है कि उक्त सड़क हेतु मड़हा नदी पर पुल बनाय गया था, जो इस बरसात में टूट गया है? यदि हां, तो सरकार कब तक नए पुल का निर्माण करायेगी?

श्री विद्या भूषण—

जी नहीं। मार्ग केवल खड़ंज स्तर तक स्वीकृत है।

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

मड़हा नदी पर पुल नहीं बनाया गया था बरसात में टूटने का प्रश्न नहीं उठता है।

नए पुल के निर्माण हेतु दिसम्बर, 1983 में स्वीकृति दे दी गयी है।

श्री झिल्लूराम विश्वकर्मा अवर अभियन्ता, सांडी, जिला हरदोई का स्थानान्तरण

57--श्री कुंवर सिंह नेगी--

द्वितीय सत्र 1983 के पहले मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के सम्बन्ध में ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण कब और कहां किया गया तथा क्या उसे अभी तक रिलीव किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

श्री झिल्लू राम विश्वकर्मा, अवर अभियन्ता सांडी, जनपद हरदोई की स्थानान्तरण मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, लखनऊ के आदेश दिनांक 25-6-1983 द्वारा विद्युत वितरण मण्डल, गोंडा कर दिया गया था। अधिशासी अभियन्ता हरदोई को उक्त आदेश शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त प्राप्त हो पाए थे जिसके फलस्वरूप श्री विश्वकर्मा को उस समय कार्यमुक्त नहीं किया जा सका। अब उन्हें वर्तमान शिक्षा सत्र के समाप्त होने तक कार्य-मुक्त कर दिया जायगा ।

बस्ती जिले की शोहरतगढ़ बानगंगा सड़क हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

58--श्रीमती कमला साहनी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के शोहरतगढ़ बानगंगा सड़क के लिए ग्राम सभा परसोहिया के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किए जाने के बावजूद मुआवजा अब तक न देने का क्या कारण है ? क्या सरकार मुआवजे का शीघ्र भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

बस्ती जनपद में शोहरतगढ़ बानगंगा सड़क के निर्माण के लिए ग्राम सभा परसोहिया के किसानों की भूमि डी0आई0आर0 के अन्तर्गत ली गयी थी तथा मार्ग का निर्माण किया गया था। मार्ग के सर्वेक्षण में परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप अधिग्रहीत की गयी भूमि का दुबारा प्रस्ताव न भेजे जाने के कारण मुआवजा अब तक नहीं दिया जा सका है। भू-अर्जन के प्रस्ताव अब बनाकर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी गोरखपुर को भेज दिया गया है। अधिसूचनाएं जारी होने पर मुआवजे का भुगतान प्रभावित भूस्वामियों को शीघ्र कर दिया जायगा ।

प्रदेश के जिलों में ए० डी० जी० सी० की नियुक्ति का आधार

59--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपदों में ए0डी0 जी0सी0 की नियुक्तियों का आधार क्या है ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

प्रदेश के जनपदों में शासन द्वारा फौजदारी राजस्व तथा दीवानी पक्ष में ए0डी0जी0 सी0 के पदों पर नियुक्तियां जिला जज की परामर्श से जिलाधिकारी द्वारा भेजे पैनल में से की जाती है ।

बड़ा गांव चिलबिलिया कुरू व अनेई-कालिकाधाम मार्ग का निर्माण

60--श्री उदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बड़ागांव-चिलबिलिया कुरू मार्ग व अनेई-कालिका धाम मार्ग, जिला वाराणसी की डी0पी0यू0 तकी अस्थायी खण्ड, ज्ञानपुर वाराणसी को दे दिया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में अधिशासी से एक पत्र मुख्य अभियन्ता पूर्व वाराणसी को 6 अगस्त, 1983 को तथा सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को सितम्बर, 83 को दिया थी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री विद्याभूषण

जी हां ।

जी हां ।

इन पर विचार किया जा रहा है ।

उपनिदेशक मत्स्य पालन विभाग बलिया के विरुद्ध शिकायती पत्र

64––श्री ऊदल––

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक मत्स्य पालन विभाग बलिया के बारे में प्रश्नकर्त्ता ने वन मन्त्री को 1 सितम्बर, 83 को एक शिकायती-पत्र दिया है कि इनके कार्यकाल में प्लान पूरा नहीं हुआ जीप का दुरुपयोग मत्स्य पालन ठीक से योजना के मुताबिक नहीं कराया जा रहा है और बजट का दुरुपयोग तथा टी०ए० व डी० ए० का गलत चार्ज किया जा रहा है ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री संजय सिंह––

जी हां पत्र दिनांक 1–9–1983 प्राप्त हुआ था। शिकायती-पत्र मे उल्लिखित शिकायतों की जांच कराई गयी परन्तु शिकायतें निराधार पाई गयीं ।

थाना मुगरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर के अन्तर्गत डकैती की घटनाएं

62––श्री ऊदल––

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मुगरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर के थानाध्यक्ष के खिलाफ प्रश्नकर्त्ता ने मुख्य मन्त्री को 8 सितम्बर, 83 को कई डकैतियों आदि में कार्यवाही न करने के बारे में पत्र दिया था ? यदि हां तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र––

प्रश्नकर्त्ता का प्रश्नगत पत्र शासन को प्राप्त हुआ है जिसमें अंकित आरोपों की जांच कराई गयी। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

प्रदेश में अभियोजन अधिकारियों एवं सहायक अभियोजन अधिकारियों के रिक्त पदों पर और उनके स्थायीकरण की मांग

63––श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय तथा श्रीमती धनेश्वरी देवी तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ––

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 30 सितम्बर को उत्तर प्रदेश में सहायक अभियोग अधिकारियों तथा अभियोजन अधिकारियों के कुल कितने स्थायी तथा अस्थायी पद थे तथा उक्त दोनों प्रकार के स्थायी पदों में से कितने पद रिक्त हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र––

दिनांक 30 सितम्बर, 1983 को उत्तर प्रदेश में सहायक अभियोजन अधिकारियों के कुल 697 स्थायी तथा 31 अस्थायी पद थे। इसी प्रकार अभियोजन अधिकारियों के कुल 83 स्थायी तथा 46 अस्थायी पद थे। सहायक अभियोजन अधिकारी के 697 स्थायी पद के सापेक्ष 416 पद रिक्त हैं तथी अभियोजन अधि कारियों के 83 स्थायी पदों के साक्षेप को स्थायी पद रिक्त नहीं है ।

64––श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्रीमती धनेश्वरी देवी तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ––

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 77 तक गृह विभाग में कुल कितने सहायक अभियोजन अधिकारी तदर्थ रूप से नियुक्त किए गये थे ? उनमें से कितने सहायक अभियोजन अधिकारी ऐसे हैं जो 1 जनवरी 1977 को या उनसे पूर्व वर्ष या उससे अधिक समय से नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और कार्मिक विभाग

शासनादेश संख्या 19/8-75(2)का/, दिनांक 14 मई, 79 के अन्तर्गत स्थायी पदों के रिक्त होते हुए भी स्थायी नहीं किए गये हैं। क्या शासन इस सम्बन्ध में उक्त शासनादेश के अन्तर्गत स्थायी किए जाने की अर्हता सीमा के अन्दर आने वाले कर्मचारियों को स्थायी करने तथा विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र---

1 जनवरी, 1977 तक गृह विभाग में कुल 127 सहायक अभियोजन अधिकारी तदर्थ रूप से नियुक्त थे। इनमें से दिनांक 1 जनवरी, 1977 को या उससे पूर्व 3 वर्ष या उससे अधिक समय से तदर्थ आधार पर नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारियों की कुल संख्या 46 है। कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 19/8-75(2)का0-1 दिनांक 14 मई 1979 का सम्बन्ध स्थायीकरण से नहीं है। उक्त शासनादेश का सम्बन्ध विनियमितीकरण से है और इस बारे में यथोचित आदेश जारी किए जा चुके हैं। अतः विलम्ब के लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी जिले की रुदौली बाराबंकी कोलवा सड़क के निर्माण की मांग

65---श्री यमुना प्रसाद---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में रुदौली से बारावाँ बाया कोलवा सड़क के निर्माण हेतु शासन द्वारा स्वीकृति दे दी गयी थी ? यदि हाँ, तो कब तथा कहाँ से कहाँ तक ? उक्त कार्य के अब तक पूर्ण न होने के क्या कारण है ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायगा ? क्या सरकार उक्त सड़क पर मड़हा नदी पर पुल निर्माण कराने की कृपा करेगी ?

श्री विद्या भूषण---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चमोली जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण

66---श्री कुंवर सिंह नेगी---

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में वर्ष 1982-83, एवं 1983-84 में ग्रामीण विद्युतीकरण का क्या लक्ष्य निर्धारित था और लक्ष्य के विपरीत 30-9-83 तक क्या उपलब्धि रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त---

जनपद चमोली में वर्ष 82-83 एवं वर्ष 83-84 में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित थे---

वर्ष 1982-83 लक्ष्य	82-83	83-84
1---ग्रामों का विद्युतीकरण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा द्वारा	55	66
2---एल0टी0 मेन्स बिछाकर गाँवों का विद्युतीकरण	55	66
3---हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण	45	56

1-4-82 से 30-9-83 तक कुल प्रगति--

1--ग्राम विद्युतीकरण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार 72

2--एल0टी0 मेन्स बिछाकर 72

3--हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण 116

बांदा जिले के थाना अतर्रा में पंजीकृत अपराध

67--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बाँदा के अतर्रा थाने में दिनाँक 17-10-78 को दर्ज अपराध संख्या नं0 160 धारा 409 और 420 को सी0आई0डी0 को दे दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या जाँच 30 दिसम्बर, 83 तक पूरी हो जायगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हाँ। परन्तु मामले से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेखों के प्राप्त न होने के कारण जाँच पूरी नहीं की जा सकी है।

बुन्देलखंड क्षेत्र में छुट्टा जानवरों की समस्या

68--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि प्रश्नकर्त्ता ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम राज्य-स्तरीय समिति की दिनाँक 19-5-83 को बैठक में बुन्देलखण्ड में छुट्टा जानवरों (अन्ना प्रथा) की समस्या को समाप्त करने की माँग की थी? यदि हाँ, तो शासन ने 10 अक्तूबर, 1983 तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

जी हाँ। 10 अक्तूबर, 1983 तक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 47 छुट्टा एवं जंगली पशु पकड़े गये।

बांदा जिले की बांदा विसंडा मार्ग पर पुल निर्माण की मांग

69--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि क्या जनपद बाँदा में बाँदा-विसण्डा मार्ग में घूरी तथा उमरेहड़ा ग्राम के समीप पुल निर्माण वर्ष 83-84 या 84-85 में करा दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

जी नहीं।

धनाभाव के कारण।

बांदा जिले में राजकीय पालीटेक्निक कालेज की स्थापना की मांग

70--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या जनपद बाँदा में वर्ष 84-85 में राजकीय पालीटेक्निक कालेज खोलने पर विचार किया जायगा? यदि हाँ, तो पूर्ण ब्योरा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

1983-84 में बाँदा में राजकीय पालीटेक्निक स्थापित करने का आदेश प्रदान कर दिया गया है और 1984-85 में आवश्यक भवन निर्मित कराने का विचार है। भूमि, आवश्यक भवन व साज-सज्जा की व्यवस्था करने के पश्चात् इस संस्था में सत्र 1985-86 से प्रशिक्षण प्रारम्भ करने का विचार है।

श्री जितेन्द्र सिंह ग्राम रुस्तमपुर जिला बलिया के विरुद्ध मुकदमा समाप्त करने संबंधी प्रार्थना पत्र

71—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री जितेन्द्र सिंह, ग्राम रूस्तमपुर थाना बाँसडीह, रोड, जनपद बलिया का झूठे मुकदमें की वापसी का प्रार्थना-पत्र दिनाँक 17-1-83 न्याय (रिट) अनुभाग, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। श्री जितेन्द्र सिंह का अपराध संख्या 211 ए/82 के वापसी के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ।

अभियोजन वापसी के सम्बन्ध में कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ।

72—श्री सूबेदार सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

बस्ती जिले के चिलिहिया पलटी देवी मार्ग पर जमुआर नाले पर पुल का निर्माण

73—श्रीमती कमला साहनी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में चिल्हिया पल्टा देवी मार्ग पर जमुआर नाले पर पायल ब्रिज बनाने का टेण्डर कब हुआ और कार्य कब शुरु किया गया ? पायल ब्रिज आवागमन योग्य कब तक हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

पाइल ब्रिज का टेण्डर 5-10-81 को प्राप्त हुआ तथा कार्य 11-8-1982 को प्रारम्भ किया गया और स्वीकृत कार्य पूर्ण हो चुका है। किन्तु पुल की स्वीकृति लम्बाई आवश्यकता से कम पाई गयी अतः पुल को यातायात के योग्य बनाने के लिए पुल के विस्तार का कार्य दिसम्बर, 1983 में स्वीकृत किया गया है ।

तहसील चुनार जिला मिर्जापुर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय भवन का कथित निर्माण

74—श्री राम चरण सिंह—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील चुनार, जनपद मिर्जापुर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय का निर्माण इस समय हो रहा है ? यदि हां, तो इस न्यायालय का निर्माण कब तक पूर्ण होगा ? जिला मुख्यालय से मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय कब तक चुनार स्थानान्तरित कर दिया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

तहसील चुनार, जनपद मिर्जापुर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय भवन का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है और न ही स्वीकृत है। ऐसी दशा में न्यायालय भवन का निर्माण पूर्ण कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है । जिला मुख्यालय मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय चुनार में स्थानान्तरित किये जाने का प्रस्ताव वर्तमान में शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री अवध नारायण सिंह का शिशिक्षु प्रमाण पत्र

75—श्री राम चरण सिंह—

क्या श्रम राज्य मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र दिनांक 12-9-83 को अप्रेन्टिस एक्ट के अन्तर्गत अप्रेन्टिसशिप करने के उपरान्त प्रमाण पत्र न जारी किये जाने के विषय में लिखा था ? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां ।

श्री अवध नारायण सिंह को शिशिक्षु प्रमाण पत्र न दिये जाने का कारण यह है कि वह अखिल भारतीय शिशिक्षु परीक्षा में कभी सम्मिलित नहीं हुए । इस परीक्षा में बिना सम्मिलित हुए और इस परीक्षा को उत्तीर्ण किये बिना उक्त प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है ।

पर्वतीय जिले में जल विद्युत परियोजनाओं का पर्यवेक्षण

76--श्री जयदीप सिंह बरार--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन सी योजनाओं का सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य हो रहा है और अगली पंचवर्षीय योजना में इनमें कौन कौन-सी कितनी क्षमता की योजनायें कार्यान्वित करने के लिए चयन की जाएगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

निम्नलिखित परियोजनाओं पर सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य किया जा रहा है --

1--कोटली भेल (बहुउद्देश्यीय ।)

2--उत्यासु बांध (बहुउद्देश्यीय)

4--तपोवन विष्णुगढ़

4--बोबालानन्द प्रयाग

5--ऋषि गंगा

6--भैरोंघाटी स्टेज-1

7--लता तपोवन

8--मरकुरा लता

9--वारकोट कुआ (बहुउद्देश्यीय)

10--कुआ डांमटा

11--हनोलट्यूनी

12--ट्यूनी-लासु ।

जब तक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य पूर्ण नहीं हो जाते और जब तक परियोजनाओं की सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं कर दी जाती तब तक यह कहना सम्भव नहीं है कि कौन-कौन सी व कितनी क्षमता की योजनाये अगली पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करने के लिए चयनित की जायंगी ।

प्रदेश के तापीय विद्युत गृहों द्वारा विद्युत् का उत्पादन

77--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में अब तक माह अनुसार राज्य के विद्युत बोर्ड और विद्युत उत्पादन निगम द्वारा संचालित तापीय विद्युत् गृहों द्वारा कितना विद्युत् उत्पादन किया गया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

प्रदेश के समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के तापीय विद्युत गृहों का संचालन उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद द्वारा किया जा रहा है। विद्युत उत्पादन निगम के अधीन कोई ऐसा विद्युत गृह संचालन में नहीं है ।

वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में अब तक तापीय विद्युत् गृहों द्वारा उत्पादन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:--

माह	तापीय विद्युत् उत्पादन (लाख इकाई में)	
	1982-83	1983-84
अप्रैल	6803.26	7736.77
मई	6671.35	6261.36
जन	3707.48	6713.75
जुलाई	6790.23	5496.53
अगस्त	5280.99	5299.72
सितम्बर	6178.87	4684.95
अक्टूबर	7586.14	6545.20*
नवम्बर	6413.14	4845.26* (अनन्तिम आंकड़े)
योग	53036.46	47583.54
दिसम्बर	7748.44	
जनवरी	7547.30	
फरवरी	7336.09	
मार्च	8484.75	
कुल योग	84203.04	

78--श्री जयदीप सिंह बरार--

[मा० सदस्य ने वापस लिया]

रामपुर जिले में जारी किये गये विभिन्न तिथियों में आग्नेयास्त्रों का लाइसेन्स

79--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी 1983 से 31 जुलाई, 1983 तक जनपद रामपुर में आग्नेयास्त्रों के कितने नए लाइसेन्स जिलाधीश अथवा जिलाधीश द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किये गये ? इसमें कितने लाइसेन्स ऐसे थे जिन्हें पुलिस अधीक्षक से संस्तुति प्राप्त किए बिना ही जारी कर दिया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार 1-1-1983 से 31-7-1983 तक जनपद रामपुर में आग्नेयास्त्रों के 120 नए लाइसेन्स जारी किये गये। इनमें से 71 लाइसेन्स केवल मजिस्ट्रेटों की रिपोर्ट पर स्वीकृत किये गये।

80--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 तक जनपद रामपुर में आग्नेयास्त्रों के कितने नए लाइसेन्स जिलाधीश अथवा जिलाधीश द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारियों द्वारा जारी किये गये ? इसमें कितने लाइसेन्स ऐसे थे जिन्हें पुलिस अधीक्षक की संस्तुति प्राप्त किए बिना जारी कर दिय गया ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार 1-1-1982 से 31-12-82 तक जनपद रामपुर में आग्नेयास्त्रों के 233 नये लाइसेंस जारी किये गये। इनमें से 96 लाइसेंस केवल मजिस्ट्रेटों की रिपोर्ट पर स्वीकृत किये गये।

81-82--श्री जयदीप सिंह बरार--

(मा० सदस्य ने वापस ले लिया)

83—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक जनपद रामपुर में आग्नेयास्त्रों के कितने नए लाइसेंस जिलाधीश अथवा जिलाधीश द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारियों द्वारा जारी किये गये ? इसमें कितने लाइसेन्स ऐसे थे जिन्हें पुलिस अधीक्षक से संस्तुति प्राप्त किए बिना ही जारी कर दिया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार 1-1-1981 से 31-12-81 तक जनपद रामपुर में आग्नेयास्त्रों के 249 नये लाइसेंस जारी किये गये। इनमें से 68 लाइसेन्स मजिस्ट्रेटों की रिपोर्ट पर स्वीकृत किए गए।

बरेली जिले के कतिपय विकास खंडों के ग्रामों का विद्युतीकरण†

84—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980, 1981, 1982 एवं 1983 में जनपद बरेली के मीरगंज, शेरगढ़, बहेड़ी और फतेहगंज पश्चिमी विकास खंडों के कौन-कौन से ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया ? उपरोक्त ब्लाकों के शेष भागों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जाएगा ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जनपद बरेली के मीरगंज, शेरगढ़, बहेड़ और फतेहगंज पश्चिमी विकास खण्डों में विद्युतीकृत ग्रामों का ब्योरा संलग्न तालिका में दिया गया है। उपरोक्त ब्लाकों के शेष ग्रामों के विद्युतीकरण करने का अभी कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बना है।

ग्राम मिश्रौली थाना बनकटा, जिला देवरिया में श्री चन्द्रदेव यादव के घर पर डकैती

85—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम मिश्रौली, थाना बनकटा, जिला देवरिया में माह सितम्बर, 1983 में श्री चन्द्रदेव यादव के घर भीषण डकैती पड़ी और डकैतों ने गृहस्वामी को घटनास्थल पर ही मार डाला ? यदि हाँ, तो इस डकैती में कौन-कौन मुल्जिम है तथा उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही है कि चन्द्र देव यादव के घर माह सितम्बर 1983 में डकैती पड़ी थी किन्तु यह सही नहीं है कि गृहस्वामी की मृत्यु घटनास्थल पर हुई। इस संबंध में थाना बनकटा पर दर्ज अभियोग की विवेचना के उपरान्त चन्द्रिका गौड़, दरोगा सिंह, हकीम, नथुनी, यादव फुलेसर, काशीनाथ, उमाशंकर तथा टुनटुन सिंह अभियुक्तगण प्रकाश में आये। इनमें से अभियुक्त चन्द्रिका गौड़ का चालान भारतीय दण्ड विधान की धारा 396 में किया गया है। टुनटुन सिंह के अलावा शेष अभियुक्त धारा 169 जा0 फौ0 में रिहा हो गये। टुनटुन सिंह के विरुद्ध भा0 दं0 वि0 की धारा 82/83 के अधीन कार्यवाही की गयी है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग बहराइच के स्थाई खण्ड-1 से स्थायी खण्ड-2 की धनराशि का स्थानान्तरण

86—श्री थम्मन सिंह गहलौत—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में जी0 ओ0 संख्या 35 (एम0 एम0 ई जी/23-सा0 नि0 अनुभाग-5—329 ई जी/82 दिनाँक 17 मई, 1983 के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए लगभग 96 लाख रुपये अवशेष कार्य वाले अस्थाई खण्ड (प्रथम) बहराइच के स्थान पर केवल लगभग 46 लाख रुपये अवशेष कार्य वाले

†छापी नहीं गयी।

अस्थायी खण्ड (द्वितीय) बहराइच को भवन कार्य हेतु नामित किये जाने के कारण क्या हैं ? क्या मंत्री उक्त जी0 ओ0 का सही ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण---

शासन द्वारा बहराइच में अस्थायी खण्ड नं0 2 को भवनों के कार्य के लिये नामित किया गया था ।

जाँच कराने के बाद बहराइच में अस्थायी खण्ड नं0-1 से अस्थायी खण्ड नं0-2 के पास केवल रु0 9.45 लाख मात्र की ही अवशेष कार्य की लागत कम पायी जाने की दशा में प्रशासकीय कारणों से पूर्व में लिए गए निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

तहसील मोहम्मदी, जिला लखीमपुर में मुन्सिफ मजिस्ट्रट न्यायालय की स्थापना

87---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील मोहम्मदी, जिला लखीमपुर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिए 2 वर्षों से भवन तथा निवास बन कर तैयार है तथा न्यायालय खोलने के लिए मा0 उच्च न्यायालय की स्वीकृति भी प्राप्त है ? यदि हाँ, तो उसके बाद भी अब तक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय न खुलवाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र---

तहसील मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को 14 सितम्बर, 1983 को प्रसारित हो चुके हैं और वहाँ पर न्यायालय 28 नवम्बर, 1983 के पूर्वाह्न से कार्य करने लग गया है ।

श्री राम आसरे निवासी ग्राम परसादीपुर, जिला सीतापुर की विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु एवं मुआवजा

88---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनाँक 18 दिसम्बर, 82 को ग्राम परसादीपुर, थाना बिसवाँ, जनपद सीतापुर में श्री सियाराम पुत्र श्री राम आसरे की मृत्यु खेत में पड़े बिजली के टूटे तार छू जाने से हुई थी ? यदि हाँ, तो उनके आश्रितों को सरकार द्वारा क्या आर्थिक सहायता दी गई है तथा यह सहायता कब दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त---

जी हाँ ।

अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकी । क्योंकि दुर्घटना की जानकारी विभाग को समय से नहीं हो सकी थी जिसके कारण क्षतिपूर्ति की आर्थिक सहायता प्रदान करने के मामले पर विचार नहीं किया जा सका आर्थिक सहायता प्रदान कराने के मामले में आवश्यक अभिलेख एकत्रित करके त्वरित कार्यवाही की जा रही है ।

जिला सहारनपुर ग्राम देवबन्द के श्री मितरू के गायब होने की घटना

89---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवबन्द के श्री मितरू पुत्र हरध्यान नामक व्यक्ति जिसके लापता होने की रिपोर्ट देवबन्द थाने में दिनांक 9-8-81 तथा 5-10-82 को एस0पी0 महोदय सहारनपुर को रजिस्टर्ड डाक से दी गयी है, के मामले में पुलिस ने क्या खोज बीन की है तथा उसमें क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री श्रीपति मिश्र---

दिनांक 9-8-81 के प्रार्थनापत्र पर पुलिस द्वारा जांच की गयी। दिनांक 5-10-82 के प्रार्थनापत्र पर भी पुलिस द्वारा खोजबीन की गयी ।

अब तक की जाँच से इस मामले में भारतीय दण्ड विधान की धारा 419/420/467/468/471/474/364/120-बी का प्रथम दृष्टय अभियोग बनना पाया गया है। अतः अभियोग पंजीकृत करके अपराध अनुसंधान विभाग के निर्देशन में पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है।

बुलन्दशहर जिले के थाना डिवाई तथा नरोरा के अन्तर्गत डकैती की घटनाएं

90--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुलन्दशहर जिले के थाना डिवाई तथा नरोरा में माह जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, 83 में कितने कत्ल तथा डकैतियां हुईं ? इनमें से कितने अपराधों का चालान हुआ तथा कितनों में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जनपद बुलन्दशहर के थाना डिवाई तथा नरोरा में माह जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, 1983 की अवधि में कत्ल के 10 तथा डकैती का एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। इनमें से कत्ल के 6 तथा डकैती के एक मुकदमे में चालान किया गया तथा कत्ल के तीन मामलों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वृक्षारोप ण

91--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 1 जून, 1980 के बाद से अब तक वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य किये गये तथा उसमें कितनी-कितनी धनराशि योजनावार खर्च हुई ?

श्री संजय सिंह--

बांदा-तिन्दवारी मार्ग 1981 पथ वृक्षारोपण 15 पं0 कि0 मी0, बांदा-बबेरू मार्ग 1982 पथ वृक्षारोपण 10 पं0 कि मी0

बांध विसन्द्रा मार्ग 1982 पथ वृक्षारोपण 10 पं0 कि मी0

एन0 आर0 ई0 पी0

थोड़ा शरीफ 1982 वृक्षरोपण--2 है0 मन्नू लाल अवस्थी पार्क 1980 तथा 1981 वृक्षारोपण--2 है0

डी0 पी0 ए0 पी0

शिव ब्लाक रोपण 1983--20 है0

झांसी--मिर्जापुर मार्ग रोपण 1983--15 पं0 कि0 मी0।

उपरोक्त वृक्षारोपणों पर योजनावार व्यय निम्न प्रकार है:--

	रुपया
स्टेट प्लान	40,799.00
एन0 आर0 ई0 पी0	5,369.00
डी0 पी0 ए0 पी0	30,679.00
योग ..	76,847.00

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत बंधुआ मजदूरों का कथित पुनर्वासन

92--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1 जून, 80 के बाद बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में अब तक कितने बन्धुवा मजदूर पुनर्वासित किये गये तथा उस पर कितनी धनराशि व्यय हुई ?

श्री सुनील शास्त्री---

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 1 जून, 1980 के बाद कोई भी बंधुआ श्रमिक पुनर्वासित नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

93--श्री सन्त बख्श रावत---

(स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त)

विद्युत खम्भों की खरीद में घोटाले की जांच

94--श्री राज कुमार राय--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 22-9-83 जनमुख में प्रकाशित समाचार विद्युत खम्भों की खरीद में भारी घोटाला के बाबत मिला था? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां। परन्तु माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 25-9-83 का है न कि दिनांक 22-9-83 का। दिनांक 25-9-83 के उक्त पत्र में वर्णित शिकायतों की जांच करा ली गयी है तथा जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है।

हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की धनराशि में वृद्धि किये जाने की मांग

95--श्री राज कुमार राय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण की धनराशि को 3,000 रुपये से 5,000 रु0 करने के सम्बन्ध में उन्हें प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 28-9-83 को मिला था? यदि हां, तो धनराशि बढ़ाने में कितना समय लगेगा?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां।

यह मामला अभी विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय का निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है।

96--श्री जैराज गौतम--

(मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।)

थानाध्यक्ष, इनायतनगर, फैजाबाद, श्री रूप चन्द्र के विरुद्ध शिकायती पत्र

97--श्री मित्रसेन---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रूपचन्द्र, थाना इन्चार्ज, इनायतनगर, फैजाबाद द्वारा किए जा रहे गम्भीर आरोपों की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराये जाने विषयक प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 2 फरवरी 1983 जिसकी प्राप्ति सूचना उनके कार्यालय पत्र संख्या एम0/602/सी0 एम0-2/83 दिनांक 7 अप्रैल 1983 द्वारा प्रश्नकर्त्ता को दी गयी है के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र--

मामले की जाँच जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद, के माध्यम से करायी गयी। जाँच से ज्ञात हुआ है कि स्थानीय पुलिस द्वारा घटनाओं के सम्बन्ध में जहाँ कहीं भी अपराध का होना पाया गया है नियमानुसार अपराध पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी है। ज्ञापन में दिये गये दो महत्वपूर्ण अपराधों की जाँच अपराध अनुसंधान विभाग से भी करायी गयी है। जाँच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप सत्यापित नहीं हुए। थानाध्यक्ष श्री रूपचन्द्र का स्थानान्तरण थाना इनायतनगर से अन्यत्र किया जा चुका है।

फर्रुखाबाद में हुए गोली कांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट

98—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 25 अक्टूबर, 1979 को फर्रुखाबाद में हुए गोली काँड की न्यायिक जाँच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

दिनाँक 25 अक्टूबर, 1979 को फर्रुखाबाद में हुए गोलीकाण्ड की न्यायिक जाँच रिपोर्ट के आधार पर फर्रुखाबाद के तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट व पुलिस उपाधीक्षक का स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया था ? न्यायिक जाँच के निष्कर्षों के आधार पर ही श्री देव सिंह, तत्कालीन उप निरीक्षक तथा श्री तीरथ राज पाँडे, तत्कालीन कोतवाली प्रभारी, फर्रुखाबाद के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय भी लिया गया था। उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को दिनाँक 18 अक्टूबर, 1983 को आदेश दिये जा चुके हैं ।

फर्रुखाबाद के विकास खंड राजेपुर को फतेहगढ़ से विद्युत आपूर्ति करने का निर्माण

99—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के विकास खंड राजेपुर को विद्युत आपूर्ति कलान जनपद शाहजहाँपुर से की जाती है जो विकास खण्ड राजेपुर मुख्यालय से 45 कि0 मी0 दूर है और जिसके परिणामस्वरूप विद्युत आपूर्ति अत्यधिक अनियमित रहती है ? क्या इस विकास खंड को विद्युत आपूर्ति फतेहगढ़ से करने की योजना विद्युत् परिषद् के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हाँ ।

विद्युत परिषद ने जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड, राजेपुर को फतेहगढ़ से विद्युत आपूर्ति करने का निर्णय ले लिया है। यह कार्य वर्ष 1984–85 में पूरा होने की आशा है।

फैजाबाद जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद के सृजन की मांग

100—श्री निर्मल खत्री—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का पद सृजित होने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद सृजित करने पर शासन विचार कर रहा है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

फैजाबाद जनपद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद सृजित किये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

101—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

(मंत्रि परिषद में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।)

सीतापुर, ग्राम पिपरावां निवासी श्री कन्हैया लाल के विरुद्ध अभियोग सम्बन्धी प्रार्थना पत्र

102—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कन्हैया लाल वर्मा निवासी पिपरावाँ, थाना महोली, सीतापुर को पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में फंसाने के प्रयास के संबंध में तत्कालीन गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी) के पत्र दिनाँक 30-11-81 पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस सम्बन्ध में कोई जाँच हुई ? यदि हाँ, तो पूरी जाँच का विवरण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ प्रतीत होता है बल्कि श्री घनश्याम वर्मा, निवासी पिपरावाँ, थाना महोली, जनपद सीतापुर का एक प्रार्थना पत्र दिनाँक 30-11-81 को पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को प्राप्त हुआ था जिसमें प्रार्थी के भाई श्री कन्हैयालाल वर्मा को स्थानीय पुलिस द्वारा कतिपय व्यक्तियों के साथ साजिश करके अपराध संख्या 356/81 धारा 147/148/149/302/307/323 भा0 दं0 वि0 थाना महोली, जनपद सीतापुर में झूठा फंसाये जाने के आरोप लगाये गये थे। उक्त प्रार्थना पत्र की जाँच क्षेत्राधिकारी, मिश्रिख द्वारा की गयी। जाँच से प्रश्नगत अभियोग में श्री कन्हैया लाल वर्मा की नामजदगी सही पायी गयी। अभियोग की विवेचना का चेकअप अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा भी किया गया। अपराध शाखा के चेकअप से स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी विवेचना एवं श्री कन्हैयालाल वर्मा की उक्त अभियोग में नामजदगी सही पायी गयी है। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

सीतापर जिले के ग्राम जौहरापुर के श्री नत्था के घर पर चोरी की घटना एवं उसकी मृत्यु

103--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जौहरापुर, थाना तालगाँव, जनपद सीतापुर के अन्तर्गत जुलाई व अगस्त, 83 में एक हरिजन की हत्या हुई? क्या सरकार को यह जानकारी है कि उस हरिजन के यहाँ डकैती पड़ी जिसकी नामजद रिपोर्ट उसने लिखाई जो धारा 396 में न लिख कर 302 व 304 में लिखी गई? यदि हाँ, तो क्या थाना इंचार्ज को जुर्म घटाने के आरोप में सजा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम जोहरापुर, थाना तालगाँव, जनपद सीतापुर के अन्तर्गत दिनाँक 7/8-8-83 की रात्रि में एक हरिजन की हत्या किए जाने की घटना प्रकाश में आयी। उक्त ग्राम में माह जुलाई, 1983 में ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

उक्त मामले में श्री श्यामलाल रैदास, निवासी ग्राम जोहरापुर, थाना तालगाँव, जनपद सीतापुर ने थाना तालगाँव पर दिनाँक 8-8-83 को इस आशय की सूचना अंकित करायी कि दिनाँक 7/8-8-83 की रात्रि में तीन चार अज्ञात चोर वादी के घर चोरी करने आये। आवाज होने पर वादी तथा उसका भाई जग पड़े और चोरों को टोका जिस पर चोर भागने लगे। चोरों का पीछा करते समय किसी चोर ने फायर किया जिसके कारण वादी का भाई नत्था घायल होकर गिर पड़ा और थोड़ी देर बाद मर गया। इस सूचना पर थाना तालगाँव पर अभियोग अन्तर्गत धारा 460 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत करके विवेचना की गयी।

यह कहना सही नहीं है कि उस हरिजन के यहाँ डकैती पड़ी जिसकी नामजद रिपोर्ट थाने में लिखायी गयी। वादी की सूचना के अनुसार अभियोग डकैती का न बन कर चोरी का बना और उसी आधार पर धारा 460 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। थानाध्यक्ष अभियोग पंजीकरण के समय थाने पर उपस्थित नहीं थे। इन परिस्थितियों में थानाध्यक्ष को इस मामले में सजा देने का प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव जिले के भूतपूर्व पुलिस अधीक्षक, श्री अजय सिंह द्वारा ट्राफिक इन्चार्ज के पद का सृजन एवं उस पर की गयी नियुक्ति

104--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में कार्यरत पुलिस अधीक्षक श्री अजय सिंह द्वारा मुख्यालय के बिना अनुमोदन के ट्राफिक इंचार्ज का नया पद सृजित कर 22 सितम्बर, 82 को उक्त पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश दिए गये? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री श्रीपति मिश्र--

श्री अजय सिंह, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, उन्नाव द्वारा ट्रैफिक इंचार्ज का कोई नया पद सृजित नहीं किया गया था। बल्कि बसों के अनधिकृत संचालन को रोकने आदि के उद्देश्य से श्री सिंह द्वारा एक एस0आई0 ए0पी0 को अस्थायी रूप से दिनांक 27-9-1982 को ट्रैफिक पुलिस को सुव्यवस्थित करने का कार्य सौंपा गया था और उन्हें दिनांक 14-10-1982 को इस कार्य से अवमुक्त कर दिया गया। इसके लिए पुलिस मुख्यालय का अनुमोदन आवश्यक नहीं था। शेष भाग का प्रश्न ही नहीं उठता।

उन्नाव जिले के भूतपूर्व अधीक्षक, श्री अजय सिंह द्वारा पेशकार के पद पर की गयी नियुक्ति

105--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या यह भी सही है कि उक्त पुलिस अधीक्षक के उन्नाव कार्यकाल में तीन पेशकारों की नियुक्तियां उन्हीं के द्वारा की गयीं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। तीन पेशकारों में से पेशकार के पद पर केवल एक उपनिरीक्षक नियुक्त रहा तथा दो अन्य उप निरीक्षक का उपयोग अतिरिक्त पेशकार के रूप में कुछ समय के लिए लम्बित कार्यों के निस्तारण हेतु किया गया।

तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, श्री अजय सिंह, उन्नाव द्वारा बन्द किये गये शराब के ठेके

106--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक, श्री अजय सिंह द्वारा 15-11-82 से 17-11-82 तक उन्नाव जनपद के समस्त शराब के ठेके बन्द किए जाने के आदेश जारी किए गये ? क्या यह सही है कि उक्त आदेश के अनौचित्य को देखते हुए जिलाधीश द्वारा उन्हें खोले जाने के आदेश पारित किए गये ? क्या यह भी सही है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न ठेकों से सेम्पुल के तौर पर ली गयी शराब अब तक जांच के लिए नहीं भेजी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, श्री अजय सिंह द्वारा दिनांक 15-11-1982 को आर0टी0 सेट द्वारा मौखिक आदेश से उन्नाव जनपद के शराब के ठेकों को बन्द कर दिया गया क्योंकि यह शिकायत मिली थी कि ठेकों पर नकली शराब बेची जा रही है और जिससे पीने वालों के मरने की आशंका है। जिलाधिकारी द्वारा शराब के ठेके खोले जाने के आदेश पारित नहीं किए गये। पुलिस अधीक्षक के मौखिक आदेश के द्वारा ही ठेकों को खोले जाने के आदेश दिए गये ताकि लाइसेन्स धारकों को आर्थिक हानि न हो। शराब के सैम्पुल पब्लिक एनालिस्ट, लखनऊ को जांच के लिए भेजे गये थे। किन्तु यहां पर विषैली शराब की जांच की व्यवस्था न होने के कारण सैम्पुल वापस कर दिए गये।

जिला आजमगढ़ के ग्राम कोल मोदीपुर के श्री दसई राम का प्रार्थना पत्र

107--श्री भीखा लाल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दसई राम निवासी ग्राम कोल मौदीपुर, थाना महाराजगंज, जिला आजमगढ़ का प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-4-83 प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 14-6-83 के साथ गृह सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच कराकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच विशेष जांच प्रकोष्ठ से कराई गयी और उनके परामर्श से अपराध सं0 39/83 व 40/83 की जांच अपराध अनुसन्धान

विभाग को सौंप दी गयी है। अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध अभी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद जिले के ग्राम अरुवावा के श्री बिन्देश्वरी प्रसाद पाण्डेय द्वारा थाने में लिखाई गयी रिपोर्ट

108—श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री बिन्देश्वरी प्रसाद पाण्डेय उत्तर प्रदेश निवासी ग्राम अरुवावा, जिला फैजाबाद ने दिनांक 14 अप्रैल 1981 को थाना हैदरगंज, जिला फैजाबाद में कोई रपट कराई थी ? यदि हां, तो उस पर अभी तक कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार कथित तिथि को थाना हैदरगंज में श्री बिन्देश्वरी प्रसाद पाण्डेय द्वारा किसी रिपोर्ट का दर्ज कराया जाना अंकित नहीं है। जांच से यह अवश्य ज्ञात हुआ है कि एक बाग के गिरे हुए तीन पेड़ में हिस्सा पाने सम्बन्धी एक प्रार्थना-पत्र थाना हैदरगंज में दिया गया था जिसमें उभय पक्ष में समझौता हो जाने के कारण पुलिस द्वारा अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

टाण्डा तापीय परियोजना का प्रथम चरण

109—श्री निर्मल खत्री—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि "टाण्डा तापीय परियोजना" का प्रथम चरण योजना स्वीकृत करने के समय तक बन जाना चाहिए था ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है और कब तक प्रथम चरण पूर्ण हो सकेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

योजना आयोग की स्वीकृति के अनुसार 4×110 मेगावाट टाण्डा तापीय परियोजना की इकाइयों को वर्ष 1984-85 तक चालू होना था ।

इसमें विलम्ब के मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण में स्थानीय अड़चनें, समुचित योजना परिव्यय का आवंटन न होना, शुरू में स्ट्रक्चरल स्टील की कमी तथा कोयले की किस्म में परिवर्तन के कारण बायलर डिजाइन में हुआ विलम्ब है ।

भविष्य में आवश्यकतानुसार धन मिलने पर इस परियोजना की सभी इकाइयों के वर्ष 1987-88 तक चालू होने की आशा है ।

डकैत, श्री जंगली पासी निवासी चन्दन महमूदपुर, जिला सीतापुर की पुलिस इनकाउन्टर में मृत्यु

110—श्री रामू बख्श रावत—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 17 जुलाई, 83 को थाना तालगांव, जनपद सीतापुर के अन्तर्गत जंगली का इनकाउन्टर हुआ ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त इनकाउन्टर फर्जी है क्योंकि श्री जंगली को थाना बिसवां के अन्तर्गत पुरैना गांव से पकड़ कर लस्करपुर के पुल पर शारदा सहायक नहर परियोजना द्वारा बनी शहर के किनारे पेड़ (इकलिप्टिस) में बांध कर मार दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में जांच सी०बी०आई० से कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 17-7-83 को थाना तालगांव, जनपद सीतापुर के अन्तर्गत ग्राम लच्छकरपुर के पास इकलिप्टिस के घने जंगल में डकैत सरगना जंगली पासी, निवासी चन्दन महमूदपुर, थाना बिसवां, जिला सीतापुर जो थाना तालगांव के मुकदमा

अपराध संख्या 51 धारा 147/148/149/307/336/323 भा0दं0वि0 में वांछित था, का पुलिस से इनकाउन्टर हुआ। जंगली ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर धुआ-धार फायरिंग की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में गोली चलाने से उक्त डकैत अपने एक अन्य साथी डकैत के साथ मौके पर मारा गया। मृत डकैत जंगली के पास से एक बन्दूक एवं भारी मात्रा में जिन्दा कारतूस मिले। इस सम्बन्ध में धारा 307 भा0दं0वि0 व धाराए 25 आर्म्स ऐक्ट पंजीकृत होकर विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की जा चुकी है।

प्रश्नगत मामले में मैजिस्टीरियल जांच प्रचलित है।

सचिवालय के नियुक्ति विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

111--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि नियुक्ति विभाग में कुछ अधिकारी/कर्मचारी ऐसे है जो वहां 10-15 वर्षों से कार्यरत हैं तथा प्रोन्नति पाने पर स्थानान्तरित नहीं किए गये? यदि हां, तो उनको स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया? क्या शासन उक्त के तबादले पर विचार कर रही है। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र--

नियुक्ति विभाग में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो वहां 10-15 वर्षों से कार्यरत हैं? शासकीय कार्य के हित में उन्हें रोका जाना वांछनीय समझा गया तथा उनके स्थानान्तरण पर सम्प्रति विचार नहीं किया जा रहा है।

गोरखपुर जिले के रानीडीह-मिर्जापुर मार्ग के निर्माण की मांग

112--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के प्रान्तीय खण्ड सा0नि0वि0 गोरखपुर के अन्तर्गत गोरखपुर महानगर के दक्षिणी पूर्वी मार्ग में 240 वर्ग कि0मी0 एरिया में खोराबार विकास खण्ड में पक्की सड़क नहीं है और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा माह जनवरी, 81 में मन्त्री जी को पत्र लिखा गया था? यदि हां, तो क्या खोराबार विकास खण्ड मुख्यालय को मिर्जापुर बाजार से जोड़ने के लिए रानीडीह, (खोराबार) मिर्जापुर मार्ग का निर्माण कराने की स्वीकृति दी जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विद्या भूषण--

जी नहीं। खोराबार विकास खण्ड में 22.6 किलोमीटर पक्के मार्ग तथा 6.5 किलो-मीटर खड़ंजा स्तर तक के मार्ग स्वीकृत हैं।

सन्दर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

खोराबार विकास खण्ड में रानीडीह मिर्जापुर मार्ग की स्वीकृति 8.00 किलोमीटर की लम्बाई तथा 19.20 लाख रुपए की लागत पर प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उप पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद (मुख्यालय) द्वारा भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों की सूची बनाने सम्बन्धी दिया गया कथित आदेश

113--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायगी कि प्रदेश में अपराधों की बढ़ोत्तरी को रोकने के सम्बन्ध में वर्ष 82 में उप पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद (मुख्यालय) ने प्रदेश में ऐसे पुलिस कर्मियों की सूची बनाने के निर्देश मण्डल के पुलिस अधिकारियों को दिया था जिसका सम्बन्ध अपराधियों से है? यदि हां, तो उस निर्देश का पालन हुआ? यदि नहीं तो क्या सरकार इस प्रकार की सूची तैयार करके ऐसे पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को सेवानिवृत्त करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र--

वर्ष 1982 में पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा प्रश्न में उल्लिखित आशय का कोई निर्देश मण्डल के पुलिस अधिकारियों को नहीं दिया गया है।

शासन द्वारा किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण पुलिस कर्मियों पर कड़ा निगाह रखते हैं।

और यदि कोई पुलिसकर्मी अपराधियों से सम्बन्ध रखते पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

गोरखपुर में गोरी नदी पर गौरीघाट एवं आमी नदी पर जरलही पर पीपे के पुल निर्माण की मांग

114--श्रीमती गौरी देवी--

क्या लोकनिर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर में गौरी नदी पर गौरीघाट पर और आमी नदी पर जरलही के पास पीपे का पुल निर्मित करने का शासन का विचार है? यदि हां तो उक्त दोनों पीपे के पुल कब तक बन जायेंगे?

श्री विद्या भूषण--

गौरी नदी पर गौरीघाट के पास पीपे का पुल स्वीकृत है। जरलही के पास आमी नदी पर पुल अभी स्वीकृत नहीं है। गौरीघाट के पास स्वीकृत पुल पर कार्य आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है। आमी नदी पर पुल के निर्माण का कार्य आरम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता है।

भाषायी, जातीय, साम्प्रदायिक दंगों के नियंत्रण हेतु राज्य एकीकरण परिषद का गठन

115--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या शासन भाषायी, जातीय तथा साम्प्रदायिक दंगों पर कारगर नियन्त्रण के लिए प्रदेश में कोई सर्वदलीय समिति गठित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इस प्रश्न पर भी विचार करेगी कि जिस जिले में उक्त प्रकार के दंगे हों उस मण्डल के आयुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित थानाधिकारी के विरुद्ध तुरन्त अपेक्षित कार्यवाही की जाय? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रदेश में सद्भाव एकता तथा साम्प्रदायिक सद्भावना की प्रोन्नति हेतु राज्य एकीकरण परिषद् का गठन किया जा चुका है, जिसमें लगभग सभी प्रमुख राजनैतिक दलों तथा वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व है। भाषायी जातीय एवं साम्प्रदायिक दंगों पर कारगर नियन्त्रण के लिए अन्य किसी सर्वदलीय समिति गठित किए जाने का मामला शासन के विचाराधीन नहीं है, न इसकी कोई आवश्यकता ही प्रतीत होती है। सामान्य नीति के अनुसार प्रदेश के किसी भी जिले में घटित इस प्रकार के दंगों के सम्बन्ध में यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी जांच में दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जाती है।

116--श्री कुंवर सिंह नेगी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

मिर्जापुर जिले के ओबरा व रेनूकूट वन प्रभाग में अवैध कटान सम्बन्धी जांच रिपोर्ट

117--श्री विजय सिंह--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के ओबरा व रेनूकूट वन विभाग में हुए अवैध कटान के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के शिकायत पर तत्कालीन माननीय वन उप मन्त्री श्री गुलेन्द्र सिंह ने दिनांक 16 मार्च, 1982 को मौके की जांच कर एक विस्तृत रिपोर्ट शासन को प्रेषित की थी? यदि हां, तो उस पर अब तक दोषी वन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न होने का क्या कारण है?

श्री संजय सिंह--

जी हां, दिनांक 12 से 15 मार्च, 1982 को किए गये निरीक्षण की रिपोर्ट मई 1982 को प्रस्तुत की गयी थी। रिपोर्ट में उल्लिखित अवैध कटान की खुली जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा प्रगति पर है ।

मिर्जापुर जिले के कनहर-सतबहनी पुल का निर्माण

118--श्री विजय सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में एक नहर-सतबहनी पुल के निर्माण हेतु शासन से धनराशि स्वीकृत हो चुकी है? यदि हां, तो पुल का निर्माण कब तक कर दिया जायगा ?

श्री विद्या भूषण--

जी हां ।

इन पुलों के निर्माण से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्यवाही जैसे बोरिंग और सब स्वायल इन्वेस्टीगेशन का कार्य जिसके आधार पर पुल की विस्तृत डिजाइन और निर्माण किया जाता है, शुरू हो गयी है ? इनके पहुंच मार्गों पर भी कार्य आरम्भ हो गया है ।

बुन्देलखंड में पी० ए० सी० बटालियन हेड क्वार्टर के निर्माण की मांग

119--प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सरकार बतायेगी कि बुन्देलखण्ड में पी०ए०सी० बटालियन हेडक्वार्टर के निर्माण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण हो जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्नगत मामला शासन के विचाराधीन है और शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेने की चेष्टा की जा रही है ।

बांदा जिले में ऊर्जा विभाग के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती पत्र

120--प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जून, 1980 से लेकर 20 अक्तूबर, 1983 तक विद्युत विभाग बांदा के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुए। शिकायती-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

उक्त अवधि में सात शिकायती-पत्र प्राप्त हुए जिन पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा जांच की जा रही है ?

मुरादाबाद जिले में जारी किये गये आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस

121--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 तक जनपद मुरादाबाद में आग्नेयास्त्रों के कितने नए लाइसेन्स जिलाधीश अथवा जिलाधीश द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किए गये हैं ? इनमें कितने लाइसेन्स ऐसे थे जिन्हें पुलिस अधीक्षक से संस्तुति प्राप्त किये बिना ही जारी कर दिया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत अवधि में जनपद मुरादाबाद में आग्नेयास्त्रों के 1409 नए लाइसेन्स जारी किए गये। इनमें से 31 लाइसेन्स आयुध अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत प्रावधान के अनुसार अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अपने विवेकानुसार पुलिस की संस्तुति प्राप्त किए बिना जारी किए गये ।

मुरादाबाद जिले में दिल्ली–लखनऊ मार्ग का पुनर्निर्माण

122––श्री जयदीप सिंह बरार––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली–लखनऊ राजमार्ग का जनपद मुरादाबाद में गांगन नदी के पुल से लेकर जनपद रामपुर तक की सीमा का भाग, विगत तीन वर्षों से अत्यन्त टूटी फूटी दशा में पड़ा है जिसके कारण वाहनों और यात्रियों को बहुत कठिनाई हो रही है? यदि हां, तो इसका पुनर्निर्माण तुरन्त न कराने का क्या कारण है ?

श्री विद्या भूषण––

जी हां ।

इस मार्ग की 28 कि0मी0 लम्बाई में से 12.5 कि0मी0 पर पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है। शेष का पुनर्निर्माण भारत सरकार की स्वीकृति तथा धन की उपलब्धि पर निर्भर करेगा ।

सीतापुर जिले के ग्राम नवांगांव में बरामद की गयी देशी शराब

123––श्री कैलाश प्रसाद––

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नवागांव थाना अटरिया, जनपद सीतापुर में कच्ची शराब बनाये जाने के अवैध धन्धे के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र दिनांक 1-9-83 को विशेष सचिव, गृह को लिखा था, जिस पर गृह पुलिस अनुभाग–4 से दिनांक 2–9–83 को जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को अर्धशासकीय पत्र लिखा गया है? यदि हां, तो उक्त गांव में किस दिनांक को छापा मारा गया तथा छापे में कौन-कौन पकड़े गए तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र––

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त ग्राम नवागांव, जनपद सीतापुर में स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 13–11–83 को की गयी दबिश के फलस्वरूप अभियुक्त शीतला बख्श सिंह, निवासी ग्राम नवागांव, थाना अटरिया, जनपद सीतापुर के कब्जे से 2 बोतल अवैध कच्ची देशी शराब बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में थाना अटरिया पर मुकदमा अपराध संख्या 106–83 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त का चालान न्यायालय में किया जा चुका है। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है ।

मिर्जापुर जिले के बगईबार बन ब्लाक में म्योरपुर के आदिवासियों की अवैध कटान के सम्बन्ध में गिरफ्तारी

124––श्री भीखा लाल––

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लल्लन राय, जिला मन्त्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चोपन (मिर्जापुर) का प्रार्थना-पत्र दिनांक 25–8–83 वन प्रभाग अधिकारी, वन प्रभाग रेणकूट, जिला मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है, जिसमें शिकायत की गयी है, कि ग्राम रासपहरी रेंज म्योरपुर के आदिवासियों को विभाग के कर्मचारियों ने पीटा और बेजा हिरासत में रक्खा ? यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह––

जी हां। कथित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था। घटना की जांच करने पर यह पाया गया कि वन सुरक्षा दल तथा वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा बगईबार वन ब्लाक में सात व्यक्तियों को वृक्ष काट कर वन भूमि पर जुताई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन्ह पूछताछ व उनके बयान लेने हेतु रेंज कार्यालय, म्योरपुर लाया गया, किन्तु वहां पर वनवासी सेवा आश्रम के कार्यकर्त्ताओं, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं एवं

अन्य ग्रामीणों ने उग्र होकर कार्यालय को घेर लिया और मुल्जिमों को जबरदस्ती छुड़ाने का प्रयास किया। जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इस घटना की रिपोर्ट दुद्धी थाने मे दर्ज कराए जाने के बाद गिरफ्तार व्यक्तियों को नियमानुसार छोड़ दिया गया।

चूंकि म्योरपुर के अधिकारियों को मारने-पीटने व बेजा हिरासत में रखने की शिकायत असत्य एवं निराधार पाई गयी अतएव वन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

मिर्जापुर जिले के ग्राम रासपहरी के आदिवासियों को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा मारे पीटे जाने की घटना

125—श्री भीखा लाल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लल्लन राय, जिला मन्त्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चोपन (मिर्जापुर) का प्रार्थना-पत्र दिनाँक 25-8-83 पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को मिली है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम रानहरी, चौकी म्योरपुर, थाना दुद्धी के आदिवासियों को जंगल विभाग के कर्मचारियों ने बुरी तरह पीटा और बेजा हिरासत में रखा? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और यदि नहीं की गयी, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ था। इसी सम्बन्ध में श्री राधेश्याम ग्राम प्रधान, ग्राम सभा रासपहरन, थाना दुद्धी द्वारा दिनाँक 24-8-83 को दी गई लिखित सूचना के आधार पर तीन नामाँकित वन कर्मचारियों व अन्य फोर्स वन विभाग के विरुद्ध धारा 147/323/342 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचनोपरान्त दिनाँक 4-9-83 को सभी नामाँकित अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 323/342 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

हसनगंज-मोहान एवं मोहान-लखनऊ मार्ग के निर्माण की जांच

126—श्री भीखा लाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के दो पत्र दिनाँक 30-1-83 तथा 11-8-83 जिसमें हसनगंज-मोहान तथा मोहान-लखनऊ रोड में घटिया काम करने की शिकायत की गयी थी और टी0ए0सी0 से जाँच कराने की माँग की गयी थी, उनको प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो जाँच से क्या परिणाम निकला, और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विद्या भूषण—

जी हाँ।

जाँच की कार्यवाही की जा रही है। जाँच के परिणाम से पहले अभी इसका प्रश्न नहीं उठता।

127—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[दिनाँक 6-9-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 152 द्वारा उत्तरित]

128—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 159 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फैजाबाद जिले की ग्राम इनायतनगर निवासिनी श्रीमती अवतारा की ट्रक दुर्घटना से मृत्यु

129—श्री मित्र सेन—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 4-6-83 को प्रातः 6-30 बजे रोड पोख्ता बाजार, इनायतनगर, जनपद फैजाबाद में जोगा गाड़ी नं0 यू0आर0ए0 5488 द्वारा कोई व्यक्ति दब कर मर गया था जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 279/304 ए मे श्री जियालाल पुत्र श्री शीतला प्रसाद, इनायतनगर, फैजाबाद द्वारा श्री सहदेव सिंह पुत्र

श्री विनोद सिंह चालक, ग्राम गगेवा, थाना जयसिंहपुर, जनपद सुल्तानपुर के नाम दर्ज कराई गयी है ? यदि हाँ, तो दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा मृतक की आश्रित उसकी विधवा को कितने रुपए की धनराशि की आर्थिक सहायता दी गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र---

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जिया लाल निवासी इनायतनगर ने दिनाँक 4-6-83 को थाना इनायत नगर पर सूचना दी कि उसकी चाची श्रीमती अवतारा उर्फ बड़का दिनाँक 4-6-83 को प्रातः एक गाड़ी नं0 यू0आर0ए0 5433 जिसके चालक श्री सहदेव सिंह, जनपद सुल्तानपुर के हैं, से दबकर मर गयी है। उक्त सूचना के आधार पर थाना इनायत-नगर पर एक अपराध अन्तर्गत धारा 279/304 ए आ0द0वि0 का पंजीकृत किया होकर विवेचनोपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनाँक 23-9-83 को न्यायालय भेजा जा चुका है। मृतिका के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु मामला विचाराधीन है ।

सुल्तानपुर जिले के भूतपूर्व कर्मचारी स्व० श्री जगन्नाथ प्रसाद यादव की ग्रेच्युटी एवं पेंशन

130---श्री मित्रसेन---

क्या वन एवं पशुधन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्व0 श्री जगन्नाथ प्रसाद यादव, भूतपूर्व पशुधन सहायक विकास खण्ड जामो, जनपद सुल्तानपुर के पेंशन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनाँक 23-4-83 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री संजय सिंह---

जी हाँ ।

मृतक कर्मचारियों के परिवार को---

(1) पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान का प्राधिकार पत्र महालेखाकार द्वारा दि0 30-9-83 को निर्गत किया जा चुका है ।

(2) सामूहिक जीवन बीमा के भुगतान का बैंक ड्राफ्ट दिनाँक 24-1-84 को भेजा जा चुका है ।

(3) सामान्य भविष्य निधि का भुगतान दिनाँक 10-1-84 को कर दिया गया है ।

(4) मृतक के पुत्र को सरकारी सेवा में लिया जा चुका है ।

तदनुसार अपेक्षित कार्यवाही की जा चुकी है ।

विधायक निवास (अ) एवं (ब) दारुलशफा के गैराजों का आवंटन

131---श्री श्याम लाल वाजपेयी---

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय विधायक निवास (अ) एवं (ब) दारुलशफा, लखनऊ में कितने गैराज हैं ? क्या इन गैराजों को मा0 विधायकों के नाम आवंटित किया गया है ? यदि हाँ, तो इनके नाम क्या हैं ? क्या शासन बतायेगा कि इस समय कितने गैराजों में होटल खुले हैं कितने आवासीय रूप में काम आते हैं कितनों में कार या जीप खड़ी की जाती है ? सरकार गैराजों का आवासीय और होटलों का रूप समाप्त करने की सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र---

वर्तमान समय में विधायक निवास (अ) में एक तथा (ब) में 21 गैराज हैं ।

जी हाँ, जिन विधायकों को यह गैराज आवंटित हैं, उनकी सूची संलग्न है ।

एक गैराज में होटल खुला है, 12 गैराज आवासीय आदि रूप में प्रयोग हो रहे हैं तथा 12 मोटर गैराजों में कार या जीप खड़ी की जाती है ।

जी हाँ ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ पर)

बस्ती जिले के ग्राम बिस्कोहर निवासी श्री शिवबरन उर्फ बुधन मिश्र के बन्दूक के लाइसेन्स को निरस्त करने की मांग

132—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ एवं श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम विस्कोहर, थाना त्रिलोकपुर, जनपद बस्ती के एक सजा याफ्ता व्यक्ति जिसका नाम शिवबरन उर्फ पुद्दन मिश्र है को बन्दूक का लाइसेन्स दिए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनाँक 23 मार्च, 1983 जिसकी एक प्रति गृह सचिव को 23 मार्च, 83 को प्रेषित की थी, उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या यह सत्य है कि 22 अप्रैल, 83 को गृह पुलिस अनुभाग–5 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट बस्ती को उनका लाइसेन्स निरस्त करने के सम्बन्ध में कोई निर्देश भेजा गया है ? यदि हाँ, तो उन का लाइसेन्स अभी तक निरस्त नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्न में उल्लिखित आशय का एक पत्र दिनाँकित 23 मार्च, 1983 का श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ व श्री माता प्रसाद, सदस्यगण, विधान सभा का प्राप्त हुआ था। मामले में जाँच कराके यथोचित कार्यवाही करने के आदेश जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती को दिए गये थे। जाँच करने पर जिला मजिस्ट्रेट ने श्री शिवबरन उर्फ बुधन मिश्र का लाइसेन्स निरस्त करने का आधार नहीं पाया है ।

मिर्जापुर जिले के ग्राम सोनबरसा निवासिनी श्रीमती फूलकुमारी को पुलिस कर्मियों द्वारा मारे पीटे जाने की घटना

133—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 7 अक्तूबर, 83 को ग्राम सोनू बर्षा, थाना चुनार, जिला मिर्जापुर के नन्दलाल हरिजन की स्त्री को खानपुर सीखड़ के बीच थाना चुनार के दो सिपाहियों ने रोककर इतना पीटा कि उसका गर्भापात हो गया है और काफी चोट भी लगी है ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को शिकायत की है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में श्रीमती फूल कुमारी, पत्नी श्री नन्दलाल हरिजन, ग्राम सोनबरसा, थाना चुनार, मिर्जापुर की ओर से एक शिकायती-पत्र उसके सम्बन्धी एवं सहयोगियों के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर थाना चुनार में दो नामाँकित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध धारा 354/323/304 भा0द0वि0 के अन्तर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया। इस अभियोग की विवेचना की गयी और उक्त दो कॉस्टेबुलों को निलम्बित करके दोनों के विरुद्ध मुकदमा दिनाँक 29–11–83 को चालान किया गया ।

मिर्जापुर जिले के ग्राम दतरिया के हरिजन के घर पर डकैती की घटना

134—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दतरियां थाना पडरी, जिला मिर्जापुर में एक हरिजन के यहां सशस्त्र डकैती अक्तूबर, 83 के प्रथम सप्ताह में पड़ी जिसमें गृह स्वामी की हत्या कर दी गयी और 5 व्यक्ति महिलाओं सहित घायल हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र---

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित डकैती की घटना दिनांक 6-10-83 को ग्राम दतरियां, थाना पडरी, जिला मिर्जापुर में एक हरिजन के यहां हुई थी जिसमें एक महिला सहित चार व्यक्ति घायल हुए थे। उक्त घायलों मे से एक व्यक्ति जो गृह स्वामी का पड़ोसी था, की अस्पताल में मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में थाना पडरी पर धारा 396 भा0 दं0वि0 के अन्तर्गत कायम अभियोग की विवेचना से प्रकाश में आए 12 अभियुक्तों में से 10 का चालान किया गया, एक धारा 169 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत रिहा हुआ, तथा एक अभियुक्त की कार्यवाही शिनाख्त शेष है।

मिर्जापुर जिले के ग्राम रैंपुरिया के श्री बाबू लाल सिंह के घर पर डकैती की घटना

135---श्री ऊदल---

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जमुई, थाना चुनार, जिला मिर्जापुर में 7-10-83 की रात सशस्त्र डकैतों ने सरजू प्रसाद सिंह के घर को बुरी तरह लूटा और गोली मार कर उनकी हत्या कर दी है? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री श्रीपति मिश्र---

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में श्री बाबू लाल सिंह, ग्राम रैंपुरिया, थाना चुनार, जिला मिर्जापुर ने दिनांक 8-10-83 को थाना चुनार पर चार अज्ञात सशस्त्र बदमाशों के विरुद्ध दिनांक 7/8-10-83 की रात्रि में उसके पिता की गोली मार कर हत्या कर देने व घर में घुसकर सामान लूट लेने की सूचना दी। इस सूचना के आधार पर धारा 302 394 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के प्रकाश में आए 4 अभियुक्तों में से एक के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया। शेष 3 अभियुक्तों का नाम पता विवेचना से सही नहीं पाया गया।

कैलहट, थाना चुनार, जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत चोरी, डकैती एवं राहजनी की घटनाएं

136---श्री ऊदल---

क्या सरकार बतायेगी कि कैलहट थाना चुनार, जिला मिर्जापुर के आस-पास 2 माह में चोरी, डकैती एवं राहजनी, हत्याएं बहुत बढ़ गई हैं? क्या सरकार इसकी जांच कर रोक-थाम करेगी?

श्री श्रीपति मिश्र---

प्राप्त सूचनानुसार ग्राम कैलहट, थाना चुनार, जिला मिर्जापुर व उसके आस-पास दो माह में प्रश्न में उल्लिखित अपराधों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अपराध निरोध की दिशा में पुलिस सतत जागरुक है तथा इन क्षेत्रों में रात्रि गश्त की विशेष व्यवस्था की गई है।

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सफल श्री अजयपाल के विरुद्ध श्री पीताम्बर सिंह का प्रत्यावेदन

137---कुंवर योगेन्द्रसिंह---

क्या न्याय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 1972 के आधार पर जो अजय पाल की नियुक्ति मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पद पर की गयी है, क्या यह सही है कि उक्त परीक्षा में शामिल श्री पीताम्बर सिंह को, जिनके प्राप्तांक 393 अजय पाल के प्राप्तांक से अधिक थे, नियुक्ति नहीं की गयी? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या श्री पीताम्बर सिंह को 1972 की लिस्ट के क्रम से नियुक्ति देने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र---

जी हां। चूंकि श्री पीताम्बर सिंह को मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पद पर वर्ष 1973 की परीक्षा के आधार पर श्री अजय पाल से पहले ही नियुक्त किया जा चुका था इसलिए उनके

वर्ष 1972 की परीक्षा के आधार पर आदेश जारी नहीं किए गये। इस सम्बन्ध में श्री पीताम्बर सिंह से प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है, जो शासन के विचाराधीन है।

देहलीगेट, पुलिस चौकी, जिला अलीगढ़ के हेड कान्स्टेबिल श्री बृजेन्द्र सिंह के गायब होने की घटना

138--कुंवर योगेन्द्र सिंह--

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री बृजेन्द्र सिंह, दीवान देहली गेट चौकी, अलीगढ़ से 5 सितम्बर, 82 से गायब है? यदि हां, तो उन्हें खोजने की शासन ने क्या कार्यवाही की है? क्या शासन बृजेन्द्र सिंह पुलिस कर्मी के गायब होने की जांच सी0आई0 डी0 द्वारा कराने का आदेश करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना देहली गेट, जनपद अलीगढ़ पर नियुक्त हेड कांस्टबिल श्री बिजेन्द्र पाल सिंह ने दिनांक 4-9-82 को 13-25 बजे थाना देहली गेट से दो दिन के आकस्मिक अवकाश पर प्रस्थान किया था। और तभी से वह विलुप्त हैं। उनको खोजने के लिए अब तक किए गये प्रयासों से उनका कोई पता नहीं लग सका है। हेड कांस्टेबिल बिजेन्द्र पाल सिंह की विलुप्ति के मामले की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग को पहले ही अभिदिष्ट की जा चुकी है।

भारतीय पुलिस सेवा के रिक्त सेलेक्शन ग्रेड के पद

139--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एस0पी0 स्तर पर सेलेक्शन ग्रेड के 34 पद वर्ष 81 से अप्रैल, 83 तक खाली हुए परन्तु उन्हें भरा नहीं गया? यदि हां, तो उसका कारण क्या है और कब तक पद भर दिए जायेंगे?

श्री श्रीपति मिश्र--

वर्ष 1981 से अप्रैल, 1983 तक भारतीय पुलिस सेवा के सेलेक्शन ग्रेड के कुल 13 पद रिक्त थे न कि 34। कतिपय प्रशासनिक कारणों से उन्हें भरा नहीं जा सका। यथासमय उन्हें भरा जायगा।

गोरखपुर जिले के जैतपुरी वोक्टा मार्ग के निर्माण की मांग

140--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में आर0एम0पी0 योजना के अन्तर्गत नई बाजार, सिंहपुर बाहावार मार्ग 8 कि0मी0 लम्बा मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो प्रश्नकर्त्ता द्वारा फरवरी, 82 में कोई पत्र सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को गोरखपुर जनपद में आर0एम0पी0 योजना में स्वीकृत नई बाजार सिंहपुर बाहावार मार्ग के स्थान पर जैतपुरी वोक्टा मार्ग के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विद्याभूषण--

जी हां।

सम्बन्धित अधिकारियों से आख्या एवं संस्तुति मांगी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिले में रानीडीह मिर्जापुर मार्ग के निर्माण की मांग

141--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के प्रान्तीय खण्ड सा0नि0वि0 गोरखपुर के अन्तर्गत गोरखपुर महानगर के दक्षिणी पूर्वी भाग में 240 वर्ग कि0मी0 एरिया में खोराबार विकास खण्ड में पक्की सड़क नहीं है? यदि हां, तो क्या खोराबार विकास खण्ड मुख्यालय को मिर्जापुर से जोड़ने के लिए रानी होहार (खोराबार)

मिर्जापुर मार्ग का निर्माण कराने की स्वीकृति दी जायगी ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने माह जनवरी, 81 में मन्त्री जी को पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री विद्याभूषण---

जी नहीं। खोरवार विकास खण्ड में 22.60 किलोमीटर पक्के मार्ग तथा 6.5 कि0मी0 खड़ंजा स्तर तक के मार्ग स्वीकृत हैं।

खोरवार विकास खण्ड में रानीडीह–मिर्जापुर मार्ग की स्वीकृति 8.00 किलोमीटर की लम्बाई तथा 19.20 लाख रुपए की लागत पर प्रदान की जा चुकी है।

सन्दर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

142––श्रीमती गौरी देवी---

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

सामाजिक वन प्रभाग वाराणसी के अन्तर्गत वन प्रसार कर्त्ता के पद हेतु ली गयी परीक्षा

143––श्रीमती गौरी देवी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में सामाजिक वानिकी वन प्रभागों के अन्तर्गत वन प्रसारकर्त्ता पद के लिए जुलाई, 82 में विभिन्न प्रभागों में परीक्षा हुई थी ? यदि हां, तो क्या वन प्रभाग, वाराणसी सहित कई वन प्रभागों में होने वाली इस परीक्षा में अनियमितताएं बरती गयीं जिसकी शिकायत भी वन राज्य मन्त्री जी को सितम्बर, 83 प्रश्नकर्त्ता सहित कई लोगों ने किया था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री संजय सिंह––

जी हां। जुलाई, 1983 में सामाजिक वानिकी के पूर्वांचल क्षेत्र के अन्तर्गत वन प्रभागों में वन प्रसारकर्त्ता के पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षाएं हुई थीं इन परीक्षाओं में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी। इन परीक्षाओं में विशेष कर सामाजिक वानिकी वन प्रभाग वाराणसी के अन्तर्गत ली गयी परीक्षा में अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में माननीय प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 12–9–83 को विधान सभा में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना दी गयी थी जिसका प्रतिउत्तर प्रश्नकर्त्ता को दिया जा चुका है।

144––श्रीमती गौरी देवी––

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

राप्ती नदी गोरखपुर, में गजपुर घाट पर पुल निर्माण की मांग

145––श्रीमती गौरी देवी––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद को राप्ती नदी में गजपुर घाट पर (देवरिया से आजमगढ़ को जोड़ने के लिए) पुल निर्मित कराने हेतु सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का 13 अप्रैल, 83 का पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पुल निर्माण के लिए अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है और पुल निर्माण की स्वीकृति कब तक प्रदान की जायगी ?

श्री विद्या भूषण---

जी नहीं। माननीय सदस्य का दिनांक 11 अप्रैल, 1983 का पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र से सन्दर्भित पुल के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र) वाराणसी से आख्या मांगी गयी थी, जो शासन में प्राप्त हो गयी है। धनाभाव के कारण उक्त पुल को स्वीकृति देना फिलहाल सम्भव नहीं है।

गोरखपुर में अपराध में वृद्धि से सम्बन्धित सांसद श्री हरिकेश बहादुर सिंह का कथित पत्र

146--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर में बढ़ते अपराध के नियन्त्रण के सम्बन्ध में कठोर कदम उठाने के सम्बन्ध में 15 अप्रैल, 82 को संसद सदस्य श्रीहरिकेश बहादुर सिंह ने कोई पत्र मुख्य मन्त्री को लिखा था ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित तथ्य क्या थे और इस सम्बन्ध में अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र--

संसद सदस्य, श्री हरिकेश बहादुर सिंह का दिनांक 15-4-82 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

147--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

[6-9-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के द्वारा उत्तरित।]

पुलिस कांस्टेबिल स्व० श्री मुहम्मद नब्बीर, ग्राम मीसा, बाराबंकी को पेंशन

148--श्री भीखा लाल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस कांस्टेबिल मुहम्मद नव्वीर, निवासी ग्राम मीसा, पो0 मेल्सर, जिला बाराबंकी सेवा निवृत्त 29-11-68 तथा मृत 10-10-83 को बेवा श्रीमती उमल खातून ने परिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए प्रधान मन्त्री, भारत सरकार को एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 19-7-83 को दिया है और जिसकी प्रतिलिपि उनको अग्रसारित की गयी, प्राप्त हुई है। यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गयी और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां, श्रीमती उमल खातून का पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिनांक 19-7-83 शासन को प्राप्त हुआ था। पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की आख्यानुसार मृतक कांस्टेबिल की विधवा को पारिवारिक पेंशन दिए जाने हेतु आवश्यक पेंशन प्रपत्र महालेखाकार उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

149--श्री भीखा लाल--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

राज्य सम्पत्ति विभाग के कतिपय निवासों में कार्यरत दैनिक मजदूरी के कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग

150--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 22-10-83 को लखनऊ के सभी विधायक निवासों एवं दिल्ली स्थित यू0पी0 भवन एवं यू0पी0 निवास, कलकत्ता तथा नैनीताल में कितने लोग दैनिक मजदूरी पर कार्यरत हैं ? क्या शासन को जानकारी है कि दैनिक मजदूरी में कार्यरत लोगों में बहुत से ऐसे भी हैं, जो एक वर्ष से पांच वर्ष तक के पुराने लोग हैं ? यदि हां, तो क्या शासन सभी को स्थायी करने की घोषणा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन विधायक निवासी, उ0प्र0 निवास, उ0प्र0 भवन, राज्य अतिथि गृह, कलकत्ता तथा नैनीताल क्लब में दिनांक 22-10-1983 को कुल 157 व्यक्ति दैनिक मजदूरी पर कार्यरत थे।

जी हां।

प्रश्न विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

151—श्री श्याम लाल वाजपेयी—

(माननीय सदस्यों ने वापस ले लिया)

सुल्तानपुर जिले के ग्राम भण्डरा के नलकूपों के काटे गये विद्युत कनेक्शन

152—श्री मुईद अहमद—

क्या ऊर्जा मन्त्री को जानकारी है कि गोमती नदी के कारण ग्राम भण्डरा, विकास खण्ड कुड़वार, जनपद सुल्तानपुर में तीन प्राइवेट नलकूप के कनेक्शन जिलाधीश के आदेशानुसार माह जुलाई, 1980 से नवम्बर, 80 तक काट दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या शासन इन तीन नलकूपों के मालिकों को उक्त अवधि के विद्युत देय को माफ करने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां।

दैवी आपदा के फलस्वरूप जल-भराव एवं खेत की मिट्टी के कीचड़ व दलदल की अवस्था में होने के कारण उक्त निजी नलकूपों के उपभोक्ता स्वतः विद्युत का उपभोग नहीं कर सकते थे। अतः उक्त अवधि में उन्हें कोई क्षति भी नहीं हुई।

जहां तक उक्त अवधि में विद्युत देयों को माफ करने का प्रश्न है, निजी नलकूपों के उपभोक्ताओं से रु0 144.00 प्रति अश्वशक्ति प्रति वर्ष लिया जाता था जिसे उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनसे प्रति माह रु0 12.00 प्रति अश्वशक्ति की दर से चार्ज किया जाता था जिसे उपभोक्ता औसतन डेढ़ घण्टे प्रतिदिन उपभोग करके औद्योगिक दर की अपेक्षा में पूर्ण कर लेता था। इस पृष्ठभूमि में उक्त तीनों उपभोक्ताओं के विद्युत् देयों को माफ करना सम्भव नहीं था।

उन्नाव जिले के विक्रमपुर-ऊंचगांव मार्ग के निर्माण में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कृत कार्यवाही

153—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद में अधीक्षण अभियन्ता ने अगस्त, 81 में विक्रमपुर ऊंचगांव सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार होने के कारण सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता से 61 हजार रुपए की वसूली करके स्थानान्तरण करने के बाद उन्हें दंडित करने की सूचना शासन को भेजी थी ? यदि हां, तो अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विद्या भूषण—

जी नहीं।

विक्रमपुर-ऊंचगांव मार्ग की जांच वर्ष 1981 में अधीक्षण अभियन्ता 45वां वृत्त उन्नाव द्वारा करायी गयी थी। जांच के पश्चात् सड़क की 'क्रस्ट' की मोटाई निर्धारित मोटाई से कम पाए जाने पर लगभग 41,000 रुपए की क्षति आंकी गयी जिसके लिए सम्बन्धित अवर अभियन्ता को विभागीय कार्यवाही हेतु आरोपित किया जा चुका है।

इसी मार्ग पर मार्ग की सामग्री के सत्यापन के पश्चात् तथा खंडीय कार्यालय उन्नाव के अभिलेखों के अनुसार रुपए 48,322.22 की सामग्री कम पायी गयी जिसके लिए सम्बन्धित अवर अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। सहायक अभियन्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु जांच अधिकारी की संस्तुति मांगी गई है।

मुरादाबाद जिले में दिये गये आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस

154—श्री जयदीप सिंह वरार —

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1983 से 31 जुलाई, 1983 तक जनपद मुरादाबाद में आग्नेयास्त्रों के कितने नये लाइसेन्स जिलाधीश अथवा जिलाधीश द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारियों द्वारा जारी किये गये ? इसमें कितने लाइसेन्स ऐसे थे जिन्हें पुलिस अधीक्षक से संस्तुति प्राप्त किये बिना ही जारी कर दिया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र---

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत अवधि में जनपद मुरादाबाद में आग्नेयास्त्र के 2644 नये लाइसेन्स जारी किये गये। इनमे से 66 लाइसेंस विना पुलिस की संस्तुति के जारी किये गये।

155--श्री जयदीप सिंह बरार---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक जनपद मुरादाबाद में आग्नेयास्त्रों के कितने नये लाइसेन्स जिलाधीश अथवा जिलाधीश द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारियों द्वारा जारी किये गये ? इसमें कितने लाइसेंस ऐसे थे जिन्हें पुलिस अधीक्षक से संस्तुति प्राप्त किये बिना ही जारी कर दिया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सुचनानुसार प्रश्नगत अवधि में जनपद मुरादाबाद में आग्नेयास्त्रों के 127 नये लाइसेंस जारी किये गये। इनमें से कोई भी लाइसेंस पुलिस की संस्तुति के बगैर जारी नहीं किया गया।

झांसी नगर में विद्युत समस्या से सम्बन्धित पत्र

156--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 13-10-83 के आस पास प्रश्नकर्त्ता द्वारा झांसी नगर में विद्युत समस्या के सम्बन्ध में दिये गये पत्र के आधार पर उक्त तिथि को मुख्य मंत्री के सचिव ने विद्युत परिषद उ0प्र0 के सचिव को, प्रश्नकर्त्ता के पत्र के आधार पर तुरन्त कार्यवाही करने के सम्बन्ध में लिखा है ? यदि हां, तो विद्युत परिषद् ने झांसी नगर के विद्युत समस्या के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त---

जी हां।

प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 13-10-83 का पत्र सचिव मुख्य मंत्री द्वारा अध्यक्ष विद्युत परिषद को प्राप्त हुआ था।

झांसी नगर के विद्युत संकट को दूर करने के लिए निम्न विभव (लो-टेन्शन) की पारेषण लाइनों में समुचित सुधार करके उनमें उचित स्तर का विद्युत विभव प्रवाहित करके नगर के अधिकांश मुहल्लों में विद्युत प्रकाश की व्यवस्था में यथासंभव सुधार कर दिया गया है और यह प्रयास उपलब्ध साधनों के अनुरूप निरन्तर जारी है।

झांसी एवं ललितपुर जिलों के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण

157--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी एवं ललितपुर जनपद में जनवरी, 1981 से 25-10-83 तक कितने ग्रामों में विद्युतीकरण किया गया और उसमें से कितने ग्रामों में बिजली की सप्लाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त

झांसी एवं ललितपुर जनपद में जनवरी 81 से 25-10-83 तक क्रमशः 79 एवं 70 गांव में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार विद्युतीकरण किया गया। इनमें से क्रमशः 63 एवं 56 ग्रामों में एल0टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण किया गया है। इन सभी ग्रामों में बिजली की सप्लाई की गयी है।

पुलिस अधीक्षक श्री हाकम सिंह, जिला देवरिया के विरुद्ध सतर्कता विभाग की कथित जांच

158--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हाकम सिंह, पुलिस अधीक्षक, देवरिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच सतर्कता विभाग, गोरखपुर द्वारा वर्ष 77-78 में करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच से कौन-कौन से तथ्य सामने आये हैं और उन पर शासन की ओर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--
जी नहीं।

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा लखनऊ के शस्त्र विक्रेताओं को दिये गये पिस्तौल एवं रिवाल्वर

159--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1 जनवरी, 80 से 31 दिसम्बर, 81 के मध्य लखनऊ के शस्त्र विक्रेताओं ने स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, लखनऊ के माध्यम से कौन-कौन से हथियार तथा इसे किनको और कितने रुपए में बेचा गया ?

श्री श्रीपति मिश्र--
प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत अवधि में लखनऊ के शस्त्र विक्रेताओं को स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली के माध्यम से पिस्तौल एवं रिवाल्वर प्राप्त हुए। पिस्तौल रु0 8299.20 में तथा विभिन्न प्रकार के रिवाल्वर रु0 2510.22, 2539.51, 5650., 7071.54, 7113.60 तथा 11858/- में देय कर सहित लाइसेन्सियों को बेचे गये। उक्त प्रकार के शस्त्र जिन लाइसेन्सियों को बेचे गये उनकी सूचना का प्रकाशन जनहित में न होगा।

विधायकों को दी गयी विशेष आवासीय सुविधा

160--श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र--
क्या मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि वर्तमान विधायकों में से कितने विधायकों को देय आवासीय सुविधा के अतिरिक्त आवासीय सुविधा प्रदान की गयी है तथा उसका औचित्य क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--
वर्तमान विधायकों में से 33 विधायकों को उन्हें देय आवासीय सुविधा के अतिरिक्त आवासीय सुविधा प्रदान की गयी। यह सुविधा सम्बन्धित विधायकों को विशेष परिस्थितियों में किराये के आधार पर दी गयी।

जिला देवरिया के थाना खुखन्दू के विरुद्ध शिकायती पत्र

161--श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र--
क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 24-2-83 का शिकायती-पत्र जो कि थाना खुखन्दू, जिला देवरिया के सम्बन्ध में है, उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उसमें कौन कौन सी शिकायतें थीं और जांच से क्या तथ्य सामने आये तथा अभी तक इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जांच कराते समय शिकायतकर्त्ता से भी सम्पर्क किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसकी जांच गुप्तचर विभाग से कराई जायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--
जी हां, प्रश्नगत शिकायती-पत्र में उल्लिखित प्रमुख शिकायतों की सूची संलग्न है। जांच में पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए, अतः शासन द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही करने का औचित्य नहीं है। चूंकि शिकायतकर्त्ता ने इन्हीं शिकायतों के सम्बन्ध में अपने एक अन्य शिकायती पत्र दिनांकित 8-4-82 को जांच के समय दिनांक 22 मई, 1982 को अपने बयान दे दिये थे, अतः पुनः उनसे सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। इन शिकायतों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है क्योंकि प्रश्नगत शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर द्वारा की जा चुकी है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 103 पर)

बस्ती जिले के ग्राम शकरदहा के श्री गल्लुर का कथित अपहरण

162—श्री भीखालाल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 नौजवान सभा, बस्ती के अध्यक्ष (श्री शान्ती प्रकाश सिंह) ने दिनाँक 17 सितम्बर 1983 को प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी, बस्ती को दिया था और जिसकी प्रतिलिपि मुख्य मंत्री को अग्रसारित की थी और जिसमें श्री गल्लुर पुत्र दुर्जन, निवासी शकरदहा, थाना हर्रैया, जिला बस्ती को 3 जून, 83 को अपहरण किये जाने तथा 23 अगस्त, 1983 को मुक्त होने के बाद अपहरणकर्त्ताओं तथा पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने की घटनाओं का उल्लेख है? यदि हाँ तो प्रार्थना पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जाँच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश नौजवान सभा, बस्ती के अध्यक्ष (श्री शान्ती प्रकाश सिंह) का दिनाँक 17 सितम्बर, 1983 का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था किन्तु उसमें अपहरण की घटना को 3 जून, 1983 के स्थान पर 3 जून, 1932 का दर्शाया गया था। प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप आधार रहित पाये गये। अतः किसी को दोषी पाये जाने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम जंगल रसूलपर के नलकूपों का विद्युतीकरण

163—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम जंगल रसूलपुर, नं0 1 व 2 में निजी नलकूप के विद्युतीकरण कराने के सन्दर्भ में प्रश्नकर्त्ता ने दिनाँक 12 सितम्बर, 1983 को कोई शिकायती पत्र उनको भेजा है, जिसकी प्राप्ति स्वीकृति श्री के0 सी0 मिश्र, विशेष कार्याधिकारी, मुख्य मंत्री ने अपने पत्रांक एम0/8356/सी0 एम0—2/83 दिनाँक 1—10—83 द्वारा किया है? यदि हाँ, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रभावकारी कदम उठाये गये?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हाँ।

शिकायती पत्र पर जाँच के दौरान आरोप सही नहीं पाये गये। शिकायती-पत्र में संदर्भित उपभोक्ता को विभागीय औपचारिकतायें पूरी करने के बाद, दिनाँक 20 सितम्बर, 1983 को कनेक्शन दे दिया गया।

श्री माधव, ग्राम छलामऊ जिला उन्नाव के नलकूप कनेक्शन सम्बन्धी शिकायती पत्र

164—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ऊर्जा मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम छलामऊ तहसील पुरवा, जनपद उन्नाव में हरिजनों के ट्यूबवेलों के कनेक्शन के विषय में उक्त ग्राम के हरिजनों के शिकायती पत्र को मा0 श्री राजेन्द्र सिंह, नेता विरोधी दल, विधान सभा ने अपने पत्र के साथ पत्र सं0 932/ने0 वि0 दल0/1983, दिनाँक 30 अगस्त, 83 को अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद् को भेजा था? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हाँ।

उपभोक्ता श्री माधव, ग्राम छलामऊ, उन्नाव के नलकूप की लाइन के गले हुए लकड़ी के खम्भे, सीमेन्ट के खंभों से बदल दिये गये हैं। उनको नलकूप को विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से दी जा रही है।

मिर्जापर जिले के ग्राम जिउनाथपुर एवं मठना मार्ग का निर्माण

165--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में जिउनाथपुर, कन्चनपुर रोड अभी भी निर्माणाधीन है, जबकि उसका निर्माण जून, 1980 तक हो जाना चाहिये था ? मठना जिउनाथपुर में अभी तक निर्माण कार्य न होने से पूरे मार्ग का आवागमन अवरुद्ध है ? क्या उक्त मार्ग का निर्माण वर्ष 1983 के अन्त तक करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण--

जी हाँ ।

ग्राम जिउनाथपुर एवं मठना में मार्ग के संरेखण में पड़ने वाले मकानों के अध्यापित न हो सकने के कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध है ।

मार्ग का निर्माण पूर्ण किया जाना भूमि के प्राप्त होने तथा धन की उपलब्धि पर निर्भर करेगा ।

देवरिया जिले की पुलिस के विरुद्ध दिया गया ज्ञापन

166--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में 21-9-82 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुलिस के वर्तमान कार्य व्यवहार के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, देवरिया के माध्यम से मुख्य मंत्री को कोई ज्ञापन दिया गया था ? यदि हाँ, तो उस ज्ञापन में कितने बिन्दुओं की शिकायत की गई थी तथा अब तक उन बिन्दुओं के जाँच के आधार पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जिले के ग्राम इजहरहीमाफी के हरिजनों का उत्पीड़न

167--श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनाँक 20-12-82 जिसे उनके कार्यालय में दिनाँक 23-12-82 को प्राप्त किया गया और जो गोपी ग्राम इजहरहीमाफी, जिला देवरिया में सवर्णों द्वारा हरिजनों पर उत्पीड़न किये जाने तथा उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने के सम्बन्ध में है, के बारे में शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्नगत पत्र दिनाँकित 20-12-82 शासन को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है । अतः उस पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

दर्जी कुआ--मनकापुर-सादुल्लानगर मार्ग की मरम्मत हेतु धनराशि का आवंटन

168--श्री इकबाल हुसैन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में पिछले वित्तीय वर्ष में बाढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए प्रमुख अभियन्ता ने कुछ धन का आवंटन किया था ? यदि हाँ, तो दर्जी कुआँ मनकापुर रोड को कितना रुपया दिया गया और उस रुपए के खर्च का ब्योरा क्या है ?

श्री विद्या भूषण--

जी हाँ ।

दुर्जीकुआँ–मनकापुर–सादुल्ला नगर रोड को रु0 7.10 लाख दिया गया और उसके खर्च का ब्योरा निम्नवत् है:—

	रु0
1—कि0 मी0 17 व 18 में क्षतिग्रस्त पटरियों के मरम्मत कार्य पर	7000.00
2—कि0 मी0 33 में अमघटी सेतु के पहुंच मार्ग के मरम्मत हेतु मिट्टी व पिंचिग कार्य पर	1,01,981.00
3—कि0 मी0 57 बें घारीघाट सेतु के पहुंच मार्ग के मरम्मत हेतु पिंचिग पाइल का मरम्मत, बिक्र सोलिंग एवं सतह ठीक करने के कार्य पर	65,566.00
4—कि0 मी0 64, 65 व 66 में सुदृढ़ीकरण के कार्य पर	3,64,434.00
5—कि0 मी0 1 से 86 के मध्य विभिन्न कि0 मी0 में दाग मरम्मत कार्य पर	1,71,019.00
योग	7,10,000.00

सीतापुर जिले में सडकों पुलों एवं निरीक्षण भवन का निर्माण

169—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष जून 80 से अक्तूबर 83 तक सीतापुर जनपद में सा0 नि0 वि0 में कितनी सड़कों और पुलों तथा निरीक्षण भवनों का निर्माण, किया ? विधान सभा क्षेत्रवार निर्माण कार्य, में कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ? क्या यह सत्य है कि महमूदाबाद विधान सभा क्षेत्र में आने वाले सभी मतदान केन्द्रों तक पक्की सड़क बनाने की योजना प्रदेश सा0 नि0 वि0 बना रहा है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश के सभी जिलों में शासन यह सुविधा प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

जनपद सीतापुर में वर्ष जून, 80 से अक्टूबर, 83 तक 89.0 कि0 मी0 पक्के मार्गों का निर्माण, 73.5 कि0 मी0 खड़ंजे मार्ग का कार्य, 46.3 कि0 मी0 कच्चे मार्ग पर मिट्टी का कार्य कराया गया। कुल चार सेतुओं का निर्माण कराया गया। एक निरीक्षण भवन महमूदाबाद का निर्माण लगभग पूर्ण है। खण्डों में आवंटन विधान सभा क्षेत्रवार नहीं मिलता है और न ही विधान सभा क्षेत्रवार व्यय का लेखा जोखा रखने की प्रणाली है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय पालीटेकनिक, मुरादाबाद के एन० सी० सी० ब्लाक का आवंटन

श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पोलिटेकनिक संस्था, मुरादाबाद में एन0सी0सी0 ब्लाक छात्रों के कल्याण के लिए निर्मित है ? यदि हां, तो क्या यह ब्लाक छात्रों को आवंटित किये गये हैं ? क्या यह सही है कि छात्रों को निर्मित ब्लाक आवंटित न करके विभागीय कर्मचारियों की विगत 1982 के उनकी फैमिली को रहने के लिए आवंटित किए गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर ? क्या विभाग को उन कर्मचारियों से किराया भुगतान मिला है ? यदि नहीं तो आवंटित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां।

राजकीय पालीटेकनिक, मुरादाबाद का एन0 सी0 सी0 ब्लाक छात्रों के आवास हेतु नहीं है और न ही उन्हें आवंटित करना उचित है क्योंकि इस ब्लाक में एन0 सी0सी0 आर्म्स एण्ड एम्यूनिशन्स का स्टोर रहता है।

इस ब्लाक में उपलब्ध अस्थायी रूप से खाली कुछ कमरे संस्था के एन0 सी0 सी0 आफिसर, कैप्टन, ओ0 पी0 सक्सेना तथा श्री एन0 डी0 दुबे, अध्यक्ष यांत्रिक अभियंत्रण को अस्थायी रूप से आवंटित किया गया।

कैप्टन ओ0 पी0 सक्सेना, को एन0 सी0 सी0 अधिकारी होने तथा संस्था के विद्युत अनुरक्षण एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु संस्था के परिसर में रहने की आवश्यकता को देखते हुए तथा संस्था में उनके लिये अन्य आवासीय सुविधा उपलब्ध न होने के कारण आवंटित किया गया। श्री एस0 डी0 दुबे को उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें भी अस्थायी रूप से एक कमरा आवंटित किया गया था।

जी हां। उपरोक्त दोनों कर्मचारियों से नियमानुसार किराया उनके वेतन से निरन्तर काटा जाता रहा है।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले में पिच करायी गयी सड़कें

171--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1 ले मंगलवार के अता0प्र0सं0 1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सा0नि0 मन्त्री बतान की कृपा करेंगे कि एक जिले के बीस रोडों को एकंग दो कि0मी0 तक पिच करने का क्या औचित्य है ?

श्री विद्या भूषण---

उपलब्ध धन के अनुसार ही मार्गों का विभिन्न लम्बाइयों में पिच कराया गया है।

देवरिया जिले की सी० सी० मार्ग की मरम्मत की मांग

172--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1 ले मंगलवार के अता0 प्र0सं0-2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सा0नि0 मन्त्री बतानें की कृपा करेंगे कि दुसरी बैजनाथ पुर तक की सी0सी0 ट्रैक जो पूर्णतया खराब हो गई है को प्रयोग में लाए जाने हेतु कौन से उपाय किये जा रहे हैं? क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री सम्बन्धित रोड को पिच कराने हेतु आदेश देंगे ?

श्री विद्या भूषण---

मार्ग आवागमन हेतु ठीक है। पुनः आदेश देने की आवश्यकता नहीं है।

आपरेशन फलड द्वितीय चरण के अन्तर्गत चुने गये जिले

173--श्री निर्मल खत्री--

क्या पशुपालन मन्त्री बतानें की कृपा करेंगे कि आपरेशन फलड-2 चरण में प्रदेश के किन-किन जनपदों को चुना गया है ? इसका क्या मानदण्ड रखा गया है ? इस योजना को क्या फैजाबाद में भी लागू किया जायगा ?

श्री संजय सिंह--

आलेख्य प्रास्पेक्टिव प्लान के अनुसार आपरेशन फलड-11 चरण में प्रदेश के निम्न जनपदों को चुना गया है:--

1---सहारनपुर
2---मुजफ्फरनगर
3---मेरठ
4---बुलन्दशहर

5––मुरादाबाद
6––अलीगढ़
7––मथुरा
8––गाजियाबाद
9––आगरा
10––एटा
11––मैनपुरी
12––फर्रुखाबाद
13––इटावा
14––कानपुर
15––फतेहपुर
16––उन्नाव
17––हरदोई
18––सीतापुर
19––बाराबंकी
20––रायबरेली
21––सुल्तानपुर
22––लखनऊ
23––इलाहाबाद
24––जौनपुर
25––वाराणसी
26––मिर्जापुर
27––गाजीपुर
28––बलिया

जिले में होने वाले दुग्ध उत्पादन और उसके बाद विक्रय योग्य अतिरिक्त दूध की उपलब्धता इसका मापदण्ड रखा गया है।

जी नहीं।

साकेत डेरी, फैजाबाद में पालीथीन बैग मशीन लगाने की मांग

174––श्री निर्मल खत्री––

क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि साकेत डेरी, फैजाबाद के लिए पालीथीन बैग मशीन लगाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक यह योजना प्रारम्भ हो सकेगी ?

श्री संजय सिंह––

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एल० टी० मेन्स द्वारा ग्रामों का विद्युतीकरण

175––श्री जयदीप सिंह बरार––

क्या ऊर्जा मन्त्री यह विवरण मण्डलानुसार उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न मण्डलों के कितने ग्रामों का विद्युतीकरण एल0टी0 मेन्स द्वारा 31 मार्च, 1983 तक हो चुका है ? कितने प्रतिशत ग्राम 31 मार्च, 1984 तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है ?

ब्रह्म दत्त—
वाँछित विवरण निम्नवत है—

मडल का नाम	31–3–83 तक विद्युतीकृत ग्राम (एल0टी0 मेन्स द्वारा)	वर्ष 83–84 के अन्त तक ग्रामों के विद्युतीकरण (एल0 टी0 मेन्स द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य प्रतिशत में)
मेरठ	2200	41.04
आगरा	1390	21.87
बरेली	1368	21.63
मुरादाबाद	1367	25.22
इलाहाबाद	1850	20.20
झांसी	1025	26.12
वाराणसी	2465	18.33
गोरखपुर	3595	19.56
लखनऊ	1700	18.77
फैजाबाद	2225	17.16
कुमाऊं	3076	74,72
गड़वाल	2550	35.38
	24811	23.97

176—श्री प्रदीप कुमार यादव—
[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 7वें मंगलवार (22–3–83) के लिये निर्धारित सर्वश्री फिरंगी प्रसाद सिशारद व राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के मूल उत्तर में संशोधन

76—क्या सरकार को जानकारी है कि दिनाँक 29 नवम्बर, 1982 को मकान नं0 136/131 दुर्विजयगंज सराय, लखनऊ में रह रहे किराएदार के गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी को कुछ लोगों द्वारा डरा धमका कर सारा सामान मकान से बाहर फेंक कर तथा उसकी पत्नी से संदिग्धपूर्ण कागज पर अंगूठा लेकर कब्जा करने की रिपोर्ट दिनाँक 29 नवम्बर. 1982 को थाना नाका हिण्डोला पर दर्ज कराई गयी ? यदि हाँ, तो घटना का पूरा विवरण क्या है तथा शासन ने इस पर अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र—
जी हाँ।

प्रश्नगत मामले के सम्बन्ध में श्री रूप नारायन पाठक, जो मकान नं0 136/131 दुर्विजयगंज सराय में सपरिवार किराएदार के रूप में रहते थे, द्वारा दिनाँक 29–11–82 को थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ पर लिखायी गयी रिपोर्ट के आधार पर धारा 147/448/384 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत एक अभियोग श्री शम्भू दयाल (मकान मालिक) व चार अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कायम किया गया। विवेचना से वादी द्वारा रिपोर्ट मे अंकित कराए

गये तथ्य प्रमाणित नहीं हुए। अतः अभियुग की विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा ,समाप्त की गयी। विवेचना से ज्ञात हुआ कि वादी श्री पाठक एवं श्री शम्भू दयाल (मकान मालिक) के मध्य एक वाद न्यायालय में चल रहा था जिसमें श्री पाठक हार गये अतः न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय के अमीन द्वारा उक्त मकान खाली कराया गया था मकान खाली कराने के उपरान्त मकान मालिक श्री शम्भू दयाल के कब्जे में दिया गया और तामील रिपोर्ट पर वादी (श्री पाठक) की पत्नी का निशानी अंगूठा लगवा लिया गया।

संशोधित उत्तर

जी हाँ।

प्रश्नगत मामले के सम्बन्ध में श्री रूप नारायन पाठक, जो मकान नं0 136/131 दुर्विजयगंज सराय में सपरिवार किराएदार के रूप में रहते थे, द्वारा दिनाँक 29-11-82 को थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ पर लिखाई गयी रिपोर्ट के आधार पर धारा 147/448/384 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत एक अभियोग श्री शम्भू दयाल व चार पाँच अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध कायम किया गया। विवेचना मे वादी द्वारा रिपोर्ट में अंकित कराए गये तथ्य प्रमाणित नहीं हुए। अतः अभियोग की विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गयी। विवेचना के दौरान उक्त मकान के सम्बन्ध में वाद चलने की जानकारी प्राप्त हुई। न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय के अमीन द्वारा उक्त मकान खाली कराया गया था। मकान खाली कराने के उपरान्त अमीन द्वारा उसका कब्जा श्री शम्भू दयाल को दिया गया था तथा निकाले गये सामान को श्री पाठक की पत्नी को सुपुर्द कर उनका निशानी अंगूठा लगवाया गया था।

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 8वें मंगलवार (6-4-83) के लिए निर्धारित श्री राम औतार दीक्षित द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 67 के मूल उत्तर में संशोधन

67--क्या मुख्य मत्री को जानकारी है कि पुलिस अधीक्षक (नगर), लखनऊ को दिसम्बर, 1982 के दूसरे सप्ताह में थानाध्यक्ष, नाका हिंडोला, लखनऊ के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र छः विधान सभा सदस्यों द्वारा सर्वश्री राम आसरे वर्मा, मोहन सिंह, माता प्रसाद पाण्डेय आदि द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के साथ प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र---

श्री रूप नारायन पाठक का प्रार्थना-पत्र दिनांक 6-12-82 उक्त छः विधायकों द्वारा अग्रसारित पुलिस अधीक्षक, नगर लखनऊ को दिनांक 16-12-82 को प्राप्त हुआ था जिसमें आरोपित था कि 29-11-82 को जब श्री पाठक अपने कार्यालय में थे तो उनके मुहल्ले के निवासी श्री शम्भू दयाल व अन्य कुछ व्यक्तियों ने उनका मकान जबरदस्ती खाली करवा दिया। थानाध्यक्ष नाका हिंडोला से प्रार्थना करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

प्रश्नगत मामले में श्री रूप नारायन पाठक, जो मकान नं0 136/131 दुर्विजयगंज, थाना नाका हिंडोला में किराएदार के रूप में रहते थे, द्वारा दिनांक 29-11-82 को थाना नाका हिन्डोला, लखनऊ पर लिखाई गयी रिपोर्ट के आधार पर धारा 147/448/384 भा0दं0वि0 के अतिर्गत एक अभियोग श्री शम्भू दयाल (मकान मालिक) व चार अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कायम किया गया। विवेचना से वादी द्वारा रिपोर्ट में अंकित कराए गये तथ्य प्रमाणित नहीं हुए। अतः अभियोग की विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गयी। विवेचना से ज्ञात हुआ कि वादी श्री पाठक एवं श्री शम्भू दयाल (मकान मालिक) के मध्य एक वाद न्यायालय में चल रहा था जिसमें श्री पाठक हार गये थे। अतः न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय के अमीन द्वारा उक्त मकान खाली कराया गया था।

संशोधित उत्तर

जी हां ।

श्री रूप नारायन पाठक का प्रार्थना-पत्र दिनांक 6-12-82 उक्त छः विधायकों द्वारा अग्रसारित पुलिस अधीक्षक नगर को दिनांक 16-12-82 को प्राप्त हुआ था जिसमें आरोपित था कि दिनांक 29-11-82 को जब श्री पाठक अपने कार्यालय में थे तो उनके मुहल्ले के निवासी श्री शम्भू दयाल व अन्य कुछ व्यक्तियों ने उनका मकान जबरदस्ती खाली करवा दिया। थानाध्यक्ष, नाका से प्रार्थना करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

प्रश्नगत मामले के सम्बन्ध में श्री रूप नारायन पाठक, जो मकान नं0 136/131 दुर्विजयगंज, थाना नाका में किराएदार के रूप में रहते थे, द्वारा दिनांक 29-11-82 को थाना नाका हिन्डोला, लखनऊ पर लिखाई गयी रिपोर्ट के आधार पर धारा 147/448/384 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत एक अभियोग श्री शम्भू दयाल व चार-पांच अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध कायम किया गया। विवेचना से वादी द्वारा रिपोर्ट में अंकित कराए गये तथ्य प्रमाणित नहीं हुए। अतः अभियोग की विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गयी विवेचना से ज्ञात हुआ कि उक्त मकान के सम्बन्ध में एक वाद न्यायालय में चला था जिसके निर्णय के अनुपालन में न्यायालय के अमीन द्वारा मकान खाली कराने की कार्यवाही की गयी थी ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 14 फरवरी, 1984 की बैठक में यह सिफारिश की है कि दिनांक 15 फरवरी, 1984 से 29 फरवरी, 1984 तक के विधान सभा के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय--

"15 फरवरी, 1984, बुधवार को अपराह्न 5 बजे तक श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। अपराह्न 5 बजे वित्तीय वर्ष 1983-84 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण होगा। 16 फरवरी, 1984, गुरुवार को बैठक नहीं होगी। 17 फरवरी, 1984, शुक्रवार को अपराह्न 5 बजे तक असरकारी कार्य के अन्तर्गत श्री रामस्वरूप वर्मा के उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983, जिस पर विचार किए जाने का प्रस्ताव सभा में विचाराधीन था, पर चर्चा। अपराह्न 5 बजे से वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक के प्रस्तुतीकरण के तुरन्त पश्चात् वित्तीय वर्ष 1984-85 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण। फरवरी 18, 1984, शनिवार और फरवरी, 19, 1984, रविवार को बैठक नहीं होगी । दिनांक 20 फरवरी, 1984, सोमवार को वित्तीय वर्ष 1983-84 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उनका पारण, 2--लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण। 21 फरवरी, 1984, मंगलवार को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। 22 फरवरी, 1984, बुधवार को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। 23 फरवरी, 1984, गुरुवार को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। 24 फरवरी, 1984, शुक्रवार को असरकारी दिवस। 25 फरवरी, 1984, शनिवार, 26 फरवरी, 1984, रविवार को बैठक नहीं होगी। 27 फरवरी, 1984, सोमवार को उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार एवं उसका पारण , 2--इण्टरमीडिएट शिक्षा संशोधन, विधेयक, 1984 पर विचार

एवं उसका पारण। 28 फरवरी, 1984, मंगलवार को वित्तीय वर्ष 1984–85 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा। 29 फरवरी, 1984, बुधवार को बैठक नहीं होगी। (शिवरात्रि का अवकाश)।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)––

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, कार्य-मन्त्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष ने इस सदन को दी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि यह सदन, कार्य-मन्त्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष ने सदन को दी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विधान सभा सदस्य एवं राजस्व मंत्री, श्री बैजनाथ कुरील के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)––

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री बैजनाथ कुरील जी का निधन दिनांक 26 जनवरी, 1984 को 11.00 बजे गणतन्त्र दिवस के दिन हो गया। उस समय उनकी उम्र 64 वर्ष थी, वह हमारे प्रदेश के राजस्व मन्त्री थे। स्वर्गीय श्री कुरील जी से सभी माननीय सदस्य भलीभांति परिचित हैं। वह सन् 1952 से 1977 तक कांग्रेस के टिकट पर लोक सभा के सदस्य रहे। वह विभिन्न कांग्रेस कमेटियों में और लोकसभा की सदन की कमेटियों में भी कार्य करते रहे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया और अभी वह इस प्रदेश के राजस्व मन्त्री भी थे। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि उनकी कार्य-प्रणाली, उनका व्यवहार और उनकी कार्य-कुशलता अनुकरणीय है। स्वर्गीय श्री कुरील कभी भी कटु-भाषी नहीं थे। मुझे भी उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला। वे विषय वस्तु को तथ्य सहित रखने में और उसकी पुष्टि में कहीं भी कोई कमी नहीं रखते थे।

वे बातों को भलीभांति सोचकर समझकर तब सामने रखते थे। ऐसे विचारशील, विनयशील और कार्य सक्षम व्यक्ति के अभाव से उत्तर प्रदेश के ऐसे नेता का और विशेषकर गरीब वर्ग के बड़े नेता का, जो अभाव हुआ है, साधारणतया उसकी पूर्ति होना सम्भव नहीं है। हम लोगों को, विशेषकर, मुझे उनके साथ बहुत कार्य करने का अवसर मिला। उस दिन गणतन्त्र दिवस पर, आप में से कुछ लोग यहां रहे होंगे, बहुत से लोग नहीं रहे होंगे, जब राष्ट्रीय गान हो रहा था, राष्ट्रीय गान के लिए वे खड़े हुए थे, हम लोग भी उस राष्ट्रीय गान के लिए खड़े थे, वे माननीय अध्यक्ष जी के बगल में थे और मैं भी उन्हीं के पास में था, एकाएक माननीय अध्यक्ष जी ने बैठते-बैठते ही मुझे सम्बोधित करते हुए कहा कि कुरील जी तो गिर गये, तब मैं उधर गया और लोग भी आ गए और फिर उनको हास्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन दुख है कि हास्पिटल पहुंचने के शायद पहले ही या पहुंचते-पहुंचते ही उनका देहावसान हो गया। मैं अपने दल की तरफ से, इस सदन की तरफ से और अपनी तरफ से यह शोक संवेदना व्यक्त करते हुए, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हू। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उनके स्वजनों, उनके परिवार के लोगों को शोक संवेदना भेजने के लिए आपसे निवेदन करत हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मृत आत्मा को शान्ति दे और उनके परिवार को इस दुख को वहन करने की शक्ति दे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय बैजनाथ कुरील जी के निधन पर संवेदना के जो भाव माननीय नेता सदन ने यहां पर व्यक्त किए हैं, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं ।

मान्यवर, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी राष्ट्रीय ध्वनि की लय के साथ ही जीवन की अन्तिम सांस लेकर हमसे विदा हो गया। मान्यवर, जब 27 तारीख को देश प्रदेश में बीटिंग दि रिट्रीट हो रहा था, उस समय हम सभी में बहुत से लोग उस स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समर्पित थे। मान्यवर, प्रदेश में जब स्वर्गीय कुरील साहब के सम्मान में राजकीय शोक मनाया जा रहा था हम सब उनके शोक में व्यथित थे, उसी समय इस प्रदेश के राज भवन में एक चाय पान का आयोजन चल रहा था, जो निन्दनीय है। यह नहीं होना चाहिए था। मान्यवर, उसी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के प्रति मैं नतमस्तक हूं। मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से उनके प्रति श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस संवेदना के भाव को उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रियासत हुसैन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री बैजनाथ कुरील जी के निधन पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, मुझे उनके साथ कुछ समय तक रेवेन्यू कोड बिल के सम्बन्ध में साथ रहने का अवसर मिला था। मैंने तो उनके कार्य एवं व्यवहार से यही अन्दाजा लगाया था कि चाहे वे केन्द्र में मन्त्री पद पर रहे हों, या चाहे उत्तर प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहे हों, या चाहे यही शासन में मन्त्री पद पर होने के बावजूद भी रेवेन्यू कोड बिल के अध्यक्ष की हैसियत से जितना भी उनके दिल में दुख और दर्द यहां की शोषित और पीड़ित जनता के लिए था, उससे मैंने, उनसे बहुत कुछ सीखा है। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से उनके दुखी परिवार के लिए संवेदना भेजने की कृपा करें।

श्री भीखा लाल—

मा० अध्यक्ष महोदय, श्री बैजनाथ कुरील जी के निधन के सम्बन्ध में जो बातें नेता सदन, नेता विरोधी दल और नेता जनता पार्टी ने कही हैं, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं।

माननीय कुरील जी से मेरा भी काफी दिनों से निकट का सम्बन्ध था। यही नहीं कि वे इस सदन में सदस्य होकर आये या मन्त्री की हैसियत से थे, बल्कि जब वे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तभी से उनका मेरा नजदीकी सम्बन्ध था। वे बहुत ही सरल स्वभाव लेकिन विचारों के दृढ़ आदमी थे। मेरा निर्वाचन क्षेत्र उनके निर्वाचन क्षेत्र से मिला हुआ है। उनसे मेरा परामर्श होता रहता था। वे सदैव हर मसले पर सहायता और सहयोग देने के लिए तत्पर रहते थे। गरीब वर्ग, पिछड़े वर्ग और हरिजनों को आगे बढ़ाने में वे सदैव तत्पर रहते थे। उनके निधन से सारे प्रदेश को महान क्षति हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वर्गीय श्री बैजनाथ कुरील के प्रति अपने और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे विचार उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री फखरे आलम—

जो इस दुनियां में आया है, उसे जाना है, लेकिन जब कोई मौत ऐसी होती है जो ख्याल में भी न हो, तब अजीब हालत हो जाती है। 25 जनवरी की शाम को आपको याद होगा डिनर के समय वे बिल्कुल तन्दुरुस्त थे और हंस-बोल रहे थे। हम नहीं सोच सकते थे कि 12 घंटे या 14 घंटे के बाद वे हमारे बीच में नहीं रहेंगे। माननीय बैजनाथ कुरील ने यू0पी0 काँग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट की हैसियत से जो काम किया था वह यादगार है। मैं भी काँग्रेस में था, पी0सी0सी0 का मेम्बर था। उनके यहाँ जाया करता था और देखता था कि वे कैसे संचालन करते थे। समाज के गरीब वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, माइनारिटी के लिए वे बहुत कुछ करना चाहते थे। जहाँ ज्यादती होती थी, उनके दिल में अजीब बात पैदा हो जाती थी। रेवेन्यू मिनिस्टर की हैसियत से भी वे बहुत कुछ काम करना चाहते थे। उसका उन्होंने इन्तजाम भी किया था, लेकिन अफसोस है कि मौत के जालिम हाथों ने उनको हमसे इतनी जल्द छीन लिया।

खुदा मालूम ये दस्ते अजल को कैसी सूझी है,
चमन से फूल चुनना और वीराने में रख देना।

इस तरह से एक ऐसे कैरियर का खात्मा हो गया, जिसे अभी बहुत कुछ करना था। इसके साथ ही मैं अपने को और अपने दल को उन तमाम ख्यालों से बाबस्ता करता हूं जो माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल एवं अन्य दलों के नेताओं ने रखे हैं। इसके साथ ही आपसे गुजारिश है कि मेरे इन ख्यालों को उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं ने जो इस सदन के सम्मुख अपने भाव प्रगट किए हैं, मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। जहाँ तक कुरील साहब का सम्बन्ध है, उनसे मेरा परिचय आज से नहीं था बल्कि जब मेरे जनपद बुलन्दशहर में एक नायब तहसीलदार की हैसियत से उन्होंने काम किया था, उस वक्त से मेरे साथ उनके सम्बन्ध थे। वे बड़ी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करते थे। चाहे हम उसको मानें या नहीं, लेकिन उनकी झांकियाँ उनका जो सम्बन्ध था गरीब लोगों से, उसको नहीं भुलाया जा सकता।

यह सन् 1952 से लेकर 1977 तक पार्लियामेंट के मेम्बर भी रहे। स्व0 फिरोज गाँधी और स्व0 पंडित जवाहर लाल नेहरू जो वहाँ से चुनाव लड़ते थे, उनसे भी उनका सम्बन्ध रहा और उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। साथ ही साथ जब कि उस वक्त कोई बात पूछने वाला नहीं था गरीबों से और ऐसे लोगों से जिनकी कोई पहुंच नहीं होती, कुरील उन व्यक्तियों में से थे जो ऐसे लोगों की बातों को बड़े ही सरल स्वभाव से सुनते थे और जो भी उनसे हो सकता था उनके लिए वह करते थे। इसके अतिरिक्त वह विदेशों में भी रहे तथा भारत सरकार में उप मन्त्री के रूप में भी काफी दिनों तक उन्होंने कार्य किया। जैसाकि माननीय सदस्यों ने कहा कि वह गरीबों के पूरे हमदर्द थे और वह स्वयं भी वैसे ही वातावरण में पैदा हुए थे और नीचे से उठकर ऊपर को आये थे। जो भी मा0 नेताओं ने अपने विचार उनके प्रति प्रकट किए, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और यह उनकी दुखी संवेदनाएं मैं उनके दुखी परिवार तक पहुंचा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भूतपूर्व सदस्य, श्री सैयद अली जहीर, सेठ अचल सिंह, श्री बद्री नारायण मिश्र, श्री सत्य-नारायण दत्त, श्री महाबीर पाण्डेय, श्री जुगल किशोर, श्री राम चन्द्र आजाद, श्री जरगाम हैदर, श्री देवी चरण अग्निहोत्री तथा श्री देवमूर्ति शर्मा के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वयोवृद्ध राजनेता जिनसे सभी माननीय सदस्य परिचित हैं स्व0 सैयद अली जहीर, जो हमारे बड़े योग्य नेता और केन्द्रीय सरकार के मन्त्री थे और यह देश की अन्तरिम सरकार जो सन् 1946 में बनी थी पहली बार उसमें भी मन्त्री की हैसियत से रहे तथा वह देश के बाहर राजदूत की हैसियत से भी रहे। साथ ही इस प्रदेश में जो आजादी के बाद पहला मन्त्रि मण्डल पन्त जी का बना, उसमें भी यह मन्त्री के रूप में रहे। साथ ही विभिन्न बड़े-बड़े राजनीतिक पदों और सरकारी ओहदों पर रहे। यह जौनपुर जनपद के रहने वाले थे, लेकिन लखनऊ में रहकर अपनी वकालत हाईकोर्ट में करते थे और उनका सारा जीवन राजनीतिक, सामाजिक और जनता की सेवा में बीता। स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाई से लेकर आज तक, जब तक आप जीवित रहे, तब तक उन्होंने अपनी जिन्दगी का एक मकसद सा बना लिया था कि जनता की ही सेवा करनी है और उनके सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही की जा सकती थी, करते रहे और दूसरे वह स्वतः शायद ही ऐसा कोई पोर्टफोलियो हो, जिसे उन्होंने न देखा हो। आजादी की लड़ाई के समय में बहुत से ऐसे क्षण आए, जबकि उस समय जो लोग होंगे और उस लड़ाई को जानते होंगे कि अली जहीर ही एक ऐसी उज्जवल शिखा पर थे और उस लड़ाई में जो भी बातें पेश आतीं तो अली जहीर साहब उन लोगों में प्रकाश का माध्यम बनते थे और उनको रोशनी दिखाते थे। ऐसे नेता के देहान्त पर निश्चित ही इस देश का अगुआ, कर्मठ सदस्य उठ गया है जिसकी आपूर्ति होना अत्यन्त कठिन है।

हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के एक से एक सदस्य थे, जो कि आज तक हमारे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हमारे साथ रहे। इनमें से एक सदस्य हैं, जोकि इस सदन के भू0 पू0 सदस्य थे और लोक सभा के भी भू0पू0 सदस्य थे, जिनका नाम है सेठ अचल सिंह। सेठ अचल सिंह जी उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, भूतपूर्व सांसद आगरा के थे। इनका जन्म 5 मई, 1895 में आगरा में हुआ था और इनका देहान्त 22 दिसम्बर, 1983 को हृदय-गति रुक जाने से हुआ था। वे लगभग 89 वर्ष के थे। उनके जीवन का इतिहास देखें तो पता चलता है कि सन् 1921 से लेकर 1942 तक जितने भी आन्दोलन हुए चाहें वह नमक सत्याग्रह हो, चाहे वह सविनय अवज्ञा आन्दोलन हो, चाहे राष्ट्रीय आन्दोलन हो, सभी आन्दोलनों में उन्होंने भाग लिया और कई-कई वर्षों के लिए जेल गये।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हम देखें तो वे 1936 में प्रथम बार इस सदन में सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर आये थे। 1946 में वे पुनः विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1952 में लोक सभा के सदस्य हुए और तब से लगातार 1977 तक वे लोक सभा में रहे। इस तरह से सेठ जी का जीवन केवल राजनैतिक सत्ता की लड़ाई के लिए नहीं था। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में बहुत कार्य किया। जिस प्रकृति और स्वभाव के वह व्यक्ति थे वह स्तुत्य है। ऐसे व्यक्ति के बिछुड़ने से हमें और हमारे दल के सदस्यों को अत्यन्त शोक है।

मान्यवर, वे व्यक्ति जिनका देहान्त हुआ है उनमें से इस सदन के एक भूतपूर्व सदस्य, श्री बद्रीनारायण मिश्र है। मिश्र जी का जन्म 1905 में देवरिया जिले के ग्राम बगहा में हुआ था। 1952 के आम चुनाव में वे निर्वाचित होकर इस सदन में सदस्य के रूप में आये थे और 1957 तक वे यहाँ के सदस्य रहे। ये बड़े क्रान्तिकारियों में से थे। स्वतंत्रता आंदोलन में जितनी भी क्रांतियाँ हुई चाहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फैजाबाद काण्ड हो, पिपरीडीह केस हो या 1942 का काण्ड हो, सभी में इन्होंने भाग लिया जिसके कारण इन्हें 11 वर्ष की सजा मिली थी। श्री मिश्र जी सर्वश्री राजर्षि पुरुषोत्तदास टण्डन, आचार्य नरेन्द्रदेव एवं श्री सम्पूर्णानन्द जैसे महान नेताओं के सम्पर्क में आये। वे अनेक बार प्रदेशीय काँग्रेस कमेटी एवं अखिल भारतीय काँग्रेसी कमेटी के सदस्य रह चुके थे। शिक्षा जगत में उन्हें विशेष लगाव था। श्री मिश्र जी के देहावसान से हमने एक प्रतिष्ठित समाज सेवी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खो दिया है।

इसी प्रकार से श्री सत्यनारायण दत्त का निधन 30 अप्रैल, 1983 को हो गया। वे लगभग 82 वर्ष के थे। सर्व प्रथम वे 1952 में काँग्रेस पार्टी के टिकट पर इटावा के अजीतमल निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर इस सम्मानित सदन में आये थे और 1957 तक यहाँ के सदस्य रहे।

श्री सत्यनारायण दत्त ने वर्ष 1921 से राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया और 1921, 1933 तथा 1941 में कई बार जेल गये। 1938 से 1940 तक वे जिला काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। इसके बाद 1963 से 1969 तक वे इटावा जिला परिषद् के अध्यक्ष रहे। यह सर्वोदय कमेटी के उपाध्यक्ष रहे। यह गरीबों के नेता और समाजवादी थे।

मान्यवर, महाबीर पाण्डेय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे हैं। इनका निधन 2 अक्टूबर, 1983 को हो गया। वे लगभग 91 वर्ष के थे। श्री पाण्डेय का जन्म 1892 में रायबरेली की डलमऊ तहसील के ग्राम ऐहार में हुआ था। बड़ी कम उम्र में राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया। भारत की कोई जेल ऐसी न होगी जहाँ पर यह न रहे हों। पाण्डेय जी ने अपनी आयु के 17 वर्ष कलकत्ता, नागपुर, कानपुर, रायबरेली, बदायूं आदि शहरों की जेलों में गुजारे। सन 23, 27, 31 व 32 के आन्दोलन तथा नमक सत्याग्रह में भाग लिया और उसके बाद ये क्रान्तिकारी नेता शहीद भगत सिंह एवं चन्द्र शेखर आजाद के साथ हो गये। तत्पश्चात क्रान्तिकारी नेता सुभाष चन्द्र-बोस के सम्पर्क में आये। वर्ष 1942 से 1944 तक यह भूमिगत रहे। इन्होंने एक समाचार पत्र 'सिंहनाद' का प्रकाशन किया। श्री पाण्डेय अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के सम्पर्क में आये और उनके नाम पर अपने गाँव में एक विद्यालय की स्थापना की।

स्व0 जुगल किशोर जी से आप सभी लोग परिचित ही हैं। वे इस सदन के सदस्य थे। यह कम आयु में स्वर्गवासी हुए। इनका देहान्त 5 अक्तूबर, 1983 को हो गया। उन्होंने 1955 व 1957 में क्रमशः हाई स्कूल व इटरमीडियेट श्री बाबू सिंह इन्टरमीडिएट कालेज बदायूं से पास किया। वे 1962 में प्रथम बार प्रजा समाजवादी दल के टिकट पर गुन्नौर क्षेत्र से निर्वाचित हो कर आये और 1967 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से काँग्रेस के टिकट पर पुनः विधायक चुने गये। 1974 में भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर इसी निर्वाचन क्षेत्र से फिर इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 1977 से 1980 तक यह सहकारी बैंक शाखा बदायूं के संचालक रहे।

श्री राम चन्द्र आजाद का निधन 13 अक्तूबर, 1983 को हो गया। वे लगभग 53 वर्ष के थे। इनका जन्म 1930 में टाँडा, जिला फैजाबाद में हुआ था। 1967 में ये काँग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए थे और फिर भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर 1969 में निर्वाचित हुए। श्री आजाद मई, 1970 तथा 1976 में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के लिए निर्वाचित हुए। श्री आजाद युवावस्था से ही देश की स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रहे और इस दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। श्री आजाद कई शिक्षा संस्थाओं के अग्रणी कार्यकर्त्ता तथा किसान हाई स्कूल टाँडा के प्रबन्धक रहे।

[श्री श्रीपति मिश्र]

श्री जरगाम हैदर इस सदन के सदस्य थे और इनका निधन दिल का दौरा पड़ने के कारण हो गया । वे लगभग 71 वर्ष के थे । श्री हैदर 1957–62 में बहराईच निर्वाचन क्षेत्र से प्रजा समाजवादी दल से निर्वाचित होकर इस सदन में आये थे। श्री जरगाम हैदर 1945 तथा 1953 में नगर महापालिका बहराईच के सदस्य रहे थे तथा 1958 में बहराइच नगरपालिका के अध्यक्ष हुए। ये वकालत करते थे और वहाँ के वरिष्ठ एवं मान्यता प्राप्त अधिवक्ता थे ।

श्री देवी चरन अग्निहोत्री जी का निधन 5 सितम्बर, 1983 को हो गया। यह भी कम आयु में स्वर्गवासी हुए। इनका जन्म मथुरा में हुआ था। 1967 में यह निर्दलीय सदस्य के रूप में चुनकर यहाँ आये थे। यह मथुरा तथा आसपास के अत्यन्त लोकप्रिय नेता थे और यह समाज सेवा में निरन्तर रत रहते थे ।

मान्यवर, हमारे एक और साथी श्री देव मूर्ति शर्मा का निधन 13 जनवरी, 1984 को हुआ। वे 92 वर्ष की आयु के थे। वे सन 52 में इस विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था और लगातार 16 वर्षों तक जिला काँग्रेस कमेटी के वे अध्यक्ष भी रहे। वे वहाँ पर एक कालेज का संचालन भी करते रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उनकी बड़ी प्रमुखता रही ।

मान्यवर, ये सारे हमारे भूतपूर्व सदस्य जिन्होंने अपना जीवन देश की आजादी और गरीबों तथा समाज की सेवा में बिताया और जिन्होने इस सदन में अपने कार्य से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया उनके निधन से हमारे समाज को और राजनीतिक जीवन को तथा इस सदन को बड़ा भारी घाटा हुआ है, उसकी आपूर्ति साधारणतया नहीं होती है। उनके चले जाने से हम लोगों को बड़ा क्षोभ है। मैं अपनी तथा अपने दल की तरफ से उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी इस शोक संवेदना को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र सिंह––

अध्यक्ष महोदय, आज हम माननीय कुरील साहब के अलावा इस माननीय सदन के 10 भूतपूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। यह निश्चित रूप से बड़ा दुखदायी दिन है। सबसे पहले स्वर्गीय अली जहीर जो इस माननीय सदन के सदस्य थे, हमसे विदा हो गये। उनके बारे में संवेदना के जो शब्द माननीय नेता सदन ने व्यक्त किये है उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, स्वर्गीय अली जहीर ने इलाहाबाद से ला की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने बार एट-ला की शिक्षा प्राप्त की। वे प्रदेश के अच्छे वकीलों में माने जाते थे। सन 1939 में ही वे स्वतंत्र उम्मीरवार के रूप में इस सदन में आये और सन् 1952, 1957, 1962, 1969 में इस माननीय सदन के सदस्य के रूप में चुन कर आये। वे शुरू से मंत्री रहे जबकि यहाँ पर पंत जी की सरकार थी। वे अनेक विभागों के मंत्री रह चुके हैं। वे एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने अपनी छाप प्रशासन में छोड़ी है। उनके निधन से निश्चित रूप से हमने पूरे प्रदेश में एक कर्मठ और कुशल प्रशासक तथा एक समाज सेवी खोया है जिसकी पूर्ति सम्भव नहीं है।

इसी तरह से सेठ अचल सिंह जी, जो इस माननीय सदन के सदस्य थे, उनका भी निधन हो गया। उनका जन्म एक सम्पन्न परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा कृषि में ग्रहण की थी, नैनी इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल कालेज से। इसी से यह विदित हो सकता है कि शुरू से ही उनमें कृषि से अपार प्यार था। कृषक गरीब व्यक्ति ही हुआ करता है। इसलिये निश्चित तौर पर उनका गरीबों के प्रति प्यार और सद्भाव था। सन 1936 और सन् 1946 में वे इस सदन में सदस्य चुन कर आये थे। और सन 52 से 57 तक लोक सभा के सदस्य थे। वे एक स्वतंत्र ता संग्राम सेनानी थे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज हम इस माननीय सदन के 11 सदस्यों के निधन पर अपनी संवेदनायें व्यक्त कर रहे

हैं उनमें ज्यादातर वे लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा हिस्सा लिया और उनके त्याग और निःस्वार्थ देश प्रेम के कारण मेरी जैसी पीढ़ी के लोग आजाद भारत में साँस लेने के लायक बने। मैं और मेरा दल इन महान विभूतियों के प्रति जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में भाग लिया, नत मस्तक है। जैसा माननीय नेता सदन ने कहा उस समय का कोई आन्दोलन या सत्याग्रह ऐसा नहीं बचा जिसमें सेठ जी ने भाग न लिया हो चाहे वह नमक आन्दोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आन्दोलन हो, चाहे साइमन कमीशन या प्रिंस आफ वेल्स के आगमन पर बहिष्कार हो।

नैतिक शिक्षा में गिरावट से भी वह बहुत दुखी थे। जिस दिन सेठ जी इस दुनिया से गये उसी दिन अमर उजाला में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जो दूसरे दिन उनकी मृत्यु के साथ ही छपा। इसके पहले भी उन्होंने कई बार इस पर लिखा लेकिन उस दिन का इंटरव्यू अपने आप में बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी बड़ी लगन थी और कई शिक्षा संस्थाओं से उनका संबंध रहा है। उनके निधन से आगरा ने ही नहीं पूरे प्रदेश बल्कि देश ने एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश भक्त, गरीबों का मसीहा, किसान मजदूरों का मददगार खो दिया है जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं है।

मान्यवर, इसी क्रम में स्वर्गीय बद्री नारायण मिश्र भी हैं। जैसा मैं कह चुका हूं, हमारे कई भूतपूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने देश की आजादी में हिस्सा लिया चले गये हैं। इन में से कुछ ने तो अहिंसा का रास्ता अपनाया लेकिन कुछ क्रान्तिकारी विचारधारा के थे। मिश्र जी भी क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे और उन्होंने क्रांतिकारी आन्दोलन में सक्रिय हिस्सा लिया चाहे वह सन 42 का आन्दोलन हो या फैजाबाद कांड हो उसमें वह जेल गये और जेल में वह इस देश के महान नेता स्व0 पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेन्द्र देव, पं0 सम्पूर्णानन्द आदि नेताओं के निकट आये। ऐसे व्यक्ति के निधन से हमने एक कुशल देशभक्त खो दिया है जो इस प्रदेश का निश्चित रूप से क्रांतिकारी और समाजसेवी रहा है।

स्वर्गीय श्री सत्य नारायण दत्त भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। इनका भी महान योगदान स्वतंत्रता संग्राम में रहा है। सन् 52 में यह कांग्रेस टिकट पर इस सदन में आये थे। इनकी ग्रामोद्योग और ग्रामोत्थान में विशेष रुचि थी, यह ब्लाक प्रमुख भी रहे हैं। यह इटावा से आये थे इनके निधन से हमने देश को आजाद कराने वाले निःस्वार्थ सिपाही को खो दिया है जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं है।

स्वर्गीय श्री महाबीर पाण्डेय सन 1962 में कांग्रेस टिकट पर इस सदन में रायबरेली से चुन कर आये थे। श्री पांडे भी महात्मा गांधी से प्रभावित होकर अपनी युवा अवस्था में 17 साल की उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और 11 वर्ष विभिन्न जेलों में छदम नामों में सजा काटी। चाहे वह साइमन कमीशन हो चाहे वह रायबरेली किसान आन्दोलन हो सभी में वह जेल गये और उस दौरान वह हमारे आदर्श पुरुषों के सन्निकट आये। वह क्रान्तिकारी विचारधारा के थे। उनके निधन से इस प्रदेश ने एक किसान नेता, सरल स्वभाव और मानवता के पुजारी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को खो दिया है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है।

आगे हैं स्वर्गीय श्री जुगल किशोर जी जो 3 बार इस माननीय सदन के सदस्य निर्वाचित होकर आये थे। मेरा भी उनसे क्रांतिदल में कुछ परिचय रहा। वह सरल स्वभाव के थे। उनका शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। वह एक समाजसेवी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों और पीड़ित वर्ग के लिये बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके निधन से बदायूं जनपद ही नहीं बल्कि इस प्रदेश ने एक समाजसेवी व्यक्ति को खोया है।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

स्वर्गीय श्री राम चन्द्र आजाद जिनका संबंध भी जीवन के अंतिम क्षणों तक मेरे दल से था, वह एम0एल0सी0 दो बार इलेक्ट हो चुके थे। उसके पहले 1967 में वह यहां पर इस माननीय सदन के सदस्य निर्वाचित होकर आये थे। वह बहुत सरल स्वभाव के थे। उनको गुस्सा कभी भी नहीं देखा। उन्होंने गांधी जी द्वारा चलाये गये सभी आन्दोलनों में भाग लिया था। स्वर्गीय आजाद उस पीढ़ी के व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में प्रमुख भूमिका निभायी। इस तरह एक उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ देशभक्त एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को हमने खो दिया है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है।

स्वर्गीय श्री जरगाम हैदर जो 1957 में प्रजा समाजवादी दल से बहराइच से निर्वाचित होकर इस सदन में आये थे। वह बहराइच में वकालत करते थे। वह अपने जनपद में अच्छे वकीलों की श्रेणी में थे। उनका समाज सेवा में ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान रहा है। उनके निधन से प्रदेश ने एक अच्छे समाजसेवी, राजनीतिज्ञ और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्ति को खोया है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है।

स्वर्गीय श्री देवीचरण अग्निहोत्री जो 1967 में इस माननीय सदन के निर्दलीय सदस्य निर्वाचित होकर आये थे। उसके बाद उनका सबंध क्रांति दल से रहा। मेरा भी उनसे परिचय रहा। वह मथुरा जनपद के थे। वह समाजसेवा, किसान, मजदूर, छोटे व्यक्ति, गरीब व्यक्तियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। इस तरह से हमने मथुरा जनपद के एक अच्छे, समाजसेवी और शिक्षा में लगाव रखने वाले व्यक्ति को खोया है जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं है।

स्वर्गीय श्री देवमूर्ति शर्मा भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फौज के एक सिपाही थे, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्देशन में उनके संचालन में देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। वह बनारस से 1952 में इस माननीय सदन के सदस्य निर्वाचित होकर आये थे। उनके निधन से हमने एक ईमानदार और सच्चा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खोया है।

स्वर्गीय श्री शाहनवाज खां जिनके निधन से देश ने एक साहसी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं सत्यनिष्ठ देशभक्त को खो दिया है।

मान्यवर, मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से इन सभी स्वर्गीय महानुभावों के प्रति, जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा हिस्सा लिया और जिन्होंने इस माननीय सदन के सदस्य रहकर अपनी प्रमुख भूमिका निभायी उनको श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूं और अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे एवं हमारे दल की तरफ से शोक संवेदना के भाव शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने जो स्वर्गीय सैय्यद अली जहीर, सेठ अचल सिंह, श्री बद्री नारायण सिंह, श्री सत्य नारायण दत्त, श्री महावीर पाण्डेय श्री जुगल किशोर, श्री राम चन्द्र आजाद, श्री जरगाम हैदर, श्री देवीचरण अग्निहोत्री और श्री देवमूर्ति शर्मा के इन्तकाल के सम्बन्ध में अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं एवं अपनी व अपने दल की तरफ से उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्रीमन् इन लोगों ने सभी लोगों ने मुल्क को आजादी के लिए बढ़ चढ़कर काम किया था। साथ ही समाज की सेवा के लिए और शिक्षा जगत के जरिये समाज की सेवा करने में इन लोगों ने एक से बढ़कर एक सेवा की थी। हमारे लिये और हमारी आने वाली नस्लों के लिए इनकी जीवनियां मशाले राह हैं। सभी रास्ता दिखाने वाली चीजें हैं। मैं समझता हूं कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे सैय्यद अली जहीर, इनका सम्बन्ध देश की राजनीति से लेकर इस प्रदेश की राजनीति और अपने गांव तक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की वास्तविकताओं से बराबर रहा है। इस तरह के लोगों की अगर कुछ चीजें यादगार की शक्ल में कायम की जाएं, जैसे सड़कें या पार्क आदि तो मैं समझता हूं आने वालों के लिए उनकी यादगार मुस्तिकल बनी रहेगी और आगे की पीढ़ियों को बताने में इससे मदद मिलेगी कि इन लोगों ने देश और समाज के लिए इतनी सेवायें की थीं। श्रीमन्, फिर मैं एक बार अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से, सारे स्वर्गवासी लोगों की आत्माओं की शान्ति के लिए, उनके दुखी परिवारों तक हमारे संवेदना के स्वर पहुंचाने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं, आप उनके दुखी परिवारों को हमारे संवेदना के स्वर पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री भीखा लाल--

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और नेता जनता पार्टी मे इस सदन के समक्ष 10 दिवंगत माननीय सदस्यों के प्रति अपने कुछ विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने, और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, यह वह हस्तियां रही हैं, जिनका हमारे देश की आजादी में, देश की अखण्डता को बनाये रखने में, देश और समाज के उत्थान में काफी योगदान रहा है। जो आने वाली पाढ़ियों के लिए काफी अनुकरणीय रहेगा। बहुत से ऐसे सदस्य हैं, जिनके साथ इस सदन में रहने का हमें भी मौका मिला है। सैय्यद साहब के इस सदन में व्यवहार और विद्वतापूर्ण बातों की जब मैं याद करता हूं, तो मालूम होता है कि वह कल की ही बातें हों। वह बड़े मृदुल स्वभाव के थे, उनकी एक-एक बात से ऐसा लगता था कि जो अवध की कल्चर है, वह उनके व्यक्तित्व में झलकती है। इन सब माननीय सदस्यों के निधन से हमारे प्रदेश और देश की अपार क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से इन सब दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मान्यवर आपसे निवेदन है कि आप मेरी और मेरे दल की संवेदना को दिवंगत परिवार वालों के पास पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री फखरे आलम--

माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने इन स्वर्गवासी लोगों के प्रति जो इस सदन में अपने खयालात का इजहार किया है, मैं अपने को और अपनी पार्टी को उनसे पूरी तरह से सम्बद्ध करता हूं। सैय्यद अली जहीर की मौत तो एक युवा का खात्मा है। वह एक ऐसे व्यक्ति उत्तर प्रदेश में हुए थे, जिनको दिलों से भुलाना नामुमकिन है। सैय्यद साहब की सेवा करते-करते धीरे धीरे हेल्थ खराब होती जा रही थी और पिछले दो साल से तो वह चलने के काबिल भी नहीं रहे थे। सैय्यद साहब ने केन्द्र और प्रान्त के मंत्रिमंडल में रहकर और दूसरे बड़े पदों पर वर्षों रहकर जो प्रदेश और देश की खिदमत की, जिस लगन से काम किया है वह हमेशा जिन्दा रहने वाली यादगार है। उनके मरने से जो नुकसान पहुंचा है उसकी पूर्ति नहीं हो पायेगी। वह ऐसा नुकसान हुआ है जिसको खुदा ही शायद कभी पूरी कर सके। उनकी मौत से जो कमी हुई है उसका अहसास हर वक्त होता रहेगा। उनकी रूह को शान्ति मिले।

सेठ अचल सिंह की मौत से भी प्रदेश को गहरा धक्का पहुंचा है। आगरा डिवीजन की ही नहीं, पूरे प्रदेश की उन्होंने बड़ी सेवा की थी। गरीब जनता की खिदमत में ही वे जुटे रहते थे।

बद्रीनारायण मिश्र जी भी एक ऐसे कर्मठ और जनता की खिदमत करने वाले कार्यकर्त्ता थे कि उनकी याद भी हमेशा आती रहेगी। उनकी मौत से भी बड़ा दुख पहुंचा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फखरे आलम]

सत्य नारायण दत्त जी भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने जनता की बड़ी सेवा की थी। महाबीर पाँडे जी की मौत से भी बड़ी हानि हुई है।

जुगलकिशोर जी तो मेरे जिले के ही थे। उनके निधन की खबर सुनते ही लोगों में शोक की लहर फैल गयी। वे कई वर्ष तक इस माननीय सदन के सदस्य रहे और सेवा की। अपने जिले में उन्होंने बहुत काम किये। कई स्कूल और कालिज भी वे चलाते थे। वे बहराइच के जाने माने एडवोकेट थे। नगरपालिका के वे चेयरमन भी रहे। 1956–62 तक यहाँ विधान सभा के सदस्य रहे। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। उनकी मौत से बहराइच जनपद को बहुत धक्का पहुंचा है। वे जनता में बहुत प्रिय थे।

सर्वश्री राम चन्द्र आजाद, जरगाम हैदर, देवमूर्ति शर्मा, इन लोगों के मरने से भी प्रदेश की बहुत बड़ी हानि हुई है। इन लोगों ने जो काम किये हैं वे हमेशा याद आते रहेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारी और हमारे दल की संवेदनायें इन सभी दुखी परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, तथा अन्य दलों के माननीय नेताओं ने जो अपनी भावनायें व्यक्त की हैं, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। स्वर्गीय सैय्यद अली जहीर साहब का जहाँ तक सम्बन्ध है, मुझे भी उनके साथ काम करने का इस प्रदेश में मौका मिला। अगर हम उनके जीवन को देखें तो वे एक ऐसे घराने में पैदा हुए थे जो उस समय मुस्लिम लीग से संबंध रखता था। उस समय प्रदेश और देश में एक ऐसा वातावरण था कि उनके जैसे व्यक्ति की आवश्यकता थी। उन्होंने पहले वकालत शुरू की थी। उनके पिता भी वकील थे। 1920 में विदेश जाकर उन्होंने बार एट ला की डिग्री प्राप्त की। कुछ समय बाद ही वे राजनीति में कूद पड़े। 1952–57, 1957–62 और 1962–67 तक वे इस विधान सभा के सदस्य रहे। 1969 में फिर वे पीलीभीत से चुने गये थे। 1930 में प्रदेश के विधान परिषद् के वे सदस्य चुने गये। 1946 में भी परिषद् में नामजद हुये। 1946 में जब भारत में अंतरिम सरकार बनी थी तो उस समय वे मंत्री बनाये गये थे। उनको उस समय कानून व न्याय तथा संचार मंत्रालय दिया गया था। आजादी के बाद वे दूसरे मुल्कों में भी गये। 1951 में पंडित गोविन्द वल्लभ पंत जब यहाँ के मुख्य मंत्री थे, तब वे कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ भी काम किया। शिष्ट मंडलों के साथ वह भारतवर्ष के बाहर दूसरे देशों को भी गये। 1971 में जो सेकेंड पे-कमीशन बैठा था उसमें उन्होंने चेयरमैन के रूप में कार्य किया। आप आल इंडिया एजूकेशनल पोलिटिकल कॉंफेन्स के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए और आप शिया कालेज लखनऊ के अध्यक्ष भी रहे।

उनके निधन से हमने इस लखनऊ से एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जो एक कुशल प्रशासक तथा कर्मठ नेता था और जिसने समाज की सेवा की। मैं अपनी तरफ से तथा जो भाव माननीय नेताओं ने प्रकट किये हैं उनको उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा।

इसी प्रकार से सेठ अचल सिंह जी दिग्गज लोगों में से थे। उनकी बड़ी-बड़ी मूछें थीं। जिस मस्ताने रूप में हाथी चलता है उसी प्रकार से वह दिग्गज थे। उनके कार्य करने की जो पद्धति थी वह भुलाई नहीं जा सकती है। 1936 में वह एम0 एल0 ए0 हुए और 1939 तक रहे। 1946 में भी वह विधान सभा के सदस्य हुए। 1952 से लेकर 1977 तक वह लोक सभा के सदस्य रहे और 1924 में वह विधान परिषद् के सदस्य रहे। कॉंग्रेस में रहकर उन्होंने अनेक पदों पर कार्य किया। वह लौह पुरुष के तरीके से थे। अनेक बार वह जेल गये। 1927 में साइमन कमीशन के विरोध में वह गिरफ्तार हुए। 1921 में प्रिंस आफ वेल्स के भारत आगमन का जो विरोध हुआ उसमें उन्होंने भाग लिया। नमक सत्याग्रह, 1930, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, 1932, राष्ट्रीय आन्दोलन, 1940 तथा भारत छोड़ो आन्दोलन, 1942 में उनको सजा हुई थी।

भूतपूर्व सदस्य श्री सैय्यद अली जहीर, सेठ अचल सिंह, श्री बद्री नारायण मिश्र, श्री सत्य नारायण दत्त, श्री महावीर पाण्डेय, श्री जुगल किशोर, श्री रामचन्द्र आजाद, श्री जरगाम हैदर, श्री देवीचरण अग्निहोत्री तथा श्री देवमूर्ति के निधन पर शोकोद्गार

सेठ अचल सिंह जी कितनी ही समाज सेवी संस्थाओं के सदस्य थे। सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों की गिरावट होने से दुखी होकर उन्होंने आगरा में एक नैतिक नागरिक संघ की स्थापना की जिसमें उच्चकोटि के चरित्रवान, सत्यनिष्ठ एवं नैतिक मूल्यों में आस्था रखने वाले व्यक्तियों को इनाम दिया जाता था। 1921 से 1925 तक तथा 1935 से 1940 तक वे म्युनिसिपल बोर्ड आगरा के सदस्य रहे। 1924 में स्वराज्य पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेशीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य रहे। सेठ अचल सिंह ने अपनी पत्नी की स्मृति में श्री भगवती देवी जैन शिक्षा संस्थान की स्थापना की तथा उन्होंने अचल ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट भी आगरा में स्थापति किया था। श्री सेठ अचल सिंह जी के निधन से आगरा जनपद ने ही नहीं वरन् प्रदेश ने एक प्रमुख समाज सेवी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, सच्चा देश भक्त एवं कर्मठ स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी खो दिया है। आदरणीय सदन के सम्मुख नेताओं ने जो भाव प्रकट किए हैं मैं उनको उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा।

इसी प्रकार से श्री बद्री नारायण मिश्र की मृत्यु 78 वर्ष की उम्र में हुई। 1905 में देवरिया जिले में उनका जन्म हुआ था। 1952 में पहली बार वह सदस्य निर्वाचित हुए और 1952–57 तक वह विधान सभा के सदस्य रहे। उनकी भर्ती बंगाल पुलिस में हो गयी थी लेकिन वहाँ उनकी पटने नहीं पाई और वह वहाँ नहीं रह सके। चूंकि वह राष्ट्रीय आन्दोलन के समर्थक थे और क्रांतिकारी जीवन की धाराओं में पले थे इसलिए वहाँ छोड़कर वह आन्दोलन में कूद पड़े। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेन्द्र देव जैसे महान नेताओं से उनका सम्पर्क रहा और गाँधी जी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने मजदूर आन्दोलन और किसान जागरण के क्षेत्र में कार्य किया। वे अनेक बार प्रदेशीय काँग्रेस कमेटी एवं अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के सदस्य रह चुके थे। श्री मिश्र के देहावसान से हमने एक प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खो दिया है। जो आदरणीय सदन के सामने माननीय नेताओं ने भाव प्रकट किये हैं, मैं उसे उनके दुखी परिवार तक पहुंचा दूंगा।

श्री सत्य नारायण दत्त जी का जहाँ तक सम्बन्ध है, वे 82 वर्ष के थे, उनकी 30 अप्रैल, 1983 को मृत्यु हो गई। उन्होंने हाई स्कूल इटावा से तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा आगरा से पास की थी। 1924 में उन्होंने वृन्दावन से टेक्निकल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। वे 1952 से 1957 तक इस विधान सभा के सदस्य रहे। श्री सत्य नारायण दत्त जी ने 1921 से राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। 1921, 1933 तथा 1944 में कई बार जेल की सजा उन्हें हुई। अगस्त 1941 में श्री दत्त जिला काँग्रेस कमेटी के प्रधान थे। 1938 से 1940 तक जिला काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। वह इटावा जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे। श्री सत्य नारायण दत्त के निधन से इटावा जनपद ने एक उच्च कोटि का समाजसेवी, गरीबों और ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करने वाला खो दिया है। इससे हमेशा उनकी याद हमारे दिलों में बनी रहेगी। उनके प्रति इस आदरणीय सदन ने जो भाव प्रकट किये हैं मैं उसे उनके दुखी परिवार तक पहुंचा दूंगा।

श्री महाबीर पाण्डेय का निधन 2 अक्टूबर, 1983 को प्रातःकाल हो गया। वह 91 वर्ष के थे। श्री पाण्डेय का जन्म 1892 में रायबरेली की डलमऊ तहसील के ग्राम ऐहार में हुआ था। वह ज्यादा नहीं पढ़ सके थे, क्योंकि वह अपने शिक्षणकाल में ही राजनीति से प्रेरित होकर आन्दोलनों में चले गये थे। 1962 में वह इस विधान सभा के सदस्य निर्वाचित होकर आये। श्री पाण्डेय ने महात्मा गाँधी से प्रभावित होकर देश में हो रहे संग्राम में ही अपने को पूर्णरूप से लीन कर दिया, अपनी युवा अवस्था के 17 अमूल्य वर्ष

[श्री अध्यक्ष]

श्री पाण्डेय ने कलकत्ता, नागपुर, कानपुर, रायबरेली, बदायूं आदि की शहरों की जेलों में गुजारे और सभी जेलों में इन्होंने छद्म नामों का प्रयोग किया। श्री पाण्डेय ने नागपुर झंडा काण्ड (1923), सायमन कमीशन बम काण्ड और रायबरेली किसान आन्दोलन (31–32) तथा नमक सत्याग्रह में भाग लिया। श्री पाण्डेय कानपुर में क्रान्तिकारी नेता शहीद भगत सिंह एवं चन्द्रशेखर आजाद के सम्पर्क में तथा बंगाल में क्रान्तिकारी नेता सुभाष चन्द्र बोस के सम्पर्क में आये। इस प्रकार श्री पाण्डेय पूर्णरूप से क्रान्तिकारियों में शामिल हो गये। वर्ष 1942 से 1944 तक वह समाचार पत्र "सिंहनाद" के प्रकाशन के साथ-साथ गाँवों में घूम कर ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करते रहे। 1944 में महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया, लेकिन उन पर डकैती का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया। उनकी मृत्यु से केवल रायबरेली जनपद ने ही नहीं वरन् हमने भी एक सरल स्वभाव का व्यक्ति, मानवता का पुजारी, किसान सेवक तथा वरिष्ठ सेनानी खो दिया है। जो इस माननीय सदन के सम्मुख माननीय नेताओं ने उनके प्रति भाव प्रकट किये हैं, मैं उसे उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा।

माननीय जुगल किशोर जी का जहाँ तक सम्बन्ध है, उनकी मृत्यु 48 वर्ष में ही हो गयी। वह बदायूं में पैदा हुए थे और उनकी कम शिक्षा होते हुए भी वह 11 वर्ष तक इस सदन के सदस्य रहे। वह 1962 में प्रथम बार प्रजा समाजवादी दल के टिकट पर गुन्नौर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर इस सम्मानित सदन में आये। 1967 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से काँग्रेस के टिकट पर पुनः विधायक चुने गये, 1974 में उन्हें पुनः सफलता मिली। जहाँ तक उनके जीवन का सम्बन्ध है। 11 वर्ष तक वह इस सदन के सदस्य रहे। 1962 में उन्होंने प्रजा समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कुछ समय बाद वह काँग्रेस पार्टी में सम्मिलित हो गये, परन्तु फिर मार्च, 67 में काँग्रेस पार्टी छोड़ कर जनकाँग्रेस के तथा बाद में भारतीय क्रान्ति दल के कार्यकर्त्ता हो गये और वर्ष 76 में वह पुनः काँग्रेस (आई) में गये, जिसमें 1980 तक रहे और उसको वह छोड़ कर जनता (एस) राजनारायण पार्टी में सम्मिलित हो गये। 1977 से 1980 तक वह सहकारी बैंक शाखा रजपुरा बदायूं के संचालक रहे। उन्होंने अनेक शिक्षण संस्थाओं में कार्य किया। श्री जुगल किशोर के असामयिक निधन से हमने एक जनप्रिय राजनीतिज्ञ एवं जनसेवी खो दिया है। जो माननीय नेताओं ने श्री जुगल किशोर के प्रति अपने भाव प्रकट किये हैं, मैं उसे उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा।

जहाँ तक श्री राम चन्द्र आजाद का सम्बन्ध है, 53 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने हाई स्कूल, इण्टर तथा विशारद की शिक्षा प्राप्त की थी। 1967 में काँग्रेस के टिकट पर चुने गये थे और 1969 में बी0 के0 डी0 के टिकट पर इस सदन के सदस्य बने। 12 वर्ष तक करीब-करीब वह एम0 एल0 सी0 रहे। श्री आजाद अपनी युवा आयु में जेलों में गये। उन्होंने इस प्रदेश के गरीबों के सम्बन्ध में बहुत काम किया। श्री आजाद के निधन से फैजाबाद जनपद ने एक उच्चकोटि का समाजसेवी खो दिया है। मैं आदरणीय सदन की भावना उनके दुखी परिवार तक पहुंचा दूंगा।

श्री जरगाम हैदर की मृत्यु 71 वर्ष की आयु में हो गयी। वह एक अच्छे वकील थे। 1957 से 62 तक इस सदन के पी0 एस0 पी0 से सदस्य रहे। 1945 से 53 तक नगरपालिका बहराइच के सदस्य रहे और 1958 में बहराइच नगरपालिका के अध्यक्ष थे। जहाँ तक हैदर साहब का सम्बन्ध है वह एक अच्छे वकील थे और उन्होंने वकालत में काफी नाम पैदा किया था। उनके निधन से बहराइच जनपद ने एक वरिष्ठ एवं जनप्रिय नेता खो दिया है। इस आदरणीय सदन ने जो भावना अभी प्रस्तुत की है उसको मैं उनके परिवार तक भिजवा दूंगा।

श्री देवीचरण अग्निहोत्री मथुरा जनपद के रहने वाले थे। 55 वर्ष की आयु में उन की मृत्यु हो गयी। उन्होंने बी0 ए0 की शिक्षा मथुरा में ग्रहण की थी। 67 में जब कोई व्यक्ति आसानी से नहीं आ सकता था वह निर्दलीय सदस्य के रूप में मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य बन कर यहाँ आये। उनके निधन से मथुरा जनपद ने जनप्रिय और समाजसेवी नेता खो दिया है। मैं आदरणीय सदन ने जो भावनाएं प्रकट की हैं, उनके दुखी परिवार तक भिजवा दूंगा।

श्री देव मूर्ति शर्मा की मृत्यु 92 वर्ष में हो गयी। वह 52 में इस आदरणीय सदन के सदस्य थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। अनेकों बार वह जेल गये। 16 वर्षों तक उन्होंने जिला काँग्रेस कमेटी के मंत्री के रूप में काम किया। शर्मा जी के निधन से बनारस जनपद ने एक कर्मठ एवं ईमानादार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खो दिया है। मैं इस आदरणीय सदन की भावना उनके दुखी परिवार तक भिजवा दूंगा।

अब हम दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन धारण करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थानों पर मौन खड़े हुए।)

सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जनरल शाहनवाज खां के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

आदरणीय अध्यक्ष जी, सन् 1933–44 में पूरे भारतवर्ष में यह नारा युवकों और छात्रों में गूंजा करता था। 'सहगल, ढिल्लन, शाहनवाज, इंक्लाब जिन्दाबाद'। आज वह हमसे बिछुड़ गये हैं, दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। शाहनवाज देहरादून ऐकेडमी के प्रशिक्षित थे। 1936 में वह सेना में कमीशंन से भरती हुए। उसके बाद नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज में मेजर जनरल के पद को विभूषित किया। नेता जी के दाहिने हाथ की तरह उनके साथ-साथ कार्य करते रहे उनके ऊपर मुकदमा चला लाल किले में, जिसमें पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अन्य लोगों के साथ मुकदमे की पैरवी के लिए अपना 30 वर्षों से छोड़ा हुआ गाऊन पुनः धारण किया और उनकी पैरवी के लिए खड़े हुए।

शाहनवाज उन हस्तियों में थे जिन पर देश नाज करता है। यह 1952 से लोक सभा के सदस्य रहे। बीच में 1968 से 1971 तक यह लोक सभा में नहीं रहे तो यह राष्ट्रीय बचत के अध्यक्ष रहे और पुनः यह लोक सभा में रहे और वहाँ उप मंत्री की हैसियत से इन्होंने कार्य किया। शाहनवाज साहब की देश-भक्ति उनका देश प्रेम, उनकी हिम्मत का बोलबाला था। वह हिम्मत और बहादुरी से मुकाबला करने वाले थे। आसानी से उन जैसा इन्सान मिलना मुश्किल है। आज वह हमारे बीच नहीं रहे। इसका हमें हार्दिक दुःख है। ऐसे लोगों की उपस्थिति से हमेशा देश को लाभ होता है। देश का कल्याण होता है और कभी किसी के कदम डगमगाते हैं तो ऐसे लोग उन को रास्ते पर लाने में हमेशा सहायक होते हैं। उनके निधन से हमारे दल को और दल से अधिक देश की और समाज की क्षति हुई है। जिसकी पूर्ति साधारणतः संभव नहीं है। मैं उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उनके परिवार के लिए अपने दल की तरफ से और अपनी तरफ से श्रद्धा के सुमन भेजने के लिए निवेदन करता हूं। साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति दे। उनके परिवार को दुःख वहन करने की शक्ति दे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय शाहनवाज के निधन पर संवेदना के जो माव माननीय नेता सदन ने व्यक्त किये हैं, मेरा दल अपने आपको उससे सम्बद्ध करता है। मान्यवर, श्री शाहनवाज साहब किसी दल की निधि नहीं थे। वह देश की निधि थे। उन्होंने इस देश को आजाद कराया, किसी व्यक्ति विशेष की आजादी के लिए हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह से कुछ लोगों ने सत्याग्रह के आन्दोलन से इस देश को आजाद कराने में स्वर्गीय बापू का साथ दिया था। उसी तरह से शाहनवाज साहब ने नेता जी के आजाद हिन्द फौज में सम्मिलित-होकर देश को आजाद कराने की लड़ाइयाँ लड़ीं थीं। मान्यवर, उनके निधन से निश्चित तौर से हमने महान, निष्ठावान, देश भक्त पूरे देश ने, मान्यवर प्रदेश से भी बड़ी बात कह रहा हूं, पूरे देश ने महान निष्ठावान, देशभक्त खो दिया है जिसकी पूर्ति अब संभव नहीं। मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप उनके शोक संतप्त परिवारों तक हमारी मावनायें पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, स्वर्गीय श्री शाहनवाज खां जी के सम्बन्ध में नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं और ऐसा महसूस करता हूं कि श्री शाहनवाज साहब के निधन से हम लोगों ने एक देश प्रेमी और जंगे आजादी का एक बेमिसाल सिपाही, एक काबिल पार्लियामेन्टेरियन और ईमानदार व्यक्ति खो दिया है। श्री शाहनवाज साहब की जिन्दगी बहुत से ऐतिहासिक घटनाओं की याद दिलाती है। लाल किले का ट्रायल, जैसा कि नेता सदन ने कहा, जो पैनल बनाया गया उसमें स्वर्गीय श्री शाहनवाज जी भी थे, जिसमें पं0 जवाहर लाल नेहरू, श्री आसिफ अली जैसे काबिल लोग उस पैनल में थे। श्री शाहनवाज साहब आज हमारे बीच में नहीं है। हम तो यह महसूस करते हैं कि इस मुल्क की आजादी के लिये उन्होंने जो बेमिसाल रास्ता दिखलाया, वह हम सब के लिये सबक का रास्ता है। मैं अपनी ओर से तथा जनता पार्टी की ओर से स्वर्गीय शाहनवाज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके दुखी परिवार को हमारी ये संवेदनाएं भेजने की कृपा करें।

श्री भीखा लाल—

अध्यक्ष जी, स्वर्गीय शाहनवाज खां के सम्बन्ध में जो विचार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और नेता जनता पार्टी ने व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री शाहनवाज जी हमारे देश की उन हस्तियों में से थे, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में ऐसी मिसाल पेश की है जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिये अनुकरणीय रहेगी और प्रेरणा का स्रोत रहेगी। स्पष्ट है कि ऐसी महान हस्ती के निधन से देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे दल की ये संवेदनायें उनके पास पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री फखरे आलम—

मान्यवर, स्वर्गीय जनरल शाहनहवाज खां की मौत ने मुल्क में एक ऐसी कमी पैदा कर दी है, जिसकी कमी पूरी नहीं हो सकती। जब इस मुल्क को अंग्रेजों के पंजे से आजाद कराने के लिये सुभाष बाबू ने फौज बनायी तो वे उस फौज के जनरल थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आखिरी समय तक जब तक अंग्रेज इस मुल्क में रहे, लड़ाई लड़ी और उसके बाद जब मुल्क का विभाजन हो गया और वतन का जो हिस्सा उनके हिस्से में आया, वह पाकिस्तान में था, लेकिन उन्होंने हिन्दुस्तान में रहना पसन्द किया। यह उनका बहुत बड़ा कारनामा था। आजादी के बाद जब कुछ लोगों ने गड़बड़ी पैदा करनी चाही तब भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया। उनके हमारे बीच से चले जाने से तमाम जनता का नुकसान हुआ है, और इसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। जनरल शाहनवाज खां आखिरी समय तक राजनीति में रहे और उनकी मृत्यु भी राजनीतिक कारणों से हुई। जबकि कहा जाता है कि हार्ट अटैक हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई। वह बहुत लगन से काम करते थे। ऐसे भी मौके हुए जब बड़े-बड़े झगड़े हुए, तब वह बीच मैदान में कूद पड़ते थे। आप अपने जिन्दगी की परवाह न करते हुए भी कार्य करते रहे। आज उनकी क्षतिपूर्ति करना असम्भव है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दुखी परिवार को, मान्यवर, आपके द्वारा शोक संवेदना भिजवाना चाहता हूं। मेहरबानी करके आप दुखी परिवार तक हमारे इन शोक संवेदना के अल्फाजों को पहुंचाने की कृपा करेंगे कि ताकि उनकी रूह को शान्ति मिल सके। मैं आशा करता हूं कि उनके द्वारा बताये गये रास्ते पर यह मुल्क चलेगा।

श्री अध्यक्ष—

स्वर्गीय शाहनवाज खां के बारे में माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। उनका जन्म रावलपिंडी में 1924 में हुआ था। इण्डियन मिलिट्री एकेडमी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। मेरठ जिले से वह 1952 से 1977 तक (1967 से 1971 को छोड़ कर) लोकसभा के सदस्य रहे। हिन्दुस्तान में आजादी प्राप्त करने के लिए जहां एक तरफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, गांधी जी के नेतृत्व में लोग जेल जा रहे थे, स्वर्गीय श्री शाहनवाज खां ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में सेना में शामिल होकर देश की आजादी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की सरकार में उप मंत्री रहे थे। 1971 से 1973 तक वह इस्पात खान मंत्रालय में रहे। फरवरी, 1973 से नवम्बर, 1973 तक वह आपूर्ति मंत्रालय में रहे और 1973 से 1974 तक वह पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय में रहे। इसके अलावा भी वह कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय में भी राज्य मंत्री के रूप में रहे। बाद में वह राज्य बीज गोदाम व राज्य बीज निगम में अध्यक्ष के पद पर भी रहे। 1977 में सक्रिय राजनीति से अपने को अलग करने के बाद वे अपने फार्म, सहारनपुर में रहने लगे। माना कि वह हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन हिन्दुस्तान को आजादी प्राप्त कराने के लिए जो कार्य उन्होंने किया और जिन लोगों ने उस मर्यादा को, उस परम्परा को सादगी और ईमानदारी से निभाया, उसे भुलाया नहीं जा सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, इस आदरणीय सदन के सम्मुख सभी माननीय नेताओं ने जो भाव शोक-संवेदना के प्रकट किए हैं, मैं उनके दुखी परिवार तक पहुंचवा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये दो मिनट का मौन धारण करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने अपने स्थानों पर मौन खड़े हुए।)

सोवियत संघ के राष्ट्रपति श्री यूरी ब्लादि मीरोविच आंद्रोपोव के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अन्त में इस सदन के समक्ष एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष का शोक संवेदना का प्रस्ताव रखना चाहता हूं जो भारत के दोस्त के रूप में जाने जाते थे। स्वर्गीय श्री यूरी आंद्रोपोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। वहां की विभिन्न राजनीतिक दलों के स्तर होने के बावजूद भी वे शीर्षस्थ नेता थे। एक साधारण कार्यकर्ता और मजदूर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीपति मिश्र]

की हैसियत से काम करने के बाद धीरे धीरे वे बढ़ते रहे। राजनैतिक और प्रशासकीय स्तरों पर कार्य करते-करते वह उच्चतम स्थान पर पहुंचे। जो स्वतः में उनकी कार्य क्षमता, कार्य पद्धति और उनकी लगनशीलता का द्योतक है। इस समय जब हम आप यहाँ उनके सम्बन्ध में शोक प्रस्ताव कर रहे है,संभवतः इसी समय उनकी भौतिक देह को वहाँ चिता पर रखा गया होगा और वहाँ उनका यह कार्यक्रम होता होगा। आज हम उनके इस रूप में, एक ऐसे बड़े देश के राष्ट्रपति के रूप में, ऐसे एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, वो किसी भी देश का हो, कहीं का भी हो, जो जन-जीवन से सीधा जुड़ा हुआ था और जनजीवन के लिये कार्य करता था और एक ऐसे व्यक्ति के रुप में, जिसको भारत से सहानुभूति थी, उसके प्रति हम शोक प्रदर्शित करते हैं और अपनी तरफ से एवं अपने दल की तरफ से आपसे यह इच्छा करते हैं कि हमारी शोक संवेदना की इन भावनाओं को उनके परिवार तक, उनके राष्ट्र तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष महोदय, रूस के राष्ट्रपति और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव स्वर्गीय यूरी आन्द्रोपोव के निधन पर संवेदना के जो भाव नेता सदन ने यहाँ पर रखे हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं।

मान्यवर, स्वर्गीय आन्द्रोपोव एक मध्यम परिवार से निकलकर, एक मजदूरी का पेशा अपनाते हुए, उसी देश के उच्चतम शिखर के पद पर पहुंचे थे। मान्यवर, उनका यह राष्ट्रपति का कार्यकाल बहुत थोड़े ही समय का रहा, सिर्फ 1·5 महीने का रहा, लेकिन उन्होंने अपने इस समय में भारत से मैत्री के सम्बन्धों को मधुर और सुदृढ़ बनाने के लिये प्रयास किया। वे सच्चे मायनों में हमारे देश के मित्र थे। मान्यवर, उनके निधन से भारत ने अपना एक सच्चा हितैषी और समय पर मदद करने वाले एक राष्ट्राध्यक्ष को खोया है। मैं पुनः अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उनके प्रति अपनी संवेदना अर्पित करता हूं और आपसे यह निवेदन करता हूं कि हमारे शोक संवेदना के इन भावों को वहाँ तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, इसी समय शायद स्वर्गीय यूरी आन्द्रोपोव के पार्थिव शरीर को मास्को के रेड स्कवायर में दफनाया जा रहा होगा। मान्यवर, यूरी आन्द्रोपोव इस मुल्क के एक बहुत अच्छे दोस्त थे और दुनिया के एक बहुत बड़े राजनीतिक थे। एक ऐसा आदमी जो एक छोटे मजदूर के पेशे से बढ़कर एक देश का राष्ट्रपति बन सका, जिसकी शायद बहुत से लोग कल्पना भी नहीं करते होंगे। ऐसी शख्सियत आज दुनिया के बीच में नहीं है। चूंकि, वह शख्सियत इस मुल्क की, हिन्दुस्तान की, हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हमेशा काम आयी, लिहाजा उसके निधन पर हम जितना भी अफसोस जाहिर करें, वह थोड़ा ही है। मान्यवर, मैं अपने को और अपने दल को, माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने जो उनके प्रति विचार प्रकट किये हैं उनसे सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी संवेदनायें उनके दुखी परिवार तक और रुस की कम्युनिस्ट पार्टी तक भेजने की कृपा करें।

श्री भीखा लाल—

माननीय अध्यक्ष जी, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री और राष्ट्राध्यक्ष स्वर्गीय यूरी आन्द्रोपोव के प्रति जो भी विचार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और नेता, जनता पार्टी ने यहाँ पर व्यक्त किये है, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय, जैसा कहा गया स्वर्गीय आन्द्रोपोव एक बहुत ही गरीब परिवार, छोटे परिवार, मजदूर के परिवार में पैदा हुए थे और अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता के परिणाम स्वरूप एक देश के उच्च पद पर पहुंचे थे। इससे वहाँ की व्यवस्था की श्रेष्ठता परिलक्षित होती है कि एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर एक छोटे से मजदूर को एक ऐसे उच्च स्तर पर पहुंचने का अवसर मिलता है, उस व्यवस्था की श्रेष्ठता भी इससे परिलक्षित होती है। इस समय जब उनका अन्तिम संस्कार हो रहा होगा जब हम यहाँ पर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।

आज उनके निधन से केवल सोवियत यूनियन की जनता ही नहीं बल्कि तमाम कम्युनिस्ट देश, तमाम विकासशील देश, वे तमाम देश जो गुट निरक्षेप आन्दोलन से सम्बद्ध हैं, उनके निधन से शोकाकुल है। उन देशों ने अपना एक सच्चा मित्र खो दिया है। एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जो आज दुनिया में जो आणविक युद्ध चलाने की तैयारियाँ हो रही हैं, उसको रोकने के लिये और शान्ति की शक्तियों को मजबूत करने के लिये कटिबद्ध था। इस दिशा में श्री आन्द्रोपोव ने जो कुछ किया, मैं उसकी सराहना करता हूं। आज वे हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उनके उत्तराधिकारी सोवियत यूनियन की जनता, तमाम विकासशील देशों की जनता, भारत की जनता और सरकार तथा तमाम शान्तिप्रिय शक्तियाँ उन युद्ध खोरों के मन्सूबों को पूरा नहीं होने देंगी, मानवता के विनाश स्वरूप इस युद्ध को छेड़ने नहीं देंगी और ऐसे मौत के सौदागरों के मन्सूबों को विफल करेंगी। इसके साथ ही मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप से अनुरोध है कि मेरे और मेरे दल का सन्देश सोवियत यूनियन की कम्युनिस्टपार्टी को, सरकार को तथा श्री आन्द्रोपोव के परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

*श्री फखरे आलम––

माननीय अध्यक्ष जी, मिस्टर यूरी आन्द्रोपोव की मौत पर जिन ख्यालात का इजहार माननीय नेता, सदन, नेता विरोधी दल एवं अन्य माननीय नेताओं ने किया है, उससे अपने को और अपने दल को पूरी तरह से सम्बद्ध करता हूं। मिस्टर आन्द्रोपोव की मौत से हिन्दुस्तान का एक दोस्त उठ गया है। उन्होंने और उनकी पार्टी ने हमारे मुल्क के साथ हमदर्दी का और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वह बहुत बड़ी बात थी। वह हमेशा याद रहने वाली बात है। हम ऐसे दोस्त के उठ जाने पर ताजियत का इजहार करते हैं। आज दुनिया में सरमायेदारी का जो बोलबाला है, उसको रोकने के लिये और उससे लड़ने के लिये मिस्टर आन्द्रोपोव ऐसी हस्ती थे जिन्होंने 'न्यूक्लियर वार" रोकने की कोशिश की। जिस लगन और मेहनत के साथ उन्होंने रूस की बागडोर सम्भाली और वहां के राष्ट्रपति और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से जो काम किया, वे ऐसे हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी पार्टी की तरफ से ताजियत के ये ख्यालात उनके दुखी परिवार यानी उनके मुल्क तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष––

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति श्री यूरी आन्द्रोपोव के बारे में जो भाव प्रकट किये है, मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। जहां तक उनके जीवन का सम्बन्ध है, माननीय नेताओं ने उनके बारे में विस्तृत रूप में बतला दिया है। एक छोटे से परिवार से उनकी जिन्दगी आरम्भ हुई और एक दिन ऐसा आया कि वह सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए। जहां तक उनके जीवन का सम्बन्ध है, उन्होंने राजदूत के रूप में भी कार्य किया और कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर जो भी ऊंचे से ऊंचा पद हो सकता था उस पर भी उन्होंने कार्य किया और संसार में के0जी0बी0 जो बहुत ही शक्तिशाली गुप्तचर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया।

[श्री अध्यक्ष]

विभाग माना जाता था, जो उनके नेतृत्व में गठित हुआ था। फिर आगे चलकर वह उसके अध्यक्ष भी बने। यह बहुत ही शोक का विषय है कि राष्ट्रपति बनने के 15 माह बाद ही उनकी मृत्यु हो गयी, इससे हमारे देश को ही नहीं बल्कि संसार के अन्य देशों को भी धक्का लगा है और इनके इस धक्के को भुलाया नहीं जा सकता है। सोवियत संघ के बहुत ही प्रभावशाली नेता और हमारे देश के उच्चकोटि के एक अच्छे दोस्त सदैव के लिए इस संसार से चले गये। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो इस आदरणीय सदन के माननीय नेताओं ने अपने-अपने भाव प्रकट किए हैं। मैं उनके देश को और उनके दुखी परिवार को तथा उनकी पार्टी को यह संवेदना की सूचना भेज दूंगा। अब हम दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट मौन धारण करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट तक अपने-अपने स्थानों पर मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल प्रातः 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 58 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
14 फरवरी, 1984

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

सेवा में,

माननीय मुख्य मन्त्री,

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

उचित रीति द्वारा ।

महोदय,

ज्ञातव्य है कि फरवरी, 1980 में तीनों संगठनों (उ0प्र0 बिजली कर्मचारी संघ.) (हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन उ0प्र0) के मध्य उर्जा सचिव श्री योगेन्द्र नारायण, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के मध्य बिजली मजदूरों की मांगों को लेकर एक समझौता सम्पन्न हुआ । समझौता लागू न करने के कारण हम तीनों संगठनों ने मई, 1982 में हड़ताल नोटिस दी । फलस्वरूप आपके द्वारा वार्ता करना शुरू किया गया, कुछ समझौते हुए जिनके आदेश पारित किए गये, कुछ एक तरफा आदेश पारित किए गये, कुछ समझौते हुए जिन पर अभी तक आदेश नहीं किए गये वेतन जाम मंहगाई भत्ते के रेटों में बढ़ोत्तरी एक्सलाइर्सेसी फिटमेंट वेतन विसंगति पर मई, 1982 से हड़ताल वापसी के बाद वार्ता का क्रम बन्द कर दिया गया जिसके कारण सूबे के बिजली मजदूरों में घोर असन्तोष व्याप्त है ।

आप हम तीनों संगठन (हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन उ0प्र0) (उ0प्र0 बिजली कर्मचारी संघ) के पदाधिकारी/सदस्य केन्द्रीय नोटिस के आधार पर आपके ध्यान आकर्षण हेतु एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं ।

अतः हमारा अनुरोध है कि बिजली मजदूरों की समस्याओं पर त्रिपक्षीय वार्ता द्वारा समाधान किया जाय तथा टाल मटोल की नीतियों को बन्द किया जाय अन्यथा इस उद्योग का मजदूर सीधी कार्यवाही के लिए बाध्य होगा जिसका उत्तरदायित्व आप पर होगा ।

धन्यवाद ।

भवदीय,

जे0पी0 शुक्ला,
परियोजना सचिव,
हाइड्रो इ0 इ0 यूनियन उ0प्र0
शाखा टांडा परियोजना,
फैजाबाद ।

आर0पी पाण्डेय,
परियोजना सचिव,
उ0प्र0 बिजली कर्मचारी संघ
शाखा टांडा परियोजना,
फैजाबाद ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अविलम्ब कार्यवाही हेतु प्रेषित––

1––श्रीमान अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत् परिषद, लखनऊ,
2––श्रीमान श्रम मन्त्री, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ ।
3––श्रीमान महामन्त्री उ0प्र0 बिजली कर्मचारी संघ/हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाईज यूनियन ।
4––जिलाधिकारी महोदय, जनपद फैजाबाद ।
5––श्रीमान मुख्य परियोजना प्रबन्धक, टांडा तापीय शक्ति परियोजना, फैजाबाद ।

जे0पी0 शुक्ला,
28–12–82
परियोजना सचिव,
हाइड्रो इ0इ0 यूनियन, उ0प्र0

आर0 पी0 पाण्डेय,
28–12–82
परियोजना सचिव
उ0 प्र0 बिजली कर्मचारी सं0 ।

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–46 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर)

प्रियदर्शी जेतली,
सदस्य, विधान सभा।

सेवाकुंज, अकबरपुर,
फैजाबाद।
दिनांक 30–3–83।

माननीय श्रम मन्त्री जी,

आप कृपया विधान सभा सत्र प्रथम 1983 के चौथे मंगलवार को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–14 के उत्तर का अवलोकन करें।

आप जैसे सुयोग्य एवं दक्ष मन्त्री को उक्त प्रश्न के उत्तर में विभाग किस प्रकार गुमराह कर सकता है, और सत्य से परे बातों को कहलवा सकता है, यह उत्तर इस बात का जीवित, जागृत प्रमाण है। प्रश्न के उत्तर में सर्वश्री बी0एस0 पाठक, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कर्मचारी संघ, राज्य कताई मिल नं0 1, अकबरपुर, फैजाबाद तथा उनके अन्य साथियों के कार्य-कलापों को आपत्तिजनक एवं अवांछनीय कहलवा कर उनके चरित्र पंजिका को खराब करने का सफल प्रयास किया गया है।

मान्यवर, प्रश्न के सम्बन्ध में यदि स्वर्गीय हरीकृष्ण कौल, अतिरिक्त श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर के निर्णय संख्या 8954–57/आई0एल0 आर0जी0सी0, दिनांक 14 सितम्बर, 1978 को यदि कोई निष्पक्ष होकर देखें तो उक्त निर्णय का पैरा 10, 11, 12 तथा पैरा 13, मुख्य रूप से प्रबन्धकों के द्वारा पक्षपातपूर्ण कपोल कल्पित, सत्य से परे घटना पर जो चार्ज-शीट दी गयी हैं, को विद्वान अति0 श्रमायुक्त ने स्वयं अपने निर्णय में सही नहीं माना है।

इसके अतिरिक्त, विद्वान अति0 श्रमायुक्त ने श्री क्यू0 हुमायू, जो उक्त मिल में उस समय स्पिनिंग मास्टर थे, और श्रमिकों को तथाकथित मार-पीट की घटना की चार्ज-शीट में, जिसमें उन्हें भी मारे जाने का आरोप लगाया गया था, को सत्य नहीं माना क्योंकि उन्होंने कोई भी रिपोर्ट, लिखित अथवा मौखिक मारपीट से सम्बन्धित घटना की नहीं की थी।

मान्यवर, विद्वान स्व0 अति0 श्रमायुक्त ने विभाग की पूरी जांच को दोषपूर्ण माना है और (नेचुरल जस्टिस) का वायलेशन भी माना है।

मान्यवर, उपरोक्त वर्णित फैसले के आधार पर यदि विभाग ने अपनी जाँच को जिस स्तर से समाप्त किया था, वहाँ से प्रारम्भ कर कोई निर्णय दिया है, तो मैं बड़े अदब से आपसे कहना चाहता हूं कि जब अति0 श्रमायुक्त ने श्रमिकों पर लगाई गयी चार्ज-शीट को ही फर्जी मान लिया था, तो फिर विभाग द्वारा की गयी जाँच के आधार पर न्याय क्या रहा? ऐसी दशा में आप जैसे योग्य, एवं कर्मठ मन्त्री द्वारा सत्य से परे जाकर श्रमिकों को अवांछनीय तत्व सदन के पटल पर कहलवाकर उनके जीवन से खिलवाड़ किया जाय तो कहाँ तक न्याय संगत होगा?

प्रबन्धक, कांग्रेस समर्थित यूनियन से द्वेष की भावना रखते रहे हैं, और पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करते रहे हैं और कहते हैं, को जानने के लिए मैं आपसे बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आप श्री सत्य नारायण शुक्ल, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर का निर्णय, जो 26 जून, 1982 के गजट में प्रकाशित हुआ है, के स्वयं पढ़ने का कष्ट करें। पढ़ने में समय जरूर लगेगा, कष्ट भी हो सकता है, लेकिन सत्य और न्याय क्या है, इसको आप भलीभांति जान लेंगे।

अतः आपसे मेरा निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित सभी निर्णयों को आप देखने का कष्ट करते हुए, विभाग ने जिस प्रकार आपको गुमराह कर सदन के पटल पर मेरे सम्बन्धित प्रश्न के उत्तर में, जो कहलवा दिया है, और जिससे श्रमिकों की चरित्र-पंजिका निर्दोष होने के बावजूद खराब हो गयी है, को ठीक करने का आदेश देने की कृपा करें और कृत कार्यवाही से मुझको भी अवगत कराने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

भवदीय,

(ह0) प्रियदर्शी मैत्रेयी,

सेवा में,

श्री सुनील शास्त्री,
श्रम मन्त्री (राज्य)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रभात प्रकाशन

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 131 का उत्तर पीछे पृष्ठ 65 पर)

विधायक निवास (अ) एवं (ब) के मोटर गैराजों के आवंटकों का विवरण

क्रम सं0	विधायक का नाम जिसके नाम मोटर गैराज आवंटित है
विधायक निवास (अ)	1—श्री गौरी शंकर, सदस्य, विधान सभा।
विधायक निवास (ब)	1—सर्वश्री श्रीकृष्ण बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा
	2— ,, मलिक मो0 कमाल यूसुफ, सदस्य, विधान सभा
	3— ,, शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा,
	4— ,, कैलाश यादव, सदस्य, विधान सभा
	5— ,, राम सिंह, सदस्य, विधान परिषद्
	6— ,, वृद्धि नारायाण सिंह, सदस्य, विधान सभा
	7— ,, राज मंगल पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा
	8— ,, सफीरहमान, सदस्य, विधान सभा
	9— ,, राजेन्द्र गुप्ता, सदस्य, विधान सभा
	10— ,, जगदीश सिंह, सदस्य, विधान सभा
	11— ,, एच0 के0 श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा
	12— ,, रूप राम दिनकर, सदस्य, विधान सभा
	13— ,, मोती लाल देहलवी, सदस्य, विधान सभा
	14— ,, गोपी नाथ दीक्षित, सदस्य, विधान सभा
	15— ,, रुद्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा
	16— ,, राम कृष्ण उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा
	17— ,, दीप नारायण वन, सदस्य, विधान सभा
	18— ,, चौधरी छेदा लाल, सदस्य, विधान सभा
	19— ,, मंगल देव, सदस्य, विधान सभा
	20— ,, सूबेदार सिंह, सदस्य, विधान सभा
	21— ,, शिव प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद्
	22— ,, जावेद अली खां, सदस्य, विधान सभा
	23— ,, भोला पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा
	24— ,, झिलमिट राम, सदस्य, विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–161 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर)

प्रश्नगत पत्र में स्थानीय पुलिस के विरुद्ध अंकित प्रमुख शिकायतें

1––श्री रमाशंकर सिंह, निवासी परसिया इन्दौर, थाना खुखुन्दू की हत्या होने के पश्चात् प्रतिपक्ष की शह पर उनके आश्रितों को परेशान किया जाना ।

2––ग्राम नारंगी "बरगद का पोखरा" में अज्ञात लाश का मिलना और पुलिस द्वारा उस पर परदा डालना ।

3––मगहर चौराहा पर श्री दद्दन मिश्र के खाद व बीज की चोरी की जाँच न करना ।

4––ग्राम शेखा बभनौली के श्री पंचानन्द तिवारी की शिकायतों की जाँच न करना ।

5––दिनाँक 28–29 जनवरी, 1982 की रात्रि को ग्राम दोहनी, थाना खुखुन्दू में बम विस्फोट, जीवित कारतूस, चाकू, कट्टा एवं माँस के लोथड़े मिलने पर कार्यवाही न करना ।

6––दिनाँक 24–1–82 को परसिया भगौती के श्री सत्य नारायण गुप्त से थाना खुखुन्दू के एस0आई0 श्री कन्हैया लाल एवं0 जे0के0 सिंह द्वारा मारकर रुपया छीना जाना तथा जाँच न होना ।

7––दिनाँक 18–2–82 को परसिया मिश्र, थाना खुखुन्दू के गोपाल मिश्र की पुत्री कुमारी मुन्नी की दुर्घटनाग्रस्त होने की रिपोर्ट न लिखना व उसी मृत्यु पर पुलिस द्वारा मौन साधे रखना ।

8––2/3 मार्च, 1982 की रात्रि में श्री घनश्याम यादव, ग्राम जिगनी सोनली थाना खुखुन्दू के यहाँ पड़ी डकैती में एस0ओ0 शम्भू शरण व एस0 आई0 कन्हैया लाल द्वारा मदद न करना ।

9––ग्राम पिपरा खेमकरन में एक कुशवाहा परिवार में पड़ी डकैती में पुलिस द्वारा प्रभावी कदम न उठाना ।

उत्तर प्रदेश

की0एस0यू0पी0––एल0 349 वि0सभा (628)––1984––813 ।